राजस्थान विधान सभा

३५वीं बैठक, बुधवार, दिनांक २५ अप्रेल, सन् १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ११ बजकर १५ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांद मल मेहता ?

प्रश्न संख्या ६९२

चतुर्भुजसिंह मदनसिंह करकेटी के सन् १९५३ के पश्चात्, हुई चोरियां एवं उनकी बरामदगी

श्री चांदमल मेहता:—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेगें :

(क) चतुर्भुजसिंह मदनसिंह करकेटी के सन् १९५३ के बाद अब तक कितनी चोरियां हुई ?

(ख) उक्त चोरियों में किन किन अधिकारियों द्वारा कब कब तफतीश कराई गई ?

(ग) इस सम्बन्ध में किन किन व्यक्तियों की गिरफतारियां की गई ?

(घ) उक्त चोरी में किन किन पुलिस कर्मचारियों का हाथ रहा ?

(ङ) किन २ पुलिस कर्मचारियों ने कब २ चोरी का पता चला कर माल बरामद करने के लिये वायदा किया ?

(च) उक्त चोरी का माल अभी तक रिकवर नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) :—(क) चतुर्भुजसिंह मदनसिंह करकेटी के सन् १९५३ के बाद अब तक केवल एक चोरी हुई ।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ख) श्रीराम हैड कांस्टेबल द्वारा १३. ६. ५३ से १४. ६. ५३ तक तथा सब इन्सपेटर उम्मेदसिंह द्वारा १४. ६. ५३ से ३०. १२. ५३तक एवं इन दोनों के बाद हुक्म चन्द एस. एच. ओ. द्वारा १३. १२. ५५ से ६. १. ५६ तक मामले की तफतीश की गई।

(ग) किसी की भी गिरफतारी नहीं की गई।

(घ) किसी का भी नहीं।

(ङ) ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्टेबिल कृपादान पुलिस स्टेशन परबतसर ने ऐसा वायदा किया था।

(च) चोर का पता नहीं लग सका जिससे चोरी का माल बरामद हो सके।

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६२३

जयपुर महाराज की इमारतें सरकार द्वारा किराये पर लेना एवं उनका किराया इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क. जयपुर शहर में जयपुर महाराजा की कितनी इमारतें राज्य सरकार ने किराये पर ले रखी हैं ?

ख. उक्त इमारतों का किराया प्रति वर्ष कितना २ दिया जाता है ?

ग. किराये पर ली हुई ऐसी कितनी इमारतें है जिनमें साईकिल पर या अन्य सवारी में बैठ कर जाने की रोक है ?

घ. ऐसे कितने गजटेड ऑफिसर्स है जिनके साइकिल पर बैट कर उक्त इमारतों में प्रवेश करने पर मार-पीट की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमन्त्र)—क. जयपुर शहर में जयपुर महाराजा की कोई इमारत राज्य सरकार ने किराये पर नहीं ले रखी है ?

ख. प्रश्न नहीं उठता।

[श्री रामकिशोर व्यास]

ग. यह भी प्रश्न नहीं उठता।

घ. ऐसी कोई रिपोर्ट पुलिस में नहीं की गई।

प्रश्न संख्या ३०४

ग्राम गर्डवासी [त० चाकसू] के हरिजनों द्वारा पेय जल का कुआ बनवाने हेतु आवेदन-पत्र

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, एम. एल. ए. डिविजन नं० [३६]—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ग्राम गर्डवासी तहसील चाकसू के हरिजनों ने एक पानी पीने का कुआ बनवाने हेतु जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। यदि हां, तो वह किस तारीख को ?

(ख) उसके लिये कितने रुपये की और किस तारीख को स्वीकृति प्रदान की गई ?

(ग) वह स्वीकृत रकम हरिजनों को दी गई या नहीं ? यदि नहीं दी गई, तो क्यों और दी गई तो किसको और कब ?

(घ) क्या यह भी सच है कि हरिजन (चमार) भाई इस कुए के बाबत बोर्ड में कई बार आये किन्तु उन्हें बार बार निराश होकर लौटना पड़ा ?

(न) यदि ऐसा हुआ तो क्यों और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस कार्य में इतना बिलम्ब किस प्रकार हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) जी हां

(ख) यह आवेदन-पत्र जिला बोर्ड जयपुर के कार्यालय में ७ मार्च, १९५४ को प्राप्त हुआ था किन्तु बोर्ड द्वारा उक्त कार्य के लिये कोई द्रव्य स्वीकृत नहीं हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[घ] जिला बोर्ड के रेकार्ड से प्रतीत नहीं होता कि हरिजन चमार भाई इस सम्बन्ध में कितनी बार जिला बोर्ड के कार्यालय में उपस्थित हुये।

[न] उपरोक्त आवेदन पत्र के मिलते ही जिला बोर्ड द्वारा आवश्यक एस्टीमेट आदि तैयार किये गये तथा कुओं सम्बन्धी सभी आवेदन पत्र जिला विकास समिति तथा रूरल वाटर सप्लाई

Page No 4

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

बोर्ड को सिफारिश सहित स्वीकृत किये जाने हेतु भिजवादी गई किन्तु वहां से कोई द्रव्य उक्त कार्य के लिए स्वीकृत नहीं हुआ। जिला बोर्ड के रिवाइज्ड बजट में श्रमदान मद में कुछ द्रव्य सरकार द्वारा अभी स्वीकृत हुआ है अतः इस कार्य के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—उन्हें रुपया कब तक दे दिया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जल्दी ही व्यवस्था की जायगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—तीन महीने में या ४ महीने में, कुछ न कुछ लिमिट तो टाइम होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कह दिया न कि हाल ही में हो जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—तीन साल में इस मामले का निर्णय नहीं हुआ, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—५४ में तो यह रिपोर्ट आई है।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या यह सही नहीं है कि कई लोग उनके पास गये पर उन्हें टरका दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उनके पास रुपया नहीं था इसलिये वाटर बोर्ड को भेज दिया।

श्री हरिशंकर—अब यह प्रबन्ध कब तक हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जल्दी ही प्रबन्ध हो जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—जो देर हुई उसके लिये क्या सरकार जांच करने को तैयार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप कोई कारण बतावेंगे तो जाँच कर लेंगे पर मैंने कहा न कि शीघ्र प्रबन्ध हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री प्रभुदयाल।

प्रश्न संख्या ६२५

(प्रश्नकर्ता की अनुपस्थिति के कारण आगे लिया गया)

प्रश्न संख्या ६२६

ग्राम नींदड़ (मंडरेल) में डेम निर्माण हेतु ली गई भूमि का मुआवजा

श्री जवानसिंह (श्री बृजेन्द्रपाल की ओरसे)—Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

How many persons of village Nidar (Sub-Tehsil Mandrail) have been paid compensation in view of the land acquired by Government for construction of a dam there, and what is the total amount paid ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)—नींदड़ ग्राम के १५ १ मनुष्यों को उनके मकानों व कुओं का मुआवजा दे दिया गया है।

मुआवजे की कुल रकम जो दी गई है वह २३,६६२ रु० है।

श्री जवानसिंह—कुछ व्यक्तियों को अभी मुआवजा देना बाकी है क्या ?

श्री खेतसिंह—सबको दे दिया गया है, कोई बाकी नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष—श्री जगतसिंह झाला।

प्रश्न संख्या ६२७

अराई से सरवाड़ (किशनगढ़) तक सड़क बनाने के कारण ली गई भूमियों का मुआवजा

श्री जगतसिंह झाला, एम.एल.ए., डिवीजन संख्या (६४)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि किशनगढ़ सब डिविजन में अराई से सरवाड़ तक सड़क बनाई जा रही है ?

(ख) क्या यह सच है कि इस सड़क के बनाने में जिन काश्तकारों के खेत सड़क के अन्दर आ रहे हैं उनको बिना मुआवजा दिये उनकी खड़ी फसल पर पास की जमीन की मिट्टी डाली जा रही है ?

(ग) क्या सरकार जिन चाही जमीनों पर फसलें हैं व जो कुओं के बहुत नजदीक है उनके काश्तकारों के हित का ख्याल रखेगी ?

(घ) सरकार उपरोक्त मुआवजा कब तक देने का विचार रखती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जहां तक सड़क निर्माण की दृष्टि से संभव है चाहे जमीन को बनाकर और काश्तकारों के हित का ध्यान रखते हुए सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है।

(घ) लैंड एक्वीजिशन एक्ट के अनुसार कार्यवाही चल रही है। पूरी होने पर शीघ्र ही मुआवजा दे दिया जावेगा।

श्री जगतसिंह झाला—कितने लोगों को मुआवजा मिल चुका है?

श्री शाह अलीमुद्दीन—अभी किसी को दिया नहीं, मैंने कहा लैंड एक्विजिशन एक्ट के माफिक कार्यवाही जारी है।

श्री जगतसिंह झाला—कितनी मयाद में मिल जायगा?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह तो कैसे कह सकता हूँ, लैंड एक्विजिशन ऑफीसर कब खत्म कर दे।

श्री जगतसिंह झाला—क्या इसके लिये नोटिस मिल गये?

श्री शाह अलीमुद्दीन—रेकर्ड लैंड एक्विजिशन ऑफीसर के सुपुर्द कर दिया गया है।

प्रश्न संख्या ६२८

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री भैंरूसिंह।

(प्रश्नोत्तर आगे लिया गया)

महाराज श्री केसरीसिंह।

प्रश्न संख्या ६२६

देई की पंचायत के चुनाव में इन्स्पेक्टर के साथ मारपीट

महाराज श्री केसरी सिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[महाराज श्री केसरीसिंह]

[क] देई तहसील नेवा, जिला बूंदी की पंचायत का चुनाव किस तारीख को हुआ ?

[ख] क्या वहां के पंच व सरपंच का चुनाव हो चुका है ?

[ग] क्या यह सत्य है कि दंगा होने के कारण पंचायत इन्स्पेक्टर के सिर में चोट आई थी ?

[घ] उपरोक्त इन्स्पेक्टर को इस प्रकार पीटने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--[क] १८. २. ५६ को एवं १५. ३. ५६ को।

[ख] जी हां।

[ग] जी हां।

[घ] दिनांक १८. २. ५६ को निर्वाचन हो जाने के पश्चात् सरपंच के चुनाव के समय वातावरण पार्टियों में तनाव हो जाने के कारण बिगड़ गया और निर्वाचनाधिकारी इन्स्पेक्टर ने चुनाव स्थगित करने की घोषणा की, उस समय कुछ शरारती लोगों ने पत्थर फैंके जिससे निर्वाचनाधिकारी के चोटें आईं।

महाराज श्री केसरीसिंह—जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। अभी तक की तो नहीं गई है।

महाराज श्री केसरीसिंह—पत्थर फैंकने के क्या कारण थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--चुनाव स्थगित कर दिये, इसलिए पत्थर फैंके गये।

प्रश्न संख्या ९३०

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट,

श्री श्रीदास गोयल।

[अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये]

Page No 8

प्रश्न संख्या ६३१

सन् १९५२—५५ में टाइप मशीनों की सफाई करने वाले पम्प्स

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Will the Home Minister be pleased to state:-

(a) What local firms were engaged for the monthly and quarterly Inspection, Cleaning and Servicing of Typewriters of the Government during the years 1952-55 ?

(b) What were the rates fixed by the Government for them and for what Makes of typewriters ?

(c) What foreign sirms of Typewriters were engaged for monthly and quarterly Inspection, Cleaning and Servicing of typewriters during the year 1955-56 and on what terms ?

(d) Why were the local firms not invited to submit their tenders this time ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) नवम्बर १९५५ तक भिन्न २ स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रबन्ध थे।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) निम्नांकित भारतीय फर्मों को काम दिया गया :

(१) मेसर्स रोनिओ लि. पी. १३, मिशनरी, एक्सटेन्शन, कलकत्ता।

(२) मेसर्स हिन्द कमर्शियल हाउस, केसरगंज, पी. बी १०६, अजमेर।

(३) मेसर्स रेमिंगटन रैन्ड आफ इण्डिया लि० ३, कलकत्ता।

(४) मैसर्स राजस्थान टाइपराइटर कं०, जयपुर।

शर्तें सरकारी राजपत्र में गृह विभाग की दिनांक ६. ११. १९५५ की विज्ञप्ति सं० डी २३७२। एफ २३। १३१। जी. ए ।ए।५२३३। डी. एस. एच. सी. के अन्तर्गत प्रकाशित की गई थीं।

(घ) विभिन्न मेकों के टाइपराइटरों का भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर ठीक करने के लिये निर्माताओं के सम्बन्धित एजेन्टों के साथ ठेके करने का निश्चय किया गया था।

[श्री रामकिशोर व्यास]

यह कार्य भारत सरकार के मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग की कार्य विधि के अनुरूप था, इस लिये स्थानीय फर्मों का प्रश्न पैदा नहीं होता हालांकि अनुमोदित चार फर्मों में से एक जयपुर की है। इसके अतिरिक्त, परिपत्र में वर्णित ४ मेकों के टाइपराइटरों के अलावा जो टाइपराइटर्स हैं उनकी मरम्मत का कार्य स्थानीय यांत्रिकों को सौंपा गया है।

श्री रामकिशोर व्यास—मेरा इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे यह रोंगली एड्रेस किया गया है। यह जी. ए. डी. से ताल्लुक रखता है।

श्री अध्यक्ष—इसका कब टर्न आवेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसका मुझसे कोई संबन्ध नहीं है।

श्री मानसिंह महार—इसका कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसका जी. ए. डी. से संबन्ध है।

प्रश्न संख्या ६३२

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट टर्न पर उत्तर दे दिया जावेगा।

नेक्स्ट, श्री कस्तूरचन्द।

(अनुपस्थित-यह प्रश्नोत्तर स्थगित किया गया)

प्रश्न संख्या ६३३

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सड़क निर्माण हेतु निर्धारित धनराशि

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सड़क निर्माण हेतु कितनी धन राशि रखी गई है व किस किस जिले में कितनी कितनी रकम खर्च की जावेगी ?

(२) कौन कौन से जिलों में कहां से कहां तक सड़क निर्माण करने का निश्चय किया गया है और किस किस सड़क पर कितना रूपया खर्च किया जावेगा ?

Page No 10

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—(१) ८.९६ करोड़ रुपया।

(२) अभी योजना बनी नहीं है, ज़ेर गौर है।

श्री हिम्मत सिंह—यह कब तक बन जावेगा।

श्री शाह अलीमुद्दीन—बहुत जल्दी, अभी तो यह योजना शुरू ही हुई है। सिफारिशें आवेंगी और उसके बाद होगा।

श्री हिम्मतसिंह—बहुत जल्दी से कितना समय समझा जाए, कुछ तो ध्यान होगा।

श्री शाह अलीमुद्दीन—मैं समझता हूं कि ३ महीने तो समझ ही लीजिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ६३४.

कस्बा नावां (जि० नागौर) मुंसिफ तहसील व अतिरिक्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों के लिये पुरानी हवेली खरीदना

श्री भैंरुसिंह—क्या मंत्री न्याय विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कस्बा नावां जिला नागौर में मुन्सिफ तहसील व अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की अदालतों के लिये कस्बे में एक पुरानी हवेली को खरीदा जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो यह हवेली किसकी है और कितने रुपये में खरीदी जा रही है और इसका एस्टीमेट किसके द्वारा हुआ ?

(ग) इन कोर्टस के लिये कितनी रकम स्वीकृत हुई है ?

(घ) क्या नावां की जनता ने इस हवेली का कोर्ट्स के लिये खरीदे जाने के विरोध में सरकार को आवेदन पत्र भी दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कमिश्नर जोधपुर द्वारा एक आवेदन पत्र की प्रतिलिपि जो **श्री बंकटलाल शर्मा** मंत्री, भारतीय जनसंघ की ओर से प्राप्त हुई थी कलेक्टर नागौर के पास भेजी गई थी लेकिन अदा-

Page No 11

[श्री रामकिशोर व्यास]

लतों के वास्ते किसी हवेली के खरीदने का प्रश्न ही नहीं था। इसलिये उस आवेदन-पत्र की कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६३५

अभ्यस्त अपराधी अधिनियम के अन्तर्गत जयपुर जिले की विभिन्न तहसीलों के अभ्यस्त अपराधियों की सूची का प्रकाशन

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) हेबिचुअल आफेन्डर्स एक्ट के अन्तर्गत जयपुर जिले की किन किन तहसीलों की हेबिचुअल आफेन्डर्स की सूचियां प्रकाशित की जा चुकी हैं ?

(२) उक्त सूचियों पर किन अधिकारी ने कब कब स्वीकृति दी है ?

(३) किशनगढ़ तहसील में किन किन व्यक्तियों को हैबिचुअल ऑफेन्डर्स घोषित किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) इस तरह की कोई सूचि प्रकाशित नहीं हुई है।

(२) यह प्रश्न नहीं उठता।

(३) किशनगढ़ तहसील में निम्न व्यक्ति हेबिचुअल ऑफेन्डर्स हैं :—

(१) रामचन्द्र पुत्र नारायण नायक।

(२) अब्दुल सत्तार पुत्र हाजीम आबूदाक।

(३) जान्या पुत्र चान्दा सिकलीगर।

(४) अलानूर खां पुत्र रहमान खां।

(५) हरीसिंह पुत्र रूपसिंह।

(६) मोती उर्फ मोहन पुत्र नारायण महतर।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No 12

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न संख्या ६३६

श्री कस्तूरचन्द

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६३७

ग्राम सिठडी [त० सिवाना] में सरपंच द्वारा एक कुआ खुदवाने के झूठे हिसाब की प्रस्तुति

चौधरी श्री मोटाराम—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील सिवाना के गांव मिटड़ी के सरपंच को पीसक के कुवे को खुदाने के लिये सरकार ने जो चार हजार रुपये दिये थे उसको उसने अपने निज बेरे पर खर्च कर दिये और झूठा हिसाब पेश किया ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(२) क्या उपरोक्त रकम निजी बेरे पर खर्च न की जावे, इस हेतु वहां की जनता ने कई दरख्वास्तें दीं ? उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया उसका क्या कारण है ?

(३) क्या उपरोक्त चार हजार रुपयों के गबन के बारे में प्रश्नकर्ता ने कई दरख्वास्तें दीं और पूरी जांच भी करा दी ? इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(४) क्या अब सरकार गांव के पीसक के कुओं को ठीक कराने के लिये चार हजार रुपये देगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) इस रकम के कुछ हिस्से को सरपंच ने अपने बेरे पर खर्च किया और इस विषय में कार्यवाही की जारी है।

(ख) इस विषय में केवल प्रश्नकर्ता ने कुछ प्रार्थना-पत्र दिये।

(ग) इन्सपेक्टर, पंचायत विभाग ने जांच करली है और उसकी रिपोर्ट विचाराधीन है।

(घ) पीसक के कुवे का काम समाप्त हो गया अतः और धनराशि देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोटाराम—सरकार ने जांच किस आधार पर की है ?

Page No 13

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सरकार ने इन्सपेक्टर द्वारा जांच की है।

श्री मोटाराम—पब्लिक को बिल्कुल मालूम नहीं है, उनका बेरा चलता है........

(अश्रव्य)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं नहीं समझ सका आप क्या चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं भी नहीं समझ सका आप क्या पूछ रहे हैं।

श्री मोटाराम—जांच तो खत्म की गई है। उन्होंने खुद के बेरे पर रुपये लगाये और अब वे बेरा पब्लिक को देते हैं और पब्लिक कहती है कि बेरा बहुत दूर पडता है; हम इस बेरे को क्या करें, सरकार ने रुपये दिये वह वहां पर काम में आने थे।

श्री बद्रीप्रसाद—आप कह रहे हैं वह ठीक है। सरपंच ने दो तिहाई रुपये तो खर्च किये और एक तिहाई रुपये अपने कूए पर लगाये। इन्सपेक्टर की रिपोर्ट आई है इस पर रूपया उनसे वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। वह यह कहता है कि उस बेरे का पब्लिक का डिक्लेअर कर दिया जावे। मगर वाकई में यह बात नियम के विरुद्ध थी।

श्री मानसिंह महार—क्या सरकार ने सरपंच को हटा दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सरकार उसके खिलाफ रुपया वसूल करने की कार्यवाही कर रही है।

श्री मानसिंह महार—कार्यवाही किस साल में शुरू हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—साल की तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री मानसिंह महार—क्या ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में भी सरकार कुछ कार्यवाही करना नहीं चाहती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि जल्दी उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

श्री मोटाराम—चार हजार रुपये सरकार की तरफ से दिये गये थे उनको उसने अपने खुदकाश्त के कूए पर लगाये। यह साबित हो गया फिर जांच करने से क्या मतलब निकलता है ? फिजूल जांच करके काम में रोडे अटकाये जा रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चार हजार रुपये मंजूर हुए थे, उसमें से २६६६ रुपये तो उसने गांव के लिये काम में लिये और बाकी अपने जागीर के कूए पर लगा दिये।

('शाबाश' की आवाज)

श्री मानसिंह महार—इन्सपेक्टर की रिपोर्ट कौन सी तारीख को आई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रुपया ५४–५५ में दिया गया था, तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री भैंरूंसिंह—क्या इन्सपेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रुपयों का गबन किया गया इसलिये इनके खिलाफ क्रिमिनल केस कायम किया जावे और कार्यवाही की जावे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उसने गवर्नमेंट के पास अपनी रिपोर्ट पेश की।

श्री भैंरूंसिंह—क्या उस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है या नहीं कि उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दायर किया जावे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरी जानकारी में यह नहीं है। हो सकता है। ऐसा हो या न हो मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैंरूंसिंह—होगा से काम नहीं चलेगा, है या नहीं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हो भी सकता है। मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, इसीलिये मैंने कहा है।

श्री भैंरूंसिंह—उस रिपोर्ट में उन्होंने किन किन बातों का उल्लेख किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चार हजार रुपये ५४–५५ में गांव के लिये खर्च होने को थे, उसमें से २६६६ रु० गांव के लिए खर्च हुए और बाकी १३३४ रुपये उसने अपने जागीर के कुए में व्यय कर दिये। उसने बाद में यह कहा कि यह कुआ पब्लिक को दे दिया जावे। पब्लिक ने कहा कि हमें कुए की जरुरत नहीं है, हमारा रुपया हमारे काम के लिय खर्च होना चाहिये; कुआ हमारे यहां से बहुत दूर पड़ता है। यह रिपोर्ट थी।

श्री मोटाराम—पंचायत विभाग में इस बेरे की रजिस्ट्री करा दी है। पब्लिक कहती है कि यह बेरा गांव से बहुत दूर है, हमको नहीं चाहिए। हमको रकम मिलनी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री मोटाराम—क्या सरकार पीने के पानी के बेरों के लिए रुपये देने के लिए तैयार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सरकार ने ४ हजार रुपये दिए हैं।

श्री मोटाराम—चार हजार रुपये खुदकाश्त के कुए पर खर्च हुए हैं और पब्लिक को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। क्या पब्लिक को दुवारा रुपये देने को सरकार तैयार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--आपने बताया है, उसकी मैं जांच करूंगा।

श्री मोटाराम--आप क्या जांच करेंगे?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--आपने कहा है कि चार हजार रुपये खुद काश्त में लगाये गये। मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६३८

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत छोटी सिंचाई योजनाओं के हेतु विभिन्न डिविजनों के लिए स्वीकृत धन-राशि

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(अ) राजस्थान सरकार ने दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए अलग अलग डिवीजनों में क्या कोई निश्चित धनराशि अलग अलग बान्ध बन्धवाने के लिये निर्धारित, नदी व तालाब पर, कर दी है?

(ब) यदि हां, तो किस डिवीजन में कितनी कितनी धनराशि निर्धारित की है?

(स) उक्त योजना के तहत कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले में सिंचाई डिवीजन के अन्तर्गत किस किस नदी व तालाब के बांध लिए हैं?

(द) उक्त नदी व तालाब कितनी धन राशि से बांधे जा सकेंगे और उससे कितनी जमीन की सिंचाई की जा सकेगी? उक्त कार्य कब से शुरू हो जायगा और कितने समय में पूर्ण होगा?

(प) कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले में १ अप्रेल, ५६ से कौन कौन सी नदी व तालाब का काम इस योजना के तहत शुरू होने वाला है?

श्री खेतसिंह (उपमंत्री)--(अ) राजस्थान सरकार ने दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए अलग अलग डिवीजनों में कोई निश्चित धनराशि नहीं रखी है।

(ब) प्रश्न (अ) के उत्तर को देखते हुए इस प्रश्न के उत्तर का सवाल ही नहीं उठता है।

(स) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिए २१० लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की

[श्री खेतसिंह]

है और उससे अनुमानतः १, २५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। ये कार्य द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पूरे हो जावेंगे।

(द) झालावाड़ा व बूंदी जिले के जो कार्य लेने की सम्भवना है उनकी सूची इस प्रकार है :

S. No.	Name of work.	Distt.	Cost in lacs of rupees.	Area irrigated. (acres).
1.	Small tank Bundi ka Gothra.	Bundi	5.0	4,000
2.	Raneja project	,,	3.0	3,000
3.	Manpura project	Jhala-War	6.0	6,000
4.	Gangapur project	,,	7.0	6,000
5.	Khandar project	,,	1.5	1,800
6.	Sarangka Kheri Tank	,,	3.0	2,400
7.	Gopalpura Irrigation project	Kotah	7.7	4,000
8.	Haripura Irrigation project	Bundi	6.0	5,000
9.	Extension of Lakamo Tank	Kotah	1.0	600
10.	Singari project	Bundi	6.0	4,000
11.	Reconditioning Neth tank	,,	2.0	2,000
12.	Improvement to Rampur tank	Kotah	1.0	600
13.	Raising & Enlarging Jolpa tank	,,	3.0	1,500
14.	Sumer Bund	,,	3.0	3,000
15.	Khanpur Bund	,,	4.0	3.500
16.	Jarkhanda project	,,	9.5	9,000
17.	Bilas River project	,,	7.5	7,000
18.	Julmi Irrigation project	,,	5.0	4,000
19.	Harigah	,,	9.0	6,000
20.	Salora kalan Irrigation project	Jhala-war	5.0	3,000
21.	Reeva Irrigation project	,,	6.5	9,000
22.	Extension of Girdharpura tank	kotah	1.0	500

[श्री खेतसिंह]

(प) ज्यों ज्यों कामों की रिपोर्ट व अनुमानित लागत तैयार हो जावेगी वैसे ही कार्य मन्जूर होने के बाद शुरू कर दिये जावेंगे ।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार के सामने गिरवा की जनता ने कुछ और भी योजना में रखने के लिये निवेदन किया ।

श्री खेतसिंह—मैंने उन कामों की सूची आपके सामने पढ़ कर सुना दी जो दूसरी पंच वर्षीय योजना में पूरे होने वाले हैं इसके अलावा और भी योजनायें हो सकती हैं जिनका सर्वे और इन्वेस्टीगेशन हो रहा है उसके बाद उनको भी रखा जा सकता है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—जो आपने सूची बतलाई उनके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना में और कार्य नहीं लिये जायेंगे ?

श्री खेतसिंह—बाईस की जो सूची मैंने बतलाई वह तो दूसरी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित है, दूसरे कामों का सर्वे के बाद निश्चय किया जायगा ।

श्री हिम्मतसिंह—मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जो रायपुर प्रोजेक्ट का जिक्र किया कि माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में लिया जायगा, क्या यह सही नहीं है कि यह पहले मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट में आ चुका है ?

श्री खेतसिंह—मेरे पास जो इन्फोर्मेशन है उसमें इसे माइनर इरीगेशन में रखा है ।

राज श्री हिम्मतसिंह—क्या चम्बल की नहर इस टंक के अन्दर होकर नहीं जा रही है ?

श्री खेतसिंह—इसकी इत्तला मेरे पास नहीं है, आप अगर अलग से सवाल पूछेंगे तो बता दूंगा ।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार ने परवल नदी पर एक बांध बनवाने के लिये सरवे नहीं कराया ?

श्री खेतसिंह—परवल नदी के बारे में इत्तला मेरे पास नहीं है अगर आप अलग से सवाल इस प्रकार का पूछेंगे तो आपको इत्तला दे दी जायगी ।

श्री कंवरलाल जेलिया—गोपालपुरा का काम कब से शुरु होने वाला है ?

श्री खेतसिंह—ज्यों ही एस्टीमेटस बन कर तैयार हो जायेंगे और रकम मंजूर हो जायगी ... शुरू कर दिया जायगा ।

श्री कंवरलाल जेलिया—पहले यह बताया जा चुका है कि इसका एस्टीमेट बन कर आ चुका है ?

श्री खेतसिंह—यदि ऐसा है तो जब यहां से मंजूरी हो जायगी तो कार्य शुरू कर दिया जायगा ।

प्रश्न संख्या ६३६

श्री अध्यक्ष—श्री लक्ष्मण हीरात ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६४०

श्रीदास गोयल

[अनुपस्थित— कृपया परिशिष्ट १ देखिये]

प्रश्न संख्या ६४१

तहसील सिवाना और परवतसर में मवेशियों की चौकीदारी में जनता द्वारा चौथ

श्री मोटाराम—क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—(१) तहसील सिवाना व तहसील पचपदरा में मवेशियों की चौकीदारी में वहां के लोगों को जो चौथ देनी पड़ती है उसके लिये सरकार ने क्या इन्तजाम किया ?

(२) बिना मीणों की चौकीदारी के उपरोक्त तहसीलों में कितने व कौन कौन से गांव हैं ?

(३) सिवाना तहसील में मीणे लोग जो चौकीदारी करते हैं वे कौन से गांव व तहसील के हैं ?

(४) क्या सरकार को विदित है कि उपरोक्त तहसीलों के हर एक गांव को हर वर्ष सैकड़ों रुपये चौकीदारी के देने पड़ते हैं फिर भी चोरियां होती हैं ? यदि हां, तो इन चोरियों को बन्द करने का सरकार ने क्या इन्तजाम किया ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(१) इस तरह की प्रथा इन तहसीलों में किसी में नहीं है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) असत्य है ।

श्री मोटाराम—क्या सिवाना और पंचपदरा में कोई चौकीदार नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं।

श्री मोटाराम—इन गांवों में ४०० चौकीदार हैं जो लोगों से चौथ लेते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—अगर कोई देता है तो गलत देता है, खिलाफ कायदे देता है।

श्री मोटाराम—क्या इस इलाके में कोई चौकीदार है?

श्री रामकिशोर व्यास—गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है।

श्री मोटाराम—जो चोरियां वहां बहुत होती हैं उसके लिए सरकार ने क्या इन्तज़ाम किया है?

श्री अध्यक्ष—यह बिल्कुल दूसरा सवाल है।

प्रश्न संख्या ६५२

झुंझुनू जिले के ग्रामों में कूओं व कुन्डों हेतु जल बोर्ड
द्वारा दी गई धन राशि एवं उस सम्बन्धी जांच

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) झुंझुनू जिले में किस किस ग्राम में कूओं व कुन्डों के लिए जिला बोर्ड द्वारा कितने कितने रुपये दिए गए हैं?

(२) ऐसे कितने कुए हैं जो सार्वजनिक उपयोग के नहीं हैं लेकिन उनके लिए जिलाबोर्ड द्वारा रुपये दिये गये हैं?

(३) ऐसे कितने कुए हैं जिनका जिला बोर्ड, विकास बोर्ड व अकाल समिति से रुपया दिया जा चुका है किन्तु फिर भी जिला बोर्ड द्वारा रुपया दिलाया गया है?

(४) किस किस ग्राम ने जल बोर्ड द्वारा दिये गये रुपयों का हिसाब पेश किया है और किस किस की जांच हो चुकी है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) कोई नहीं

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) ३५८ कार्यों की जांच की जाकर जिलाधीश द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रश्न संख्या ६४३

श्री अध्यक्ष—श्री कुम्भाराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६४४

किशनगढ़ शहर से रेलवे तक की सड़क का जीर्णोद्धार

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) किशनगढ़ शहर से लेकर रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सड़क का कितना हिस्सा मरम्मत तलब है ?

(२) उक्त सड़क की मरम्मत करवाने के लिये जनता की तरफ से कितने आवेदन पत्र पेश हुये व उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—(१) इस वक्त कोई हिस्सा मरम्मत तलब नहीं है।

(२) एक दो जरूरी मरम्मत कर दी गई है।

प्रश्न संख्या ६४५

ग्राम दूधवाखारा (जि० चूरू) के रेलवे स्टेशन पर सरपंच पर चलाई गई गोली सम्बन्धी जांच

श्री प्रभुदयाल—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सच है कि ग्राम दूधवाखारा जिला चूरू के सरपंच पर दूधवाखारा के स्टेशन पर गुन्डों ने गोली चलाई थी ?

[श्री प्रभुदयाल]

(२) यदि हां, तो उनके नाम क्या क्या है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई थी ?

(३) उसका नतीजा क्या रहा ?

श्री रामकिशोर व्यास—१. जी नहीं ।

२. प्रश्न नहीं उठता ।

३. प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

प्रश्न संख्या ६४६

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल ।

(अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६४७

झुंझुनू तहसील पंचायत के चुनाव शीघ्र सम्पन्न कराना

श्री **भैंरू सिंह**—क्या मंत्री स्वायत शासन विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) झुंझुनू जिले में तहसील पंचायतों के चुनाव कब और कौनसी तारीख को हुये ?

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक १७ और १८ मार्च, ५६ को खेतड़ी और चिड़ावा तहसीलों में तहसील पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हो गये हैं; यदि हां, तो कृपया तहसील खेतड़ी और चिड़ावा में रिटर्निंग आफिसर द्वारा घोषित सफल उम्मीदवारों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे ?

(ग) क्या कारण है कि अभी तक उक्त उम्मीदवारों के नाम राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित नहीं किये गये ? अब कब तक सरकार इनके नाम प्रकाशित करा देगी ?

[श्री भैंरूसिंह]

(घ) झुंझुनू तहसील पंचायत के चुनाव कब तक सम्पन्न करा दिये जायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) उदयपुर तहसील पंचायत-१५ मार्च, १९५६

खेतड़ी तहसील पंचायत— १७ मार्च १९५६

चिड़ावा तहसील पंचायत— १८ मार्च १९५६

झुंझुनू तहसील पंचायत—निर्वाचन नहीं हुआ।

(ख) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) ये नाम राजकीय मुद्रणालय में भेजे जा चुके हैं परन्तु स्थानाभाव से अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाये हैं।

(घ) यथा-शीघ्र।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैंरूसिंह—गजट में प्रकाशित कराने के लिये सरकार ने किस तारीख को ये नाम भेजे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—७-४-५६ को।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि ७-४-५६ के बाद में सरकार द्वारा जो नाम भेजे गये वे तो प्रकाशित हो गये किन्तु इन दोनों तहसीलों के नाम जान-बूझकर प्रकाशित नहीं किये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—झुंझुनू तहसील पंचायत के चुनाव अब तक नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—तहसील पंचायत झुंझुनू के लिये चुनाव की तारीख तो मुकर्रर हो गई थी किन्तु ब्रीच ऑफ पीस की वजह से चुनाव नहीं हो सके।

श्री भैंरूसिंह—किन व्यक्तियों की तरफ से ब्रीच ऑफ पीस की संभावना थी ?

(घंटी)

श्री भैंरूसिंह—माननीय अध्यक्ष, हमेशा यह कह दिया जाता है कि ब्रीच ऑफ पीस होने का अन्देशा था इसलिये चुनाव नहीं हो सका माननीय मंत्री यह बतायें कि किन व्यक्तियों की तरफ से ब्रीच ऑफ पीस होने की सम्भावना थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चुनाव लड़ने वालों की तरफ से।

श्री भैंरूसिंह—जब ब्रीच ऑफ पीस की सम्भावना थी तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—संभावना पर तो कुछ नहीं किया जाता, ब्रीच ऑफ पीस हो जाती है तो पुलिस कार्यवाही करती है।

श्री भैंरूसिंह—तो फिर चुनाव स्थगित क्यों किये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कहीं ब्रीच ऑफ पीस न हो जाय।

श्री भैंरूसिंह (१६)—यह क्वेश्चन हमेशा यह कह कर टाल दिया जाता है कि शान्ति भंग होने का अन्देशा था। मैं जानना चाहूंगा कि जब शान्ति भंग होने का अन्देशा था तो पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह पब्लिक इन्टरेस्ट में है।

श्री भैंरूसिंह—पब्लिक इन्टरेस्ट में क्या है साहब, पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई इसकी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६४८

झुन्झनूं जिला बोर्ड द्वारा मोडक के पत्थर पर नाम खुदवाने का ठेका चतुर्भुज मारवाल को

श्री भैंरूसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिला बोर्ड ने दिनांक ३।१२।५५ को डेढ़ दो फीट मोडक के पत्थर पर १०) प्रति पत्थर के हिसाब से नाम खुदवाकर देने का ठेका ३५०) में श्री चतुर्भुज मारवाल निवासी मुकुन्दगढ़ को दिया ?

Page No 24

[श्री भैरूंसिंह]

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पत्थर दूसरे लोग ४ रुपया ८ आने प्रति पत्थर में देने के लिये तैयार थे ?

(ग) क्या यह सही है कि पत्थर के, १०) रु० कूओं को जो सहायता दी गई, उसमें से काटे गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न संख्या ६४६

यातायात विभाग में लोरियें, उन पर स्टाफ एवं आय-व्यय

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यातायात मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकारी यातायात के महकमे में कितनी लोरियां हैं तथा वे किस किस लाइन पर चलती हैं ?

(ख) इस महकमे में कितना अमला है व कुल आमद कितनी है ?

(ग) उपरोक्त महकमों का सालाना खर्च कितना है व सरकार को कितना मुनाफा होता है ?

श्री खेतसिंह—(क) ६ लोरियां टौंक में व १० लोरियां सिरोही में हैं।

(ख) १ टोंक निवाई एवं टौंक देवली, (२) सिरोही सिरोही रोड पीडवाडा, (३) सिरोही शिवगंज सुमेरपुर, (४) सिरोही आबूरोड़ (५) सरूपगन्ज रोहिडा।

(ग) १. टोंक में एक मैनेजर, एक क्लर्क चार कन्डक्टर, चार ड्राइवर, एक खलासी, एक चपरासी व एक चौकीदार है।

(२) सिरोही में एक मैनेजर, एक अपर डिविजन क्लर्क, २ लोअर डिविजन क्लर्क, १ बुकिंग क्लर्क, १ फौरमेन, १ फिटर, १ लोहार, १ खाती, ३ खलासी, १२ ड्राइवर, १० कन्डक्टर्स कम क्लीनर व दो चपरासी हैं।

[श्री खेतसिंह]

(३) टोंक एवं सिरोही की आमद क्रमश:—

सन् १९५४	सन् १९५५
१०१६७४ ४ ०	१८५०६० ६ ३

(घ) खर्चा और मुनाफा इस प्रकार है:—

टोंक खर्चा	६२०१५।१४।०	मुनाफा ६६५६।६।०
सिरोही खर्चा	१५२४८७।४।६	मुनाफा ३२६६३।४।६

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या सरकार ने चैक्स की व्यवस्था नहीं रक्खी ?

श्री खेतसिंह—सरप्राइज चैक्स किया करते हैं। बिलकुल नहीं रक्खा, यह बात नहीं है।

महाराज श्री केसरीसिंह—आपने अमले की जो लिस्ट दी है उसमें इसका नाम नहीं है।

श्री खेतसिंह—एक कन्डक्टर जब आता है तो दूसरा काम करता है, तो वह आने वाला कन्डक्टर ही कभी कभी सरप्राइज चैकिंग करता है। फिर ट्रान्सपोर्ट के इन्सपैक्टर्स भी चैक किया करते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या यह सही है कि टोंक से देवली जो लोरियां जाती हैं उन्हें सरकार किसी कन्ट्राक्टर को दे रही है ?

श्री खेतसिंह—यह तो अलग से सवाल है, अलग से पूछियेगा तो उत्तर दे सकूंगा।

महाराज श्री केसरीसिंह—यह सरप्राइज चैक किस प्रकार से की जाती है, साइकिल से, मोटर साइकिल से या किस तरह से ?

श्री खेतसिंह—ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर किसी भी वैहिकल में जाकर चैक कर सकता है।

महाराज श्री केसरीसिंह—आपने कन्डक्टर के लिये कहा न कि वह भी चैक करता है, तो उसके लिये सरकार ने क्या सवारी प्रोवाइड की है ?

श्री खेतसिंह—इन्सपेक्टर के साथ कन्डक्टर्स भी जाते हैं और चैक किया जाता है।

महाराज श्री केसरीसिंह—इस प्रकार कन्डक्टर्स ने कितनी बार चैक किया ?

Page No 26

श्री खेतसिंह—कोई अलग से एक रूट के लिये एक अवधि तक पूछ लीजिये। मैं अलग से इसका उत्तर दे दूंगा।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सच है कि चैकिंग नहीं होने से गाडियां ओवरलोड जाती हैं और कन्डक्टर और ड्राइवर उनका पैसा अपने पास रख लेते हैं ?

श्री खेतसिंह—इसके लिये ही तो चैकिंग की जाती है; ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर करता रहता है, कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे जेल होगी, पनिशमेंट मिलता है। पर इसके लिये आप अलग से सवाल करेंगे तो मैं डिटेल में बता सकूंगा।

श्री श्रीभान सिंह—Is it a fact that the Government has provided shank's mare" to the checkers ?

श्री खेतसिंह—आप हिन्दी में कहिये।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह—I have every right to ask in English.

महाराजा श्री केसरी सिंह—सिरोही जिले में जो सरकारी गाड़ियां हैं २५ उनमें से कितनी चालू हालत में हैं ?

श्री अध्यक्ष— The question has been laughed away because it was not in Hindi !

श्री श्रीभानसिंह—It should have been answered by the Hon'ble Deputy Minister.

श्री अध्यक्ष—Repeat it.

श्री श्रीभानसिंह—It is a fact that the Government has provided "shank's mare" to the checkers ?

श्री खेतसिंह—मैं इसको समझा नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—"Shank's mare" का मतलब बता दें।

श्री श्रीभानसिंह—Just foot; walking

(हंसी)

एक माननीय सदस्य—पैदल चलने के लिये कहा जा रहा है।

प्रश्न संख्या 650

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री कुम्भाराम आर्य।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या 651

ग्राम संतरा (थाना गिड़ा बाड़मेर) में एक लाख रुपये की डकैती एवं माल की बरामदगी

श्री मोहम्मद हादी—क्या गृहमन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि गांव संतरा पुलिस स्टेशन गिड़ा (जिला बाड़मेर) में एक लाख रुपये की डकैती हुई?

(ख) उस डकैती में कौन कौन डकैत शामिल थे?

(ग) क्या मुलजिम पकड़े गये और कितना माल बरामद किया गया?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जी हां। 12 व्यक्ति, जिनके नाम नीचे दिये गये हैं:

करनसिंह पुत्र कोजराजसिंह राजपूत भाटी	निवासी बाया		
गोरधनसिंह	भाटी		
मूलसिंह पुत्र हेमराजसिंह	,,		
आसकरणसिंह पुत्र खुमानसिंह	,,		
जवाहरसिंह पुत्र कोलसिंह	,,		
सांगसिंह पुत्र कालसिंह	,,		
रामसिंह पुत्र श्योदानसिंह	,,		
वनसिंह पुत्र मानसिंह	,,		
कुरनिया पुत्र गागिया दरोगा	,,	निवासी मोड़ा	
इन्दरसिंह पुत्र विगरामसिंह	,,	,,	
नखतसिंह पुत्र उत्तमसिंह	,,	,,	
चन्दनसिंह पुत्र अमरसिंह	,,	,,	सोडाविन जासर।

[श्री रामकिशोर व्यास]

और सम्भवत: उत्तमसिंह भाटी निवासी राजगढ़ और रामसिंह भाटी निवासी गन्धोला और ४ दूसरे अनजान व्यक्ति इस डकैती में शामिल थे।

इनमें से कोई भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुये हैं और केवल ३ ऊंट बरामद हुये हैं।

श्री मोहम्मद हादी—मुलजिमान के बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—तफतीश की गई।

श्री मोहम्मद हादी—१८७, १८८ की कार्यवाही हुई या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो आप अलग से प्रश्न करेंगे तो उत्तर दे सकूंगा।

श्री मोहम्मद हादी—कार्यवाही का रिजल्ट क्या रहा ?

श्री रामकिशोर व्यास—तीन ऊंट बरामद हो गये। बाकी की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न संख्या ६५२

नाहरसिंह, डिविजनल पंचायत आफीसर की नियुक्ति के आधार

श्री भैरूंसिंह—क्या मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) श्री नाहरसिंह, डिविजनल पंचायत ऑफीसर की वर्तमान पद पर नियुक्ति कब और किस ग्रेड पर हुई ? इसके पहिले क्या उक्त अधिकारी झुन्झुनू जिला बोर्ड में सेक्रेट्री के पद पर काम करता था।

(ख) यदि हां, तो उनकी नियुक्ति प्रारम्भ में किस ग्रेड पर हुई ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त श्री नाहर सिंह को तत्कालीन स्वायत्त शासन मन्त्री श्री कुम्भाराम आर्य ने एक साथ पांच ग्रेड का प्रोमोशन स्वायत्त शासन विभाग की सिफारिशों के विरुद्ध दिया ?

(घ) क्या डिविजनल पंचायत आफिसर की पोस्ट आर. ए. एस की गजटेड पोस्ट है ?

[श्री भैंरूं सिंह]

(च) क्या इसके लिये कोई प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कितने प्रार्थना—पत्र इसके लिये आये ?

(छ) क्या यह सही है कि उक्त श्री नाहर सिंह आर. ए. एस की प्रतियोगिता परीक्षा में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा असफल घोषित कर दिये गये थे ? यदि हां, तो फिर उन्हें आर. ए. एस की पोस्ट पर क्यों रक्खा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) श्री नाहरसिंह की नियुक्ति दिनांक २०।७।५५ को २००।१०।२८० ई. बी. १८।४५० की ग्रेड में हुई। जी हां।

(ख) १५०।१०।२५०

(ग) उसके क्वालिफिकेशन और कार्य कुशलता के आधार पर, जिला बोर्ड में एक स्पेशल केस सिफारिश की थी, जो मन्जूर हुई।

(घ) जी नहीं, यह केवल गजटेड पोस्ट है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री भैंरूं सिंह—मेरे प्रश्न के भाग (छ) का उत्तर नहीं आया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नम्बर डालने में गलती हुई है। आपका यह उत्तर (च) में आ गया है।

श्री भैंरूं सिंह—मेरा इस पोस्ट से मतलब नहीं है, आर. ए. एस. की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ था उसमें असफल घोषित किये गये थे, ये इस पद के लिये नहीं सभी पदों के लिये पी. एस. सी. द्वारा; फिर आपने इन्हें आर. ए. एस की पोस्ट पर क्यों रक्खा ?

श्री बद्रीप्रसाद—इससे इस पद पर कोई असर नहीं पड़ता।

श्री भैंरूं सिंह—मेरा इससे मतलब नहीं, मेरा मतलब तो यह है कि सिलेक्शन में ये एपियर हुए या नहीं और एपियर हुए तो उसमें पी. एस. सी. द्वारा असफल घोषित किये गये या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद—यह सूचना आपको जी. ए. डी से मिल सकती है।

श्री **मानसिंह महार**—यह उस अफसर से नहीं पूछा जाता। उसने क्यों किस प्रकार से ऐसी पोस्ट के लिए एप्लाई किया। यह तो उनसे भी दर्याफ्त किया जा सकता है।

श्री **बद्रीप्रसाद**—किया तो जा सकता है, पर उस विभाग से ही मंगानी चाहिये यह सूचना।

श्री **भैंरूसिंह**—इस प्रकार के एक्सपीरियेन्स का व्यक्ति यह एक ही है, इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा गया ?

श्री **बद्रीप्रसाद**—ऐसा तो नहीं कहा गया, और भी हो सकते हैं।

श्री **भैंरूसिंह**—क्या यह सही है कि जिला बोर्ड झुंझुनूं ने इस बाबते नहीं सिफारिश की कि पांच ग्रेड का प्रोमोशन एक साथ दे दिया जाय ?

श्री **बद्रीप्रसाद**—उनको प्रोमोशन सिफारिश पर किया गया था।

श्री **भैंरूसिंह**—और जिला बोर्ड के सिफारिश के ऊपर ध्यान दिया जाता है तो और बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री **बद्रीप्रसाद**—ऐसी बात है नहीं।

श्री **भैंरूसिंह**—इस प्रकार के पदों के लिये विज्ञापन कराया जाकर पी. एस. सी. की मार्फत अपोइन्टमेन्ट कराया जावे, क्या इस पर सरकार ने ध्यान दिया ?

श्री **बद्रीप्रसाद**—यह आवश्यक है। पर प्रोवीज़नली गवर्नमेंन्ट किसी का अपोइन्टमेंट कर सकती है। पी. एस. सी में अल्टीमेटली तो जाना ही होता है।

श्री **भैंरूसिंह**—ये कितने दिनों के लिये प्रोवीजनली अपोइन्ट किये गये ?

श्री **बद्रीप्रसाद**—जब से रखा तब प्रोविज़िनल ही हैं।

श्री **भैंरूसिंह**—कितना अरसा हो गया ?

श्री **बद्रीप्रसाद**—२८। ७। ५५ से अपोइन्ट हुए हैं।

श्री **भैंरूसिंह**—क्या यह सही है कि प्रोविजनल बेसिस पर ६ महीने के लिये अपोइन्टमेंट करने का सरकार को अधिकार है।

श्री **बद्रीप्रसाद**—इससे ज्यादा टाइम होता है तो पी. एस. सी को रेफर कर दिया जाता है।

Page No 31

श्री भैंरू सिंह— तो फिर विज्ञापन कराया जाकर पी. एस. सी के मारफत अपोइन्टमेंट क्यों नहीं कराया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी सारे डिपार्टमेंट का इन्टीग्रेशन हो रहा है। खत्म होते ही पी. एस. सी. में भेजेंगे।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि छः महिने में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकी सरकार कि उसको गजट में शाया करके एप्लीकेशन्स इन्वाइट की जातीं और पी.एस.सी में सिलेक्शन के लिए भेजती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पी.एस. सी. एडवर्टाइज़मेंट करती है और एप्लीकेशन इन्वाइट करती है सरकार नहीं करती है।

श्री भैंरू सिंह—क्या सरकार ने पी.एस.सी. को इस पद के लिए लिखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस पद का ही सवाल नहीं है केवल, सबका सवाल है।

श्री भैंरू सिंह—इसके लिए लिखा या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सारे इन्टीग्रेशन होने हैं, उसके बाद।

श्री मानसिंह महार—छः महिने होने के बाद क्या इसको पी. एस. सी को रेफर किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जरूर करना चाहिए।

श्री भैंरू सिंह—कर दिया गया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह अलग सवाल है, पूछें तो बताया जा सकता है।

श्री मानसिंह महार—यह बिलकुल सप्लीमेंटरी में आता है, अलग सवाल कैसे है ? माननीय अध्यक्ष, जब छः महिने से अधिक हो गये तो पी. एस. सी को रेफर किया गया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद—इस समय मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है लेकिन पी. एस. सी को जरूर करना चाहिए।

श्री भैंरू सिंह—छः महीने का प्रोविजनल अपोइन्टमेंट किया गया और उस अवधि के बाद फिर एक्सटेन्शन किया गया तो क्या यह पी. एस. सी को रेफर किया गया या नहीं, नहीं किया तो क्या कारण था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैने अर्ज किया कि होना चाहिए। हुआ होगा, मेरे पास इसकी इस समय जानकारी नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—किस कारण से एक्सटेन्शन दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वे गवर्नमेंट सर्विस में हैं और उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी।

श्री मुक्तिलाल मोदी—छः महीने के बाद यदि एक्सटेन्शन देवे तो रूल्स हैं कि सरकार पी. एस.सी से इजाजत मांगे, लेकिन क्या इजाजत मांगे बिना भी एक्सटेन्शन दे सकती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पी. एस. सी को रेफर करके करते है।

श्री मानसिंह महार—तो पी. एस. सी को रेफर किया गया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— मै इसका तीन बार जबाब दे चुका हूं।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को एक्सटेन्शन के लिए रेफर नहीं किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—किया गया या नहीं किया गया, इसके सम्बन्ध में मैं पहिले ही निवेदन कर चुका हूं कि जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—किया गया या नहीं किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— सारा इन्टीग्रेशन के साथ है।

श्री भैरूंसिंह—छः महीने की अवधि खत्म होते ही एक्सटेन्शन के लिए पी. एस. सी की एप्रूवल होती है, मान लीजिये कि २० मुलाजिमों की जगह खाली हो गई हैं लेकिन मैं पर्टीकुलर व्यक्ति के लिए पूछना चाहता हूं कि उनका छः महिने के बाद पी. एस. सी एप्रूवल कराया गया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रूल्स के अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है, रूल्स में नहीं होगा तो नहीं हुआ होगा।

श्री भैंरूसिंह—रूल्स में है, छः महीने के बाद यदि किसी का एक्सटेन्शन करना हो तो उसके लिए पी. एस. सी की एप्रूवल लाजमी तौर पर ली जानी चाहिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रूल्स को देखिये।

Page No 33

श्री हिम्मतसिंह—क्या एक्सटेन्शन न करने पर भी वे तनख्वाह लेते रहे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—तनख्वाह नहीं पाने वाला होगा तो ए. जी देगा भी नहीं।

श्री भैंरु सिंह—जांच कराई कि शिकायत नहीं है, क्या यह सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने ठीक समझ कर लिया ?

श्री भैंरू सिंह—झुंझुनू बोर्ड नोमीनेटेड है और इस तरह से अपोइन्टमेन्ट, एक्सटेन्शन करना सार्वजनिक हित में ठीक नहीं समझा जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सार्वजनिक हित में ही किया गया ?

श्री भैंरु सिंह—जिस जिला बोर्ड ने सिफारिश की है तो क्या वे इन व्यक्ति में खास दिलचस्पी रखते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप रखते हों, उनके हक में रखते हों, यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री भैंरु सिंह—यह नियुक्ति किस अधिकारी के द्वारा की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऑर्डर्स हुए हैं, तब ही तो कर रहे हैं ?

श्री भैंरु सिंह—ओर्डर्स चीफ पंचायत ओफिसर की ओर से हुए थे या सेक्रेटेरियेट से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चीफ पंचायत ओफिसर तो नहीं कर सकता है। गवर्नमेन्ट के ओर्डर्स हैं।

श्री भैंरू सिंह—जब गवर्नमेन्ट ने यह ओर्डर दिया तो क्या गवर्नमेंट ने यह जानने की चेष्टा की थी कि और भी डिपार्टमेन्ट्स हैं और इस प्रकार के एक्सपीरियेन्स्ड व्यक्ति मिल सकते हैं और फेयर सिलेक्शन होना चाहिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—और के लिए लिखे नहीं, तब सवाल पैदा नहीं होता।

श्री भैंरू सिंह—क्या और कोई लिख कर नहीं देता, उसके पहले सरकार के पद के लिए एडवर्टाइजमेन्ट नहीं कराना चाहती और एप्लीकेशन्स इन्वाइट नहीं करना चाहती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एडवर्टाइजमेन्ट तो पी. एस. सी करती है गवर्नमेंट नहीं करती।

श्री भैरूंसिंह—क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने नियुक्ति के बारे में सिफारिश की थी या सरकार ने अपनी ओर से ही मंगाई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने की।

श्री भैंरूसिंह—जगह खाली थी तो की या यों ही कर दी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह डिटेल्स का सवाल पूछ रहे हैं, अगर दुबारा पूछेंगे तो उत्तर दिया जा सकता है।

श्री भैंरूसिंह—मेरा सीधा सा प्रश्न है कि सरकार ने मंगाई थी या डिस्ट्रिक्ट बोर्डने मंगाई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह डिटेल्स का सवाल है, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—जानकारी लेकर प्रश्न का उत्तर दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपने जो पूछा उसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री भैंरूसिंह—नियुक्ति के बारे में पूछा है और उसके अन्दर जानकारी की जानी चाहिए थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नियुक्ति की तारीख, ग्रेड बता दी, पोस्ट बता दी और अब आप यह पूछते हैं कि जिला बोर्ड ने लिखा या नहीं लिखा, ये जो डिटेल्स की बातें हैं उनकी जान-कारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—एक प्रश्न का उत्तर और बता दें। जिस पद पर यह नियुक्ति की थी तो वह कितने अर्से से खाली था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—क्या कोई स्थान रिक्त नहीं था और यह एडीशनल पोस्ट कायम करके उनकी नियुक्ति कर दी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह बात सही नहीं है। छः थे।

श्री भैंरूसिंह—पद कोई खाली घोषित नहीं किया गया और सरकार के द्वारा उनकी नियुक्ति कर दी गई ?

Page No 35

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप गलत सवाल लगा रहे हैं। मैंने कहा था कि छः में से किया है।

श्री भैंरूसिंह—सरकार ने यह कब जानकारी की कि यह स्थान खाली है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हर एक की तारीख तो मेरे पास नहीं है; कब हुआ, कब रिटायर हुआ।

श्री भैंरूसिंह—जिस पद पर नियुक्ति की गई तो वह खाली था या नहीं था, खाली था तो वह कब खाली था और खाली नहीं था तो एडीशनल नियुक्ति क्यों की गई?

श्री अध्यक्ष—कहा न कि इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—फिर मुझे हाफ एन आवर डिस्कशन का मौका दिया जाय?

श्री अध्यक्ष—आप एप्लाई करेंगे तो देखा जायगा।

श्री भैंरूसिंह—एक प्रश्न और रह गया?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—इस १२ बजे के भोंपू ने..........

(हंसी)

Previous Questions agian repeated. Yes, Shri Bhairon Singh.

प्रश्न संख्या ६२८

बनेड़ा (जिला भीलवाड़ा) में मोहर्रम पर यहां की जनता व मुसलमानों का झगड़ा एवं पारस्परिक समझौता

श्री भैंरूसिंह (१६)—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में मोहर्रम के सम्बन्ध में बनेड़ा की जनता व मुसलमानों में कोई झगड़ा हुआ था? यदि हां, तो वह क्या था?

(ख) क्या यह सही है कि इस झगड़े को निबटाने के लिये दोनों ओर के मुखियाओं ने राजाधिराज बनेड़ा को इसका मध्यस्थ बनाया था?

[श्री भैंरूसिंह]

(ग) क्या यह सही है कि राजाधिराज का निर्णय दोनों दलों को मान्य था जिसके फलस्वरूप उस पर दोनों ओर के हस्ताक्षर हो गये थे ?

(घ) क्या दोनों दलों का हस्ताक्षर शुदा फैसला पुलिस को दिया जाकर उसी के अनुसार जनता ने अमल करने की दरख्वास्त दी थी ?

(ङ) क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस के कब्जे से इस निर्णय का वह असली पत्र किन्हीं व्यक्तियों द्वारा निकाल लिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) जी हां। झगड़ा ताजियों को मानकुंड में दफनाने का था। हिन्दुओं ने मानकुंड में ताजियों के दफनाने का विरोध किया। मुसलमानों ने हिन्दुओं के तोरण आदि के डालने का विरोध किया।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) जी हां, अपराधियों के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है।

श्री भैंरूसिंह—यह जांच कब से पेन्डिंग है ?

श्री रामकिशोर व्यास—डेट तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन नोटिस में आई जब से समझ लीजिये।

श्री भैंरूसिंह—किस पुलिस अधिकारी के कब्जे से ये कागजात खो गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—जो इसका इन्चार्ज था। नाम तो मैं नहीं जानता।

श्री कस्तूरचन्द—कागज गुम नहीं हुए, झूठी बात फैला रखी है।

अध्यक्ष—सुनाई नहीं देता, जरा साफ बोलिये।

श्री कस्तूरचन्द—कागजात गुमे नहीं, केवल झूठी बात फैला रखी है।

श्री भैंरू सिंह— क्या यह सही है कि ऐसी शिकायत आई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसी शिकायत आई और इन्क्वायरी की जा रही है।

श्री भैंरू सिंह —पुलिस के अधिकारी के पास से क्या ये कागजात खो गये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास —मैंने 'जी हां' कहा था।

श्री भैंरू सिंह—यह घटना होने के बाद किस अधिकार को जांच के लिये नियुक्त किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—डी. आई. जी. पी. को नियुक्त कर रखा है।

श्री भैंरू सिंह—क्या मौके पर जाकर इस बात की जांच हो चुकी है कि ये कागजात खो गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—रिपोर्ट आने पर पता लगेगा।

श्री मानसिंह मद्दार —जिस व्यक्ति से कागजात खो गये उसका क्या किया ?

श्री रामकिशोर व्यास—डी. आई. जी. को जांच के लिए अपोइन्ट किया गया है; जांच की जा रही है।

श्री भैंरू सिंह—अमूमन इस प्रकार की इन्क्वायरी में कितना समय लगता है ?

श्री रामकिशोर व्यास —अलग अलग केसेज के लिए अलग अलग है ?

श्री भैंरू सिंह—सरकार इस केस में कितना समय इन्क्वायरी में लगाना चाहती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सरकार के पास नहीं है। डी. आई. जी. पी. को पहले से ही जांच के लिए अपांइन्ट कर रखा है।

श्री भैंरू सिंह—क्या इस केस में डिले जान बूझ कर की जा रही है कि जिस व्यक्ति के पास से कागजात खो गये उसको बचाया जा सके ?

श्री रामकिशोर व्यास—सरकार के दिमाग में तो ऐसी बात नहीं है कि किसी अपराधी को बचाया जायं। जो अपराध किसी ने किया है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए।

श्री भैरूं सिंह—सरकार के दिमाग में नहीं है, लेकिन डी. आई. जी. के दिमाग में जरूर है क्या सरकार डी. आई. जी से एक्सप्लेनेशन काल करेगी कि ६ महीने हो गये लेकिन अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास—जल्दी करने को कहा जायगा ।

श्री मानसिंह महार—क्या कोई तारीख निश्चित करेंगे कि कब तक कंपलीट हो जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास—तारीख निश्चित नहीं कर सकेंगे ।

श्री कस्तूरचन्द जैन—प्रतिक्रियावादी लोग झूठे झगड़े फैला रहे हैं मुसलमानों से द्वेष के कारण, क्या यह सही है ?

श्री भैरूं सिंह—क्या इस बात की जांच करेंगे कि डी. आई. जी. ने जान बूझकर जांच नहीं कराई ?

श्री रामकिशोर व्यास—उनकी रिपोर्ट आयगी, उसमें सफिशियेन्ट बात नजर नहीं आयगी तो उनसे पूछा जायगा ।

श्री कस्तूरचन्द जैन—प्रतिक्रियावादी लोग झूठे झगड़े फैला रहे हैं, उसके बारे में सरकार का ध्यान है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री प्रभुदयाल—मेरा प्रश्न ६२५ रह गया है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न नं० ६२५ पूछिये ।

प्रश्न संख्या ६२५

तारानगर जिला चूरू अस्पताल में मरीजों के बेड्स की व्यवस्था करने सम्बन्धी

श्री प्रभुदयाल गुप्ता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:-

क्या कस्बा तारानगर, जिला चूरू अस्पताल में जनाने व मर्दाने- इन्डोर पेशेन्ट्स के लिये बेड्स की पूरी व्यवस्था है ? यदि हां, तो कुल कितने बेड्स हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—वहां पर यथासाध्य इन्तजाम है । ४ बेड्स की व्यवस्था है ।

श्री प्रभुदयाल--क्या तमाम तहसील के लिये ४ बेड्स काफी हैं ?

श्री अध्यक्ष--काफी ना काफी का सवाल नहीं है।

श्री प्रभुदयाल--इसमें कितने बेड्स जनाने हैं और कितने मर्दाने हैं ?

श्री अध्यक्ष--आधे-आधे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--आधे आधे ही समझना चाहिये।

श्री प्रभुदयाल--कितने कमरों में ये चार बेड्स हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--उस होस्पिटल में एक ही कमरा बताया जाता है।

श्री प्रभुदयाल--क्या जनाना और मर्दाना मरीजों को एक ही कमरे में रखना उचित समझते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--व्यवस्था इसी तरह की चली आ रही है।

श्री प्रभुदयाल--मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री प्रभुदयाल--एक प्रश्न और है। क्या आयन्दा के लिये कमरे अलग अलग बनाकर इन्तजाम करने को तैयार हैं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता--कोशिश की जायगी।

(श्री अध्यक्ष ने प्रश्न संख्या ६३० के लिये श्री श्रीदास गोयल का नाम पुकारा और प्रश्न संख्या ६३१ के लिये श्री अवनिकुमार मुखर्जी का नाम पुकारा किन्तु दोनों ही अनुपस्थित थे इसलिये ये प्रश्न नहीं पूछे गये।)

प्रश्न संख्या ६३२

तहसील बनेड़ा (जिला भीलवाड़ा) में जीवासिया तालाब का जीर्णोद्धार पूर्ण कराने सम्बन्धी

श्री कस्तूरचन्द--क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सच है कि तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा में जीवासिया नामी तालाब अधूरा पड़ा हुआ है और इसको ठीक कराने हेतु वहां की जनता ने समय समय पर मांग की है ?

[श्री कस्तूरचन्द]

(२) क्या उक्त तालाब की सरवे ठिकाना बनेड़ा ने अपने शासन काल में फाइनल करा रखी थी ?

(३) अब इस तालाब की वृद्धि के लिये सरकार क्या विचार रखती है ?

श्री खेतसिंह (उपमंत्री)--(क) तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा में जीवासिया नामी तालाब का काम आरम्भ नहीं हुआ था। ठिकाना बनेड़ा की तरफ से सिर्फ मामूली सरवे कराई गई थी। बनेड़ा की जनता ने ठीक कराने के लिये नहीं वरन् नया बनाने के लिये मांग की थी।

(ख) इसका सरवे बनेड़ा ठिकाना ने कराया है लेकिन पूरा नहीं हुआ है।

(ग) फिर से सरवे करा रहे हैं उस पर गौर करके द्वितीय पंच वर्षीय योजना में विचार किया जायगा।

श्री कस्तूरचन्द—सरवे पहले कब हुआ ?

श्री खेतसिंह—सरवे जारी है, फाइनल की डेट नहीं दे सकता।

श्री कस्तूरचन्द—सरवे कब से जारी है ?

श्री खेतसिंह—प्रश्न पूछने के बाद से शुरू हुआ।

श्री कस्तूरचन्द—मैं सूचना दे रहा हूँ कि वहां कोई काम जारी नहीं हुआ है।

श्री खेतसिंह—भाई, हुक्म हो गया है। वहां नहीं पहुँचा होगा, अब पहुंच जायगा तो काम शुरू कर दिया जायगा।

श्री कस्तूरचन्द—क्या फिर जानकारी देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—जानकारी किस बात की ?

श्री कस्तूरचन्द—सरवे का काम शुरू हुआ है या नहीं, इस बात की जानकारी।

श्री अध्यक्ष—अभी बतलाया न कि ऑर्डर दे दिया है।

(विराम)

श्री कस्तूरचन्द, नेक्स्ट क्वेश्चन।

(श्री कस्तूरचन्द अपना प्रश्न पूछ नहीं सके)

(श्री लक्ष्मण हीरात, श्री श्रीदास गोयल एवं श्री कुम्भाराम आर्य के नाम पुकारने पर अनुपस्थित)

श्री कस्तूरचन्द—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष—आप प्रिपेअर होकर नहीं आते। मालूम होता है, ये सवाल किसी दूसरे ने लिख दिये हैं आपके बजाय।

श्री कस्तूरचन्द—मैं लिस्ट देखने में रह गया था।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही से प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है :

(१) श्री रघुराजसिंह (डि० नं० १२१) दिनांक १६ अप्रेल से ३० अप्रेल तक।

(२) श्री लालसिंह शक्तावत दिनांक २४ अप्रेल, १९५६।

क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान मोटर वेहिकल्स रूल, १९५१ के नियम ७१ में किये गये संशोधन की प्रस्तुति

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर वेहिकल्स रूल्स, १९५१ के नियम ७५ में गृह (२) विभाग (यातायात) विज्ञप्ति संख्या एफ १० (८) २ होम २।५४, दिनांक १४ फरवरी, १९५६, द्वारा जो संशोधन किया गया है उसको सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रिफार्म्स एन्ड रिजम्पशन ओफ जागीर्स (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव यह है कि राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एन्ड रिजम्पशन ओफ जागीर्स (चतुर्थ संशोधन) विधेयक को पुनः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री भैरूसिंह (१६)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन से जब आज्ञा चाही जाती है तब कन्वेन्शन यह है कि पहले उक्त विधेयक की कोपीज़ मेम्बर्स के पास पहुँचनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Immediately after.

श्री भैरूसिंह—जब आज्ञा लेते हैं तो।

श्री अध्यक्ष—At the time of the introduction the copies are immediately given. आज्ञा चाही जाती है, आज्ञा हो जायगी तब उसी समय दे दी जायगी।

श्री भैरूसिंह—शायद सदन इस बात का निर्णय ले लें कि आज्ञा नहीं दी जाय तो....

श्री अध्यक्ष—आप रूल्स ओफ बिजनेस देख लीजिये।

श्री भैरूसिंह—रूल्स ओफ बिजनेस के अनुसार श्री दामोदरलालजी व्यास इस विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे, लेकिन उन्होंने पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा चाही है। आज्ञा देने से पहले कोपीज़ मिल जानी चाहिये ताकि हम देख सकें कि आज्ञा देनी चाहिये या नहीं।

श्री अध्यक्ष—ऐसा नहीं है।

श्री भैरूसिंह—इसमें पुरः स्थापित करने के लिये आज्ञा चाही है। आज्ञा चाहने से पहले कोपीज मिलना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—ऐसा है कि जब आज्ञा चाही जाती है तब इनवेरिएबली बिना एक्सेपशन के आज्ञा दे दी जाती है, उसके बाद सदस्यों को कोपीज़ दे दी जाती हैं। इन्ट्रोड्यूस करते हैं, फिर कंसीड्रेशन की स्टेज आती है उस समय देखकर यदि यह सिद्धान्ततः विपरीत पड़ता है रिजेक्ट किया जा सकता है।

[श्री अध्यक्ष]

क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एंड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैंरूसिंह—(१६) ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, अभी यह चीज स्पष्ट नहीं हुई है कि जब सदन में हां और ना की आवाज निकाली जाकर स्वीकृति दी जाती है तो मंशा यह है कि सदन इन्ट्रोड्यूज करने की इजाजत देता है। जब सदन को जानकारी ही नहीं है कि विधेयक क्या है तो पहले इजाजत देना किस प्रकार से ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—पहले कैसे ?

श्री भैंरूसिंह—जब 'हां' या 'ना' कहते हैं....

श्री अध्यक्ष—There is some misconception.

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण (पुनः प्रवर्तन) विधेयक, १९५६

(पुरः स्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण अधिनियम, १९५४ के प्रावधानों को पुनः प्रवर्तित और पुनः अधिनियमित करने का विधेयक पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण अधिनियम, १९५५ के प्रावधानों को पुनः प्रवर्तित और पुनः अधिनियमित करने का विधेयक पुरःथापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं इस विधेयक को पुरःथापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—yes, shri Ram kishore Vyas.

राजस्थान लोक समाज बहिष्कार निवारण विधेयक, १९५६

(प्रवर समिति की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि)

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोक समाज बहिष्कार निवारण विधेयक, १९५६ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थान के हेतु नियत समय को २५ अप्रैल १९५६ तक बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

राजस्थान व्योहरा विधेयक, १९५६

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि)

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान व्योहरा विधेयक, १९५६ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को दो माह तक बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि उक्त विधेयक पर प्रवर समिति से प्रतिवेदन आने की अवधि दो माह और बढ़ा दी जाय?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

राजस्थान लोक समाज बहिष्कार निवारण विधेयक, १९५६

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति)

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोक समाज बहिष्कार निवारण विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५४
(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष–Yes, Rajasthan Municipalities Bill 1654, Clause 46

श्री भैरूंसिंह–Clause 45.

श्री अध्यक्ष—क्लॉज ४५ डेफर कर दिया था। क्लॉज ४६, श्री भैरूंसिंह

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय क्लॉज ४६ में मेरा संशोधन है ;

"Delete sub clause [3]

मैं माननीय अध्यक्ष, इस डिलीशन के बारे में विशेष कुछ कहूँ इससे पहले माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्लॉज ४५ का सम्बन्ध क्लॉज ४६ से है। इसलिए जब क्लॉज ४५ को डेफर किया है तो इस क्लॉज को भी डेफर कर दें तो अच्छा रहेगा, ताकि अच्छी तरह से विचार किया जा सके। अगर वे इस स्थिति में नहीं हैं तो मैं इस बारे में और कुछ कहूंगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री स्वायत्त शासन मंत्री से) क्यों साहब,........Clauses 45 and 46 are corelated.

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—It should be deferred.

[स्वीकृति के पश्चात्]

श्री अध्यक्ष--Agrees. Clause 47.

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—Clause 47 is also co-related. On the same ground it should be deferred.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चेयरमेन के लिये और वाइस चेयरमेन के लिये है।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—Clause 47 should be deferred.

श्री अध्यक्ष—Clause 47. what is the wish of the house ?

[कुछ क्षणों के लिये विराम के अनन्तर]

Page No 46

श्री भैरूं सिंह—यह चेयरमेन और वाइस चेयरमेन को हटाने का क्लॉज है। इन सब को हटाने के बारे में नीति नहीं अपना पाये हैं। मेम्बर्स को हटाने के बारे में डेफर कर रहे हैं तो चेयरमेन और वाइस चेयरमेन को हटाने की क्लॉज डेफर न करके उस पर विचार किया जाय, यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—म्युनिसिपैलिटीज़ बिल को अपनाने की नीति तो अपना ली है न ?

श्री भैरूं सिंह—इसको अपना लेने से क्या हुआ साहब जब मेम्बर्स को हटाने का क्लॉज डेफर कर दिया गया है तो........

श्री अध्यक्ष—(मंत्री, स्वायत्त शासन, विभाग को सम्बोधित करते हुये) इनको आप आउट साइड दी हाउस डिस्कस करके तय करिये।

क्लॉज़ ४७ को डेफर करें क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप चाहें तो मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—No, I don't want,

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आगे ले लीजिये।

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, इन पर डिस्कशन्स कर लिये जांय, निर्णय बाद में कर लें।

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ४७ में मेरे संशोधन इस प्रकार हैं, पहला संशोधन मेरा इस प्रकार है": Sub-clause 2-line 1. insert the following between the words 'elected' and 'in:'.

"By secret ballot and a majority of votes of members of the Board".

माननीय अध्यक्ष, सब क्लॉज (२) में ऐसी व्यवस्था की गई है कि चेयरमैन का इलेक्शन इस प्रकार से होगा। चेयरमैन के इलेक्शन के लिए सब क्लॉज २ में लिखा है :

"The Chairman shall be elected in accordance with rules made by the State Government in that behalf by the members of the board from amongst themselves."

[श्री भैरुसिंह]

मैंने इसमें ऐसा संशोधन किया है कि सब क्लॉज (२) लाइन वन में यह व्यवस्था कर जाय कि:--

"By secret ladellot and a majorty of votes of members of the Board."

श्री अध्यक्ष—कोरम नहीं है।

[घन्टी]

श्री हिम्मतसिंह—खाना खाकर आते हैं इसलिए नींद आती है।

श्री अध्यक्ष—कल से सुबह का टाइम चेंज कर देंगे।

श्री घोसीसिंह—सबन की येशी मंशा है कि कोरम कर ो मत, सुबह को टाइम हो जायगो।

श्री अध्यक्ष—कल सुबह ८ बजे से रखेंगे।

श्री भैरूसिंह—(८६) जो इलेक्शन का तरीका, चेयरमेन के चुनाव के लिए सरकार निर्धारित करने वाली है, वह अभी तक हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। जहां तक पंचायतों के चुनाव का तरीका अपनाया है, तहसील पंचायतों के चुनाव का तरीका अपनाया है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव का तरीका अपनाया है, उस तरीके को उस एक्ट में इन्कोरपोरेट कराया है पर जहां म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन के इलेक्शन के तरीके की बात आती है और इस एक्ट में इसका अभाव मिला तो, उनकी जो मनगढंत पोलिसी हो सकती है उसके कार्य रूप में आ सकने की संभावना है, इस लिये इसको रूल्स में इन्कोरपोरेट करना चाहते हैं। सरकार ऐसे रूल्स बनादेगी जिससे चेयरमेन का इलेक्शन होगा पर इसमें सरकार कोई भी तरीका अपना सकती है अगर मेजोरिटी ओफ वोट्स से इलेक्शन होगा तो उस आधार पर बना सकती है, प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर इलेक्शन करवाने होंगे तो सरकार वह तरीका अपना सकती है। यदि सरकार को यह पता लग जाए कि उनका दल इस इलेक्शन सिस्टम से जीतेगा तो वह उसको रूल में इनकोरपोरेट कर देगी। यदि सरकार को यह मालूम हो जाए कि उनका दल फर्स्ट बेलेट, सेकिन्ड बेलट और थर्ड बेलेट सिस्टम के तरीके से चुनाव कराने से जीत सकता है तो वह उस तरीके को अपनावेगी।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

[श्री भैरूंसिंह]

अगर सरकार यह समझे कि जिस तरह से यू. पी. और मध्य भारत में और दूसरे प्रान्तों में चेयरमैन का चुनाव होता है उससे उनका दल जीतेगा तो उस तरह की व्यवस्था कर देगी। हमने हमारे यहां पंचायतों के चुनाव किस तरह से हुए हैं देखा है। म्युनिसिपेल्टी के चुनाव किस तरह से हुए हैं। देखा है। तहसील पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हुए हैं, उनको भी देखा है। मगर हम यह नहीं समझ सकते कि म्युनिसिपेल्टीज़ के सदस्यों के चुनाव के बाद चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन का यह चुनाव किस तरह से होगा।

माननीय चेयरमैन, अभी तक मैं देख रहा हूँ कि कोरम नहीं है।

(गण पूरक घंटी)

श्री भैरूंसिंह—माननीय चेयरमैन, हाउस आज इस मूड में नहीं है कि इस क्लॉज को लिया जाए। इसलिये मेरा ख्याल है कि आज हाउस को एडजोर्न कर दिया जाए।

श्री सभापति—कल से सुबह ८ बजे का समय कर दिया गया है। इस खुशी में मैं समझता हूँ कि आज तो सबको कोरम पूरा करना चाहिये। अगर ट्रेजरी ब्रांच के मिनिस्टर ही हाजिर रहें तो कोरम पूरा हो सकता है।

श्री भैरूंसिंह—सभापति महोदय, म्युनिसिपेल्टी जैसा महत्वपूर्ण बिल आज हाउस में डिस्कस हो रहा है, मगर सदन का यह बदकिस्मती है कि इस समय न तो हाउस में मिनिस्टर ही मौजूद हैं और न कोरम ही पूरा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सदन के १०, १५ सदस्य बैठ कर इस पर विचार कर लें और बाद में इस पर बहस हो जाए। फिलहाल इस क्लाज को डेफर कर दिया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस पर विचार करने के बाद बहस हो जायगी। आज तो कोरम नहीं होने के कारण एज़. ए. प्रोटेस्ट, एजेम्पतरी तौर पर, सदन को स्थगित कर दिया जाना चाहिये।

श्री खेतसिंह—सभापति महोदय, मिनिस्टर भी मौजूद है, डिप्टी मिनिस्टर भी मौजूद हैं। ये तो चाहते हैं कि किसी तरह से १२॥ मिलते रहें।

रावराजा श्री सरदारसिंह—आज तबियत भी ठीक नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अलग अलग संस्थाओं के लिए अलग अलग तरीका अपनाया है। ऐसी सूरत में अगर हम म्युनिसिपल चेयरमैन के लिये चुनाव का कोई नया तरीका अपनाकर एसेम्बली को मुगालते में रख कर कानून पास करालेंगे और उस तरीके को कानून में इन्कोरपोरेट नहीं कर दें, यह देखना है। अगर ऐसा करके हम सरकार को इसका अधिकार दे देंगे तो मैं यह कहूंगा कि यह लोकल सेल्फ बोडीज़ के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और इस अन्याय के साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि यह प्रजातन्त्र में

[श्री भैंरूसिंह]

स्वायत्त शासन की संस्थाओं को खत्म करने की एक प्रकार की योजना होगी और उससे हम इस बात की भी आशा नहीं कर सकते, कि वह प्रजातान्त्रिक तरीका अपनावेगी। हमने पंचायतों के चुनाव कराये। सरपंच के चुनाव कराये, तहसील पंचायतों के चुनाव कराये। उनके लिये हमने तरीके एक्ट में प्रोवाइड किये। यह सब हमने देखा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों के चुनाव हुए, उनको भी हमने देखा। किस प्रकार उनकी व्यवस्था की गई। मगर आज वाइस चेयरमेन और चेयरमेन के चुनाव के लिए एसेम्बली को मुगालते में डाल कर सरकार यह अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती हैं। सरकार यह कहती है कि जो रूल्स सरकार बनाएगी उसके अनुसार चुनाव होंगे। मैं यह कहूंगा कि यह एसेम्बली को मुगालता देने की बात है। इसके लिये कोई स्पष्ट तरीका नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि इस तरीके से चुनाव करायेगी। इसके लिये मैंने तरीका बताया है। यदि उस तरीके से चुनाव कराया जावे तो किसी को किसी तरह का एतराज नहीं हो सकता और उसमें वोट देने का तरीका भी सिक्रेट बेलट से होगा। इससे सरकार जो अपने अपने लोगों को लाना चाहता है और दूसरा षडयंत्र रचना चाहती है वह सब दूर हो जाएगा और सबको चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी। इसीलिये सब क्लॉज २ में मेरा संशोधन है।

आगे मेरा एक और एमेन्डमेंट है और वह सब क्लाज (७) में है,:—

Insert the wohds 'in the aggregate' after the words 'six months' occurring in the second line.

सब क्लाज ७ में व्यस्था की गई है।

"(7) Leave under the last preceding sub-section shall not be granted for a period exceeding six months"

यदि कोई चेयरमेन छुट्टी जाता है तो वह कितने दिन की छुट्टी बोर्ड से लेकर जा सकता है। कितने दिन की छुट्टी सरकार स्वीकार करेगी। कितने दिन की छुट्टी वह सरकार को बिना सूचना दिये म्युनिसिपल बोर्ड से जा सकेगा। हमने इसमें उसको छुट्टी देने की व्यवस्था की है।

"(6) Every Chairman or Vice-Chairman who for a period exceeding one monxh, remains absent from the municipality as to be unable cease to be Chairman or Vice-Chairman unless leave so to absent himself has been granted by the Board"

हमने बोर्ड को अधिकार दिये हैं कि वह इस प्रकार की छुट्टी देगा। अंत में यह कहते है :

"(7) Leave under the last preceding sub-section shall not be be granted for a period exceeding six months."

इसका मतलब यह है कि चैयरमेन और वाइस चैयरमेन को ६ महीनों की छुट्टी दी जा सकती है। ६ महीनों की छुट्टी दी जाए इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर आज वे इसलिये छुट्टी लेते हैं कि

[श्री भैरु सिंह]

उनके खिलाफ नो कोनफीडेन्स मोशन आने वाला है उससे बच जावे, इसलिये छुट्टी लेते हैं कि उन्होंने म्युनिसिपेलिटी का पैसा अपने निजी उपयोग में लिया है और अगर वे वहां जाते हैं तो म्युनिसिपैल्टी के सदस्य उनसे पैसों का हिसाब मांगते हैं, यदि वे इसलिये छुट्टी लेते हैं कि म्युनिसिपैल्टी की मोटर कार जो उनके पास हैं, निजी काम में लेने के कारण टूट गई है और सदस्य टूट फूट के बारे में जबाब तलब करेंगे, यदि वे इसलिये छुट्टी लेते हैं कि सरकारी पैसों के गबन के मामले जो उनके खिलाफ विचाराधीन हों उन पर कोई विचार नहीं हो पाए तो इसके लिये विचार करना है। ऐसी हालत में वे यह चाहते हैं कि उनको छुट्टी दी जाय, उनको छुट्टी दी जाए और इसके लिये हमने ६ महिनों का समय रखा है मगर छः महीनों का समय समाप्त होने पर फिर उनको छुट्टी न दी जाए इसके लिये मैंने अपना यह संशोधन रखा है। अमुमन होता क्या है कि सरकार अपने अधिकारोंका दुरुपयोग करता है जैसा कि हमने देखा है और एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति ६ महीनों के प्रोबेशन बेसिस पर हुई। उसके बाद उसको फिर अवधि बढ़ा दी गई और बगैर पी. एस. सी. के एप्रुवल के। इसलिये ऐसा न हो कि सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग करे। सरकार अपनी सत्ता को चाहे जिस तरह उपयोग करे मगर जहां तक हमारा बस न चलेगा हम यही चेष्टा करेंगे कि सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करे। इसलिये हमने यह रखा है और अपना संशोधन प्रस्तुत किया है :

"for a period exceeding six months in the aggreate."

यदि चेअरमेन ६ महीनों की छुट्टी ले रहा है तो हम हर हालत में उसको छुट्टी देने वाले हैं। मगर ६ महीनों से ज्यादा नहीं देंगे। यह मैंने अपने संशोधन में रखा है कि उसको ६ महीनों से एक दिन की भी ज्यादा छुट्टी नहीं दी जाए अगर वह ज्यादा छुट्टी लेना चाहता है तो उसको चाहिये कि वह अपना त्यागपत्र दे दे। मैंने यह संशोधन इसलिये रखा है कि जान बूझ कर वह छुट्टी नहीं ले। मैं आपको बताऊंगा कि जान बूझ कर कई चेअरमेन हाजिर नहीं होते और यह समझते हैं कि काम तो चल ही रहा है। हमारे पास म्युनिसिपैल्टी के पैसे हो जावेंगे तो हिसाब मांगेगे। इसलिये वह नहीं जाता है और छुट्टी ले लेता है जब ६ महीने समाप्त होते हैं तो वह एक दिन हाजिर होकर फिर इस कानून के अनुसार छुट्टी जा सकता है और इस तरह से वह तीन वर्ष या दो वर्ष जितने भी निकालने हों पूरे कर सकता है। क्योंकि हमने अधिकार दिया है उसको ६ महिने की छुट्टी देने का। मगर मैंने जो संशोधन रखा है उसके अनुसार वह ६ महीने की छुट्टी एक दफा ले सकेगा और उसके बाद कोई छुट्टी नहीं ले सकता। जब ६ महीने की छुट्टी पूरी हुई एक दिन की हाजरी दे दी और नेक्स्ट इन्स्टालमेन्ट फिर ६ महीने की छुट्टी ले ली इस तरह से तीसरी दफा भी एक दिन की हाजिरी दे दी और फिर छ महिने की छुट्टी लेकर पूरा समय व्यतीत कर सकते हैं और चेयरमेन बने रह सकते हैं और इस तरह से छुट्टी में रह कर भी चेयरमेन बने रह सकते हैं इस तरह से छः महिने की छुट्टी देने की व्यवस्था जो हम कानून द्वारा करने जा रहे हैं वह उचित नहीं है।

दूसरा संशोधन है सब क्लॉज ६ के पार्ट ए

"Substitue the words. 'more than one-half' for the words 'not less than two-thirds', in the sscond line."

[श्री भैरोंसिंह]

सब क्लॉज ६ में यह व्यवस्था की है।

"Every Chairman and every Vice-Chairman of a Board shall forth-with be deemed to have vacated his office.

(a) if a resolution expressing want of confidence in him is passed by the votes of not less than two-thirds of the whole number of members at a special general meeting convened for the purpose."

अगर किसी चेयरमेन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आता है और उस अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में बोर्ड के पूरे सदस्यों में दो तिहाई सदस्य अगर इस पक्ष में नहीं आते हैं तो उनको हटाया नहीं जा सकता.......चेयरमेन महोदय फिर कोरम पूरा नहीं है।

श्री सभापति—कोरम पूरा है आप चालू रखिये।

श्री भैरूंसिंह—(जारी रखते हुए) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था हमने इस कानून में अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन को हटाने की व्यवस्था की है लेकिन इस व्यवस्था के साथ साथ हमने यह पाबन्दी लगा दी है कि अविश्वास का जो प्रस्ताव आवे तो क्या हुआ हम ऐसी रुकावटें डाल सकते हैं जिसके कारण म्युनिसिपल चेयरमेन नहीं हटाया जाय।

सभापति महोदय, अगर असेम्बली में सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो जैसे असेम्बली में १६० सदस्य हैं उसमें से यदि ८१ सदस्य विरोध में मत दें तो सरकार को हटाया जा सकता है। और दूसरे दल को सरकार बनाने के लिये निमन्त्रित किया जा सकता है। यदि पंचायतों में अविश्वास का प्रस्ताव आता है, अगर किसी पंचायत में १६ सदस्य हैं उन १६ में से ६ सदस्य अविश्वास के पक्ष में मत देते हैं तो सरपंच को हटाया जा सकता है। इसी प्रकार तहसील पंचायत मेंभी एक आदमी के बहुमत से तहसील पंचायत के सरपंच को हटाया जा सकता है और इसी प्रकार की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की है। लेकिन जब इस प्रकार का प्रश्न म्युनिसिपल बोर्ड में आता है तो इन सब चीजों को बलाये ताक में रखकर अजीब तरीका निकालने की कोशिश की जा रही है। इस पर माननीय मंत्री महोदय यह कहेंगे कि इसी प्रकार का कायदा दूसरे प्रोविन्सेज में भी है लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बतलाना चाहता हूं कि जिन प्रान्तों में इस प्रकार के कायदे हैं वहां म्युनिसिपल बिल लेजिस्लेटिव असेम्बली से पास नहीं हुआ है। जिस प्रकार राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ बिल एक सो काल्ड पोपूलर गवर्नमेन्ट के वक्त में लागू हुआ जो एक प्रकार एरोस्ट्रोकेट गवर्नमेन्ट थी वह एक पार्टी की सरकार जरूर हो सकती है जो बिना चुनाव हुए गवर्नमेन्ट बनी थी उस समय एक आर्डिनेन्स के जरिये यह टाउन म्युनिसिपलिटीज़ एक्ट लागू किया गया। उसी कानून के आधार पर हमारी सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है कि हम उस कानून की नकल नहीं कर सकते इसलिये उस बिल को सदन द्वारा सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया और उसमें विशेष

[श्री भैंरू सिंह]

प्रकार से परिवर्तन भी किये गये उसमें जो व्यवस्था कर दी गई थी वह मौजूदा व्यवस्था के प्रतिकूल है। अभी कल जब इस प्रकार का प्रश्न आया जब कि रुल्स ओफ प्रोसीजर को डिसकश किया जा रहा था उसमें मैंने इस प्रकार का संशोधन रखना चाहा था कि अध्यक्ष का चुनाव बहुमत के आधार पर न कराया जाय इसलिये नहीं कराया जायं कि सरकार आज बहुमत में है। ऐसा मौका भी आ सकता है कि यहां कई ग्रुप्स बन जाय और कोई भी ग्रुप सिंगल मेजोरिटी में न हो तो ऐसी हालत में स्पीकर का चुनाव फर्स्टसेकिन्ड और थर्ड बेलट सिस्टम के आधार पर होना चाहिये लेकिन उसको माना नही गया और वह बहुमत के आधार पर वह नियम पास करवा लिया गया इस तरह से आप कोई भी चुनाव रखते हैं तो बहुमत के आधार को लेकर होता है उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने दुनियां भर की बातों को लेकर सदन में अपने कथन की पुष्टि के लिये हवाला दिया दुनियां भर की बातों का लेकिन जब चेयरमेन म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव का प्रश्न आता है जब कि मेजोरिटी नो कोनफीडेन्स का मोशन लाकर उसे हटा सकती है इसमें किसी प्रकार की रुकावट पैदा करते हैं तो अच्छी चीज नही है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था जो तरीका अपनाने के लिये रखा गया है वह तो इसलिये कि सरकार के सामने अभीतक म्युनिसिपैलिटी की प्रोग्रेस नहीं, उनके पास यह दृष्टिकोण नहीं है किस किस म्युनिसिपैलिटी में कांग्रेस किस आधार पर जीतने वाली है और दूसरा दल कितनी सीटें हासिल कर सकेगा जब सारी स्थ्रुपिकचर उनके सामने आ जायगी तब अपनी पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए रुल्स बनाये जायेगें। चुनाव के लिये रुल्स नहीं म्युनिसिपल चेयरमेन को हटाया नहीं जा सकता दो तिहाई आदमी जब तक न हो तबतक नो कोनफीडेन्स मोशन नहीं लाया जासकता। मैं इसमें यह संशोधन चाहता हूं कि दो तिहाई आदमी की आवश्यकता नहीं एक आदमी के बहुमत से भी चेयरमेन को तुरन्त हटाया जाना चाहिये लेकिन यहां तो एक विशेष प्रकार की प्रणाली ही अपनायी जाने की सोच रखी है। मैंने यू.पी का म्युनिसिपल एक्ट देखा है वहां चेयरमेन का डाइरेक्ट इलेक्शन होता है मेम्बर्स का डाइरेक्ट इलेक्शन होता है जिस प्रकार सरकार में अविश्वास के प्रस्ताव के लिये व्यवस्था करने जा रहे हैं वही व्यवस्था म्युनिसिपल एक्ट में संशोधन लाकर मेजोरिटी द्वारा नो कोनफीडेन्स मोशन रखा जा सकता है इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन फिर इतना होते हुए भी अपनी दलील पर आप जोर डाल रहे हैं कि दो तिहाई उस पक्ष में मत नहीं होते तबतक उसे हटाया नहीं जायगा। जहां हम सभी क्षेत्र में बहुमत का सिद्धान्त मानते हैं मेजोरिटी के सिद्धान्त के यह प्रतिकूल है इसलिये मरा संशोधन इस प्रकार से है कि अगर बहुमत चाहता हो कि चेयरमेन को हटा दिया जाय तो उस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये।

सब क्लाज ९ बी में मेरा संशोधन है। वह क्लॉज इस प्रकार है—

"(b) if resolutions expressing want of confidence in him are passed by the votes of more than one half of the whole nuwber of members at special general meetings convened for the purpose within an interval of not less than two months and not more than four months fron each other."

इसमें मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया वह यह है वह जो शब्द—

[श्री भैरूसिंह]

Delete the words 'within an interval..........................from each other.'

इन शब्दों को डिलीट कर दिया जाय।

चेयरमैन महोदय, यह दूसरा फन्दा है जो पहले वाले फन्दे से ज्यादा तगड़ा है। किसी भी चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता पहले तो पाबन्दी कर दी दो-तिहाई वोटों की : जब तक दो तिहाई वोट नो कोनफीडेन्स मोशन के पक्ष में आयेंगे तभी नकोनफीडेन्स मोशन पास किया जायगा लेकिन अब इसमें आता है—

"if resolutions expressing want of confidence in him are passed by the votes of more than one-half of the whole number of members at special general meetings convened for the purpose within an interval of not less than two months and not more than four months from each other."

यह एक तरीका है जिसकी हम आगे चल कर व्यवस्था कर रहे हैं कि चेयरमैन के खिलाफ अगर एक अविश्वास का प्रस्ताव आ जाय तो दुबारा छ: महीने तक दूसरा अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकेगा। यह हमने आगे के क्लॉज में व्यवस्था कर रहे हैं। वह क्लॉज आये उससे पहले चेयरमैन किसी भी प्रकार हटाया न जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था कर दें और यह व्यवस्था कर रहे हैं: if a resolution expressing want of confidence in him is passed by the votes of not less than two-thirds of the whole number of members at a special general meeting convened for the purpose."

और इसका मतलब यह हुआ "Every Chairman and every Vice-Chairman of a Board shall forthwith be deemed to have vacated his office—

इस सूरत में खाली करेंगे जिस सूरत में आई दी...."by the votes of not less than two-thirds of the whole members.

दूसरी शर्त होगी "if resolutions expressing want of confidemce in him are passed by the votes of more than one-half of the whole number of members at special general meetings convened for the perpose within an interval of not less than two months and not more than four months from each other."

यह उसी सूरत में हम मानेंगे जिस सूरत में इस सब क्लॉज ८ के (ए) क्लॉज को हम स्वीकार करते हैं। यदि २-३ की व्यवस्था नहीं होती है, २/३ के स्थान पर मेजोरिटी से हो सकता है तो उस सूरत में (बी) की आवश्यकता नहीं। इसमें यह व्यवस्था करते हैं कि २/३ आजावे तो शुरु में ही हट जावेगा, अगर २/३ नहीं और मेजोरिटी से २ महीने से कम नहीं और चार महीने से ज्यादा नहीं हो तो इन दो महीनों में दो मीटिंगों में बहुमत से पास हुआ माना जावे तो हट सकता है। २/३ की मेजोरिटी से पास होता है तो पहले मोर्चे में ही हटा देंगे। यह मेरी समझ में नहीं आया कि २/३ और मेजोरिटी में यह इस प्रकार का अन्तर क्यों रक्खा गया ? अगर २/३ की राय ली हुई है

[श्री भैरूं सिंह]

तो जब तक २/३ की स्वीकृति नहीं आती है तब तक हम उसको नहीं हटावेंगे तो न मालूम यह किस प्रकार का तरीका अपना रहे हैं। दो-चार महीने का समय भी दें—

"By a majority of votes; by the votes of more than onehalf of the whole number of members.

कितने नम्बर हैं इसमें, अगर मेजोरिटी वोट आ जाते हैं और दो चार ऐसे प्रस्ताव आ जाते हैं तो हटा दिया जावेगा।

ये तीनों चीजें इतनी कन्ट्राडिक्टरी हो जावेंगी कि न्याय संगत रूप में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। एक तरफ कहते हैं कि २/३ से हटावेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं दो बार नो कोन्फीडेन्स मोशन आवेगा और दो से चार महीने के समय में आवेगा तो हटा देंगे। छः महीने के अन्दर अगर नो कोन्फीडेन्स मोशन आता है तो उसको हटाने के लिये तैयार नहीं। ये तीनों चीजें इतनी कन्ट्राडिक्टरी हैं कि उनको एक साथ रखना न्यायसंगत नहीं हो सकेगा। इसलिये सारी चीजों को, कम्प्लीकेशन्स निकालने के लिये, न अपना कर एक बात अपना लें। बहुमत से पास करवा दो। अगर बहुमत से पास होता है तो चेयरमैन को वहां से हटा दो।

माननीय सभापति महोदय, एक एक मूव करूं या सभी एक साथ।

श्री हिम्मतसिंह (सभापति)—नहीं, यह तो एक ही क्लॉज है। सब एक साथ रख दें।

श्री मुक्तिलाल—भूल जावेंगे साहब एक साथ रखने की सारी बातें।

श्री सभापति—नहीं, भूलो मत, काहे को भूलते हो।

श्री भैरूं सिंह—ऐसा ही पहले भी हुआ है कि समय की बचत करने के लिये एक एक सब क्लोज के बारे में विचार कर लें। मैंने सब क्लॉज (६) तक अपने विचार प्रस्तुत कर दिये हैं, आगे के अमेन्डमेंट्स की जरूरत भी पड़े या नहीं, यह वाद-विवाद से मालूम हो जावेगा। इसलिये सदन का समय भी बचाने के लिये अगर एक एक पर अलग अलग से विचार हो जाय तो ठीक रहेगा।

श्री सभापति—बेहतर तो यही है कि आप अपने पूरे अमेन्डमेन्ट्स अभी पेश कर दो।

श्री मुक्तिलाल—एक एक ले लो साहब।

श्री भैरूं सिंह—मुक्तिलाल जी भी कह रहे हैं।

श्री सभापति—ये ज्यादा समझते हैं इसलिये कह रहे हैं।

(हंसी)

श्री भैंरू सिंह—मेरी भी डिफिकल्टी है। वैसे यह मसला बहुत इम्पोर्टेन्ट है और एक दूसरे से इतने मिले हुए हैं कि एक पर निर्णय हो जाता है तो दूसरे को लाने की फिर जरूरत ही नहीं रह जाती है।

श्री मुक्तिलाल—आपको एतराज क्या है? हाउस का समय भी बचेगा, डिफिकल्टी भी दूर होगी और कई सदस्य बोलेंगे भी।

श्री सभापति—(श्री मुक्तिलाल से) वे (श्री भैंरु सिंह) खड़े हैं तो आप बैठ जावें।

वैसे यह क्लॉज डिफर होने वाला था; आपने इच्छा जाहिर की थी कि डिसकशन कर लिया जावे, इसलिये पूरा डिसकशन हो कर लें इस क्लॉज पर तो ठीक रहेगा।

श्री भैंरू सिंह—डिसकशन तो हो जावेगा एक एक क्लॉज पर तो सबको सहूलियत रहेगी।

श्री सभापति—खाली जब डिसकशन के लिये ही रक्खा गया है तो आप सब पर एक साथ डिसकशन कर लें।

श्री श्रीमानसिंह—राइट कन्क्लूजन पर तो तभी आवेंगे जब कि एक एक पोइन्ट पर बहस कर ली जावे जिससे कि एक एक पोइन्ट समझ में आ जावे।

श्री सभापति—अपने अपने पोइन्ट समझिये, याद रखिये; बोलिये नहीं।

श्री भैंरू सिंह—तो इस सब क्लॉज (६) (बी) में मेरा एक दूसरा संशोधन भी है और यह है—

"if resolutions expressing want of confidence in him are passed by the votes of more than one-half of the whole number."

और यह मेरा संशोधन इसलिये है कि हम यह व्यवस्था कर रहे हैं जैसा 'मोर देन वन हाफ की व्यवस्था की है Move thanone halt of the whole number·······"

श्री सभापति—(सदन में सदस्यों में परस्पर बातें करने पर) बात कमती हो तो बेहतर होगा।

श्री भैंरू सिंह—इस "whole" की जगह "Our half of the persent number of members at special general meeting" कर दिया जावे।

अविश्वास के प्रस्ताव को ठुकराने का दकियानूसी तरीका तो है ही। पर पहले यह तरीका छोटे रूप में हमारे सामने आया है। अगर किसी चेयरमेन में अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो उसे हटाने के सम्बन्ध में जो तरीका हम बना रहे हैं उसमें जैसा मैंने उल्लेख किया २१३ के अलावा दो दफा अविश्वास का प्रस्ताव आकर बहुमत से पास होता है तो हट सकता है; पर इसमें एक अड़चन पैदा कर दी कि बहुमत से जो प्रस्ताव पास होगा उसमें होल नम्बर एक में १५ सदस्य हैं, तो उसमें ८ का बहुमत नहीं होगा, तबतक वह नहीं हटाया जा सकता। मैं यह कहता हूँ कि चैयरमेन को हटाने के

[श्री भैंरू सिंह]

लिये एक तरीका बनाया है जिसको कानूनी रूप देंगे। इसमें यह व्यवस्था की है कि जब म्यूनिसिपैलिटी के १।३ मेम्बर यह चाहें कि इसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सके तो वह १।३ मेम्बर नोटिस के द्वारा प्रैस्क्राइब्ड ओथोरिटी को सूचना देंगे कि अमुक चैयरमैन के अन्दर हम अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहते हैं और वह प्रैस्क्राइब्ड ओथोरिटी सात दिन के अन्दर, एक महीना पच्चीस दिन के अन्दर अन्दर तारीख निश्चित करेगा और उसकी सूचना सात दिन पहले सब सदस्यों को पहुंचावेगा।

तो इसमें आगे यह भी व्यवस्था की है कि अगर प्रैसाइडिंग आफीसर बीमार हो जावे तो कार्यवाही स्थगित कर दी जावे। फिर भी जितनी चेष्टा कर सकते थे की है।

यहां दूसरी अड़चन पैदा कर रहे हैं। इसकी धारा यों ही मन्जूर हो गई, जिससे न तो २।३ बन सकती है न और ही। यदि बहुमत बनता है तो १५ में से आठ होंगे। जिस दिन अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना अधिकारियों को पहुंच जावे और जिस दिन विचारार्थ लिया जावे उस दिन मौजूद हों, उनमें से बहुमत यदि अविश्वास के पक्ष में है तो वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जावे, इस प्रकार की धारा नहीं होनी चाहिये। इससे क्या होगा यदि किसी म्यूनिसिपैलिटी के चैयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ गया और वह पास होने वाला है तो हम अपने मेम्बरों से या और मेम्बरों से कहेंगे कि किसी तरह से एब्सेन्ट हो जाओ और इसका नतीज यह होगा कि मेम्बरों ने मीटिंग अटेन्ड नहीं की। टोटल मेम्बर्स में से बहुमत नहीं हुआ इसलिये यह प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता।

मैं कहता हूं कि अविश्वास का प्रस्ताव म्यूनिसिपैलिटी का एक मुख्य अंग है। इसमें जितना सोच समझ कर सकते हैं करना चाहिये और इसकी अपेक्षा भी करते हैं। यदि उस दिन सदस्य एब्सेन्ट हैं तो या तो वह कोशिश करे कि वह सदस्य भी हाजिर रहे या जिनके खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव पास कर रहे हैं वे सबको लेकर इकट्ठा करें। हम जबर्दस्ती उनको आने से क्यों रोकें? ऐसा क्यों करें कि बहुमत नहीं बनता है टोटल में से तो नहीं हटेगा। मैं समझता हूं कि यह उचित व्यवस्था है।

आज भी यदि इस विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव आता है और अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में १६० में से ८१ आदमियों की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस वक्त नो कोन्फीडेन्स का मोशन इस सदन में विचारार्थ लिया जाता है उस समय जिस पार्टी का बहुमत होगा, चाहे कितने ही आदमियों का बहुमत हो, यदि ४० में से २० आदमी होंगे और ६० में से ३१ आदमी होंगे तो काम चलेगा। यह नहीं देखेंगे कि ६० आदमियों के अन्दर नो कोन्फीडेन्स मोशन लाया जाता है और इसके लिए ८१ आदमी अगर पक्ष में नहीं होंगे तो अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा करना सब बेकार हो जायगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें प्रेजेन्ट जोड़ कर इस प्रकार की व्यवस्था कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

[श्री भैरूंसिंह]

आगे के सब क्लाज में भी मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है कि सब क्लाज (१०) को डिलीट किया जाय ! वह क्यों ? सब क्लाज (१०) में व्यवस्था की है कि :

"Every Chairman and every Vice-Chairman shall, after an opportunity is afforeded for hearing him, be removable from his office as such Chairman and Vice-Chairman by the State Government for misconduct in the discharge of his duties or for neglect of or in-capacity to perform his duties or if he is unabie to pay his debts !'

अब तक इस क्लॉज में जैसी व्यवस्था थी उस व्यवस्था के प्रतिकूल मैं कुछ बात कहने वाला हूँ। अब तक तो यह था कि अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा चेयरमैन को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। यह तो आ गई एक दल की बात। अब यदि किसी सदस्य के खिलाफ, किसी चेयरमेन के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा उसको नहीं हटाया जा सकता है तो सरकार अधिकार लेती है कि हम उसको किस प्रकार से हटा सकते हैं। इस सब क्लॉज (१०) में सरकार वह अधिकार ले रही है, म्युनिसिपल्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन को हटाने के लिए। किस कारण से ? जो कारण दिये वह यह हैं कि:—

"be removable from his office as such Chairman and Vice-Chairman by the State Government for misconduct in the discharge of his duties...'
तो मिसकन्डक्ट क्या है ? इसकी हमने व्याख्या बाद की धाराओं में कर दी है कि:—

"Or for neglect of or incapacity to perform his duties or if he is unable to pay his debts."

जहां तक वह प्रश्न आता है कि वह टैक्स जमा नहीं करता, है म्युनिसिपल्टी का उसमें रुपया बकाया है तो उसको हटा सकते हैं। मैं इस बात के लिए बिल्कुल सहमति अपनी दूंगा कि जो चेयरमैन है, म्युनिसिपेल्टी का चेयरमैन है, उसके अन्दर म्युनिसिपेल्टी का बकाया है तो उसको हटा दिया जाय। लेकिन हटाने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के नुमायन्दे हैं, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, उनको हटाने का अधिकार सरकार को दे या नहीं। माननीय चेयरमैन, म्युनिसिपल्टी के सदस्य का चुनाव हुआ, और उसके बाद में उन सदस्यों में से जो सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति है, चाहे योग्य न हो लेकिन बहुमत जिसके पक्ष में जाता है, थोड़ी देर के लिये मानेंगे कि वही योग्य व्यक्ति है। उस योग्य व्यक्ति को नामजद करके चुनाव करते हैं तो हमारी सरकार यदि चाहे कि किसी तरह से चेयरमैन को हटाना है और अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता है तो सरकार निग्लेक्ट आफ ड्यूटीज, मिसकन्डक्ट; इस कारण से अमुक म्युनिसिपेलिटी के चेयरमैन को हटाया जाय। सरकार यह कहेगी कि इस प्रकार के अधिकार हमें होने चाहिये। लेकिन, माननीय चेयरमैन, हमारा एक्सपीरियन्स इस प्रकार का है कि सरकार के पक्ष के आदमी कहीं भी

[श्री भैरु सिंह]

म्युनिसिपल्टी में वाइस चेयरमैन हैं वहां हटाने की गलती नहीं, बल्कि वह बेईमानी कर लेता है तो उसको इनाम है। सन् ५२ से हमारे स्कूल के भवन के निर्माण के लिए १५००) रु० दिये जाय और सन ५६ में खर्च करने का सरकार सर्टीफिकेट दे और इसलिए सर्टीफिकेट दे कि वह कांग्रेस का सदस्य है। एक तरफ तो यह सर्टीफिकेट है, लेकिन दूसरी तरफ यदि कोई रामराज्य, जनसंघ, हिन्दू महासभा या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का व्यक्ति होता और वह कोई भी गड़बड़ कर ले तो वह जेल में; इन चीजों से एक्सपीरियन्स किया है, इन चीजों से हमको अनुभव हुआ है कि जिस सरकार में आज का यह प्रजातन्त्र हैं, जिस प्रजातन्त्र में स्वायत्तशासन संस्थाएं पनप रही हैं, वह सरकार प्रजातन्त्र की आड़ में उन स्वायत शासन संस्थाओं को खत्म करने की चेष्टा कर रही है। इसलिए हमें यह सोचना पड़ता है कि इस सरकार के हाथ में यह अधिकार नहीं दें कि जिस अधिकार के कारण चेयरमैन को हटाया जा सके। माननीय चेयरमेन, यह बदकिस्मती है जनता की कि म्युनिसिपेल्टी के चेयरमैन को जो कि चुना हुआ है उसके लिए सरकार को अधिकार है कि इस तरह से हटा दे। म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के विषय में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के विषय में और पंचायतों के सरपंच के विषय में कन्स्टीट्यूशन में इस बात का प्रोवीजन रखा जाय कि लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट की जितनी संस्थाएं हैं उनके मेम्बर्स को हटाने का किसी सरकार को कोई अधिकार नहीं है। इस सदन के सदस्यों के बारे में भी जिक्र आया है। इस सदन के सदस्यों पर मिसकन्डक्ट का चार्ज लगाया जाता है। इस सदन के सदस्यों पर निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज़ का कई दफा संकेत किया जाता है, लेकिन यह कहकर कि सदन के सदस्यों की बात होगी तो प्रिविलेज मोशन आयेगा। प्रिविलेज मोशन से वह हटाया जा सकता है। प्रिविलेज मोशन की व्यवस्था करनी है तो म्युनिसिपल्टीज में करदी जाय कि वहां प्रिविलेज मोशन की व्यवस्था हो। म्युनिसिपल्टीज में पहले इस बात का अधिकार हो जनता को कि जो लोग चुनकर गये हैं वे मिसकन्डक्ट के अन्दर फंसे हुए, हैं नेग्लेक्ट ओफ ड्यूटीज के चार्जेज अभियुक्त की तौर से हैं तो उन लोगों को राइट ओफ रिकाल इस प्रकार का कुछ अधिकार दे दें कि वह उस जगह की नगरपालिका के सारे के सारे निवासी उस शख्श को वापिस बुला लें जिनसे कि हमारी म्युनिसिपल्टीज का भला नहीं होता है; तो राइट ओफ रिकाल पब्लिक को देदें। वह बात तो समझ में आ सकती है। लेकिन म्युनिसिपल्टीज के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हटाने का अधिकार देतें हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो आदमी चुने हुए हैं उनको हटाने का अधिकार उस सरकार को देते हैं जो सरकार तानाशाही ढंग अपनाये हुए है और जो म्युनिसिपल्टीज को खत्म करने की चेष्टा कर रही है, विरोधी दल को समाप्त करने की चेष्टा कर रही है। इस प्रकार से बदलने के फलस्वरूप उनकी मरजी के विरुद्ध काम करते हैं, उनको खत्म करने के लिए किसी भी समय आज्ञा दे सकते हैं कि निग्लेक्ट ओफ ड्यूटी में फलां तारीख को मीटिंग हुई थी। मीटिंग में आये नहीं तो यह निग्लेक्ट ओफ ड्यूटी हो सकती है। किसी मेम्बर को काम दिया कि अमुक मकान की जाकर स्थिति देखो, यह मकान म्युनिसिपल्टी के हक में है या नहीं, यह ड्यूटी दी जा सकती है। अमुक मेम्बर को सरकार उचित नहीं समझती तो ऐसा कह सकती हैं कि निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी की है तुमने। यदि कोई सदस्य किसी एक्जीक्यूटिव कमेटी का

[श्री भैरूंसिंह]

सदस्य मनोनीत किया जाता है, किसी कारण से कमेटी की मीटिंग में नहीं आता है तो सरकार कह सकती है कि निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी हुई इसके कारण से हटाया जाना जरूरी है। सरकार ने रखा जरूर है कि एक दफा उनको डिफेन्स करने का मौका दिया जाय, लेकिन डिफेन्स उस सरकार के सामने किया जाय जो कि दृढ़ संकल्प है अपने विरोधी शक्ति को हर प्रकार से कुचलने के लिए। डिफेन्स आपके गुर्गों का होगा जिन्हें जयपुर नगर में बैठे बैठे कमेन्डेटरी सर्टीफिकेट दिया जाता है, जिन्हें आप असेम्बली में डिफेन्ड करते हैं। मैं, माननीय चेयरमेन, यह निवेदन करूंगा कि हम इस प्रकार की सरकार को किसी भी प्रकार से म्यूनिसिपेलिटी के चेयरमेन या म्यूनिसिपेलिटी के वाइस चेयरमेन या म्यूनिसिपेलिटी के किसी निर्वाचित सदस्य को हटाने का कोई अधिकार देते हैं या जबरदस्ती लिया जाता है, बलपूर्वक लोगों के बहुमत के आधार पर, लेकिन जनता इस प्रकार के अधिकार देना किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगी।

आगे मेरा संशोधन है सब क्लॉज (११) को डिलीट करने का। सब क्लॉज़ (११) में, माननीय चेयरमेन, यह है कि:—

"When a vacancy in the office of a Chairman is created by resig nation, death or removal and there is no Vice Chairman to take over, the State Government shall nominate a Chairman from among them members of the Board and such chairman shall hold office till a Chairman is elected in accordance with the rules in force."

यह हम आगे बढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के रास्ते पर? हम तानाशाह किस प्रकार से बनें, इस प्रकार का मार्ग आगे से आगे अपनाया जा रहा है। हम यहां उप क्लॉज़ (११) में यह व्यवस्था कर रहे हैं कि यदि कोई वेकेन्सी होती है चेयरमेन की किसी कारण से, मौत के कारण या अविश्वास के प्रस्ताव के कारण हटाये जाने के कारण में, त्याग पत्र के कारण से, और वहां पर कोई वाइस चेयरमेन नहीं हो तो सरकार को अधिकार होगा कि उन सदस्यों में से एक शख्स को नामजद कर दे। क्यों नामजद कर दे? क्योंकि चेयरमेन मर गया, चेयरमेन ने त्याग पत्र दे दिया, चेयरमेन पर अविश्वास का प्रस्ताव आया है और वह हटाया गया है और वाइस चेयरमेन नहीं है चेयरमेन और वाइस चेयर मेन दो नहीं हैं तो यह हो गया कि म्युनिसिपेलिटी में कोई काम करने वाला नहीं है, जो कि म्युनि-सिपेलिटी में चेयरमेन का या वाइस चेयरमेन का कार्य कर ले।

आगे व्यवस्था की है कि वाइस चेयरमेन और चेयरमेन दोनों ही एब्सेन्ट हों तो उस हालत में म्युनिसिपेलटी का काम कैसे चलेगा। तो यह व्यवस्था की गई है कि म्युनिसि-पेलिटी के जो सदस्य हैं वे अपने में से एक आदमी को चेयरमेन चुन लेंगे और वह चेयरमेन की हेसियत से म्युनिसिपेलिटी का काम करेगा। चेयरमेन की हैसियत को भी डिफाइन किया गया है और जो कि फुलफेल्ड हेसियत में काम करता है। यह व्यवस्था भी करते हैं कि कोई मर गया है, या त्यागपत्र दे दिया है, या चला गया है तो सरकार को यह छूट होगी उनसे कि

[श्री भैंरु सिंह]

वह अपने गुर्गों को नामजद कर दे और जब म्युनिसिपेलिटी का चुनाव होता है तो चाहे उनके आदमी गरीब जनता के पैसों का दुरूपयोग करे, अन्धा धुन्धी करे, रिकार्डों को जला दे, वह पोपुलर हो जाय और चेयरमेन बन जाय। मैं यह समझता हूं कि यह बात आपको बुरी तो लगती है लेकिन ....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप खूब गाली दीजिये, मुझे बुरा नहीं लगता।

श्री भैंरू सिंह—मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि आपको यह अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको करना चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप प्रसन्न होइये, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है।

श्री भैंरू सिंह—आपके कारनामों से आगे जो दुख पाने वाले हैं और दुख न पावें इस दृष्टि से, इन चीजों को मैं आपके सामने दुखी होकर रख रहा हूं, आप चाहे जैसे इसको इन्टरप्रेट करें लेकिन जिनके सामने इस प्रकार का हम रोना रो रहे हैं, वे तो किसी भी प्रकार सुनने वाले नहीं हैं और सत्ता में अन्धे हैं और सुनते नहीं हैं। सत्ता में अन्धे होने के कारण, बहुमत के जोर पर डेमोक्रेसी को पनपाने के लिये कोई चेष्टा नहीं करना चाहते। लेकिन कहने का तो मेरा कर्तव्य है, सुझाने का तो मेरा कर्तव्य है। आप उसको किसी लाइट में समझें माननीय चेयरमेन, सरकार अधिकार किस बात का लेती है? आज विधान सभा में भी देखिये कि अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है, या उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है या दोनों अपने चेम्बर में चले जाते हैं तो पीनल ओफ चैयरमेन में से जाकर अध्यक्ष पद पर आसीन करते हैं, लेकिन हम म्युनिसिपेलिटी में यह प्रबन्ध कर रहे हैं कि अगर कोई चेयरमेन या वाइस चैयरमेन त्याग पत्र दे दें, कोई मर जाय या चला जाय तो सरकार नामजद करेगी। सरकार क्यों करेगी, पांच छः सदस्य हैं, एक तारीख, एक समय निश्चित किया जा सकता है। कानून में व्यवस्था कर रहे हैं कि यदि कोई चेयरमेन मर जाय त्याग पत्र दे दें और किसी कारण से छोड़ कर चला जाय तो उस हालत में यदि वाइस चैयरमेन भी न हो तो मेम्बर अपने आदमियों में से चुन कर चेयरमेन बना दें। यह जिस प्रकार की व्यवस्था इस धारा में है वह प्रतिगामी है और किसी भी हालत में स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है :

अब सब क्लॉज (१३) आता है। उसमें यह प्रोविजन है कि

"A vice-Chairman may resign his office by giving notice in writing to the Chairman, and a Chairman may resign by giving like notice to such officer as may be appointed or authorisedby the State Government in this behalf.

[श्री भैरूंसिंह]

Every such resignation shall take effect on the expiry of one month from the delivery of the notice to the Chairman or such officer as the case may be"

मेरा संशोधन इस प्रकार है ;

"Substitute the following for sub-clause (13):-

"A Chairman or a Vice-chairman may resign his office by giving a notice in writing to the Board ;and such resination shall take immediate effect."

"Insert the following new sub-clause after sub-clause (13):—

(13A). Whenever a vacancy in the office of a Chairman or vice Chairman or any member of a municiplity is created by resignation, death or removal the name of such chairman, Vice-Chairman or member shall be published as soon as it may be possible in the Rajasthan Gazette."

मैंने यह व्यवस्था खास तौर पर इसलिए की है माननीय चैयरमेन कि ऊपर उपक्लॉज १३ में यह व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर किसी म्युनिसिपेलिटी का वाइस चैयरमेन अपना त्याग-पत्र देगा तो वह राइटिंग में चैयरमेन को देगा और चैयरमेन के रेजिग्नेशन के लिए यह व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर कोई चैयरमेन त्याग पत्र देगा तो वह गवर्नमेन्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी को देगा, and a Chairman may resign by giving a like notice to such officer as may be appointed or authorised by the State Govenrment in this behalf." रेजिग्नेशन के बाद क्या स्थिति होती है तो उसमें यह है कि :

"Every such resignation shall take effect on the expiry of one month from the delivery of the notice to the Chairman or such officer, as the case may be" मैं यह चाहता हूं कि बोर्ड को उनका रेजिग्नेशन भेजा जाय और ज्यों ही बोर्ड में रेजिग्नेशन पहुंचे त्योंहि चैयरमेन और वाइस चैयरमेन का रेजिग्नेशन स्वीकार हुआ यह मान लिया जाय। माननीय चैयरमेन कोई स्तीफा किसी पद से दिया जाता है, कोइ व्यक्ति किसी पद से स्तीफा देता है तो यह सोच समझ कर ही देता है। जब एक दफा म्युनिसिपेलिटी के चैयरमेन के पद पर काम करने वाले एक जिम्मेदार व्यक्ति ने यह निर्णय कर लिया है कि उसको उस पद से त्याग पत्र देना है और उसके फलस्वरुप वह उस पद से त्याग पत्र दे देता है और हम यह व्यवस्था उस बिल के उपक्लॉज १३ में करने जा रहे हैं कि अगर वाइस चेयरमेन स्तीफा देता है तो वह चेयरमेन को दे और चेयरमेन अपने पद से स्तीफा देता है तो वह सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी को दे और कोई कारण नहीं कि उसको यह छूट दें कि उस रेजिग्नेशन का असर होगा। इफेक्ट जो होगा एक महीना डेट ऑफ डिलीवरी के बाद से होगा। यह क्यों ? आपको संतोष नही है कि अगर कोई मर गया है, त्याग पत्र दे दिया है

[श्री भैरुसिंह]

या छोड़ कर चला गया तो आप तुरन्त नामजद करके बना देंगे। इधर चूंकि दोनों की संतोष नहीं है यदि चैयरमैन त्याग पत्र देकर चला जायगा और पद खाली होगा तो सारी म्युनिसिपेलिटी का काम खराब हो जायगा, छोड नहीं सकेंगे, एक तरफ यह दलील देते है और रेजिग्नेशन देने के बाद एक महीने की अवधि रखना चाहते हैं ताकि विद्ड्रॉ करा सकें। मैं समझता हूं कि अगर किसी को डिमोरेलाइज करने की बात करते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था रखें लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने निर्णय पर अमल कर सके उसकी अपेक्षा करते है तो ज्योंही म्युनिसिपेलिटी के चैयरमेन या वाइस चैयरमेन अपने त्याग पत्र दें व बोर्ड में जायं और जिस दिन पेश हों उनको उसी दिन स्वीकार हुआ समझा जाय, यदि यह व्यवस्था कर दें तो उचित होगा। इसलिए चेयरमेन स्तीफा देता है कि उसके प्रति नो कोन्फीडेन्स मोशन आने वाला है इसलिए स्तीफा देता है कि उसके विरुद्ध शिकायतें हैं, अथवा सरकार मुझे हटा देगी, अपनी शान को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए स्तीफा देता है और यदि उसका स्तीफा तुरन्त नहीं मंजूर होता है और एक महीने की अवधि देते हैं तो नतीजा यह होगा कि एक महीने के लिए जयपुर में आयगा, सेक्रेटेरियेट में कोशिश करेगा, अधिकारियों से मिलेगा, और सेक्रेटेरियेट में जो नये छुटभाई पिटिशनर्स हो गये है उनसे मिलेगा; कई मेन्योवर करके जो अविश्वास का प्रस्ताव आने वाला है उसको बन्द करवा देगा, जो उसके विरुद्ध शिकायतें हैं वे रद्दी की टोकरी में चली जावेगी। और जब उसको विश्वास होजायगा कि वे शिकायते रद्दी की टोकरी में चली गई है तो कह देगा कि मैं अपना त्याग पत्र वापिस लेता हूं। किस परिस्थिति में वह रेजिग्नेशन आया है और किसी परिस्थिति में वह विद्ड्रा होता है। विधान सभा में भी किसी सदस्य का त्याग पत्र आता है तो वह स्वीकार होता है। पंचायतों में अगर सरपंच स्तीफा देते हैं तो वह फौरन स्वीकार किया जाता है। लोकल सेल्फ ओर्गेनाइजेशन्स में इस प्रकार से कोई त्याग-पत्र हो तो उस हालत में वह फौरन से स्वीकार किये जाने की व्यवस्था रखी है लेकिन यदि म्युनिसपेलिटी में इस प्रकार से अलग सी कोई व्यवस्था रखे जो कि उनसे भिन्न है, इस प्रकार की व्यवस्था रखना बिलकुल अनुचित है।

अब आगे जो मैंने उपक्लॉज १३ (ए) एड कराने के लिए निवेदन किया है कि :

"Whenever a vacancy in the office of a Chairman or vice Chairman or any member of a municipality is created by resignatien, death or removal the name of such chairman, vice-Chairman or member shall be published as soon as it may be possible in the Rajasthan Gazette."

इसमें यह है माननीय चैयरमेन, कि हम कानून में व्यवस्था कर रहे हैं कि जिस समय तक यह नोटिफिकेशन नहीं होता है तब तक चुनाव नहीं हो सकते हैं। सरकार यह कहेगी कि चूंकि गजट में पब्लिकेशन नहीं हुआ या तीन चार महीने का समय निर्धारित करे चुनाव के लिए तब तक चेयरमेन का चुनाव नहीं होगा। मैंने यह जान-बूझ कर संशोधन प्रस्तुत किया है कि ज्यों ही रेजिग्नेशन हो तत्काल उसकी सूचना गजट में प्रकाशित कर दी जाय। इससे सदस्यों को भी मालूम हो जायगा और चुनाव कराने की कार्यवाही भी प्रारम्भ हो जायगी और चुनाव जल्दी से हो सकें,

[श्री भैंरु सिंह]

सरकार के सामने भी यह चिन्ता न रहे कि चूंकि देरी से होगा चुनाव इसलिए नामजद करें; यह चिन्ता भी इससे दूर हो जायगी और इसीलिए मैंने यह इस रूप में रखा है।

सब क्लॉज (१६) को डिलीट करने के बारे में निवेदन किया है।

माननीय चेयरमेन, सब क्लॉज (१६) इस प्रकार है:—

"(16) The Chairman of a board may receive, out of the municipal fund, such monthly conveyance allowance, not exceeding one hundred and fifty rupees in the case of a city or seventy-five rupees in any other case, as the Board may from time to time sanction with the approval of the State Government."

मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि इस धारा को डिलीट कर दिया जाय। संशोधन प्रस्तुत करने से पहले यह सोचना मेरे लिये जरूरी था कि मैं भी विधान सभा का सदस्य होने के नाते २०० रु० माहवार और १२॥ रु० दैनिक भत्ता लेता हूं, इस सूरत में मैं यदि किसी लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट बोडी के चेयरमेन या वाइस चेयरमेन या सदस्यों को कन्वेयेन्स अलाउन्स मिलता है तो उसके बारे में यह कहूँ कि उनको यह अलाउन्स नहीं मिले, इस प्रकार की दरख्वास्त करने से पहले मुझे अपनी स्थिति को देखना पड़ेगा। मैंने अपनी स्थिति देखी और उन म्युनिसिपेलिटीज़ की स्थिति भी देखी जिनके चेयरमेन और वाइस चेयरमेन को यह अलाउन्स मिलने वाला है; तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि म्युनिसिपेलिटीज़ के चेयरमेन को ७५ रु० या १५० रु० मासिक कन्वेयेन्स अलाउन्स के रूप में मिलने की व्यवस्था कर रहे हैं जो बहुत बेजा है। म्युनिसिपल फंड्स के बारेमें कई बार जिक्र आता है। सरकार बारबार कहता है कि फंड्स नहीं हैं, इसीलिये म्युनिसिपेलिटीज़ को ओक्ट्रोय लगाना चाहिये, इसलिये उनको हाउस टेक्स लगाना चाहिये, टोल टेक्स लगाना चाहिये, प्रोफेशन टेक्स लगाना चाहिये और हमारे इस कानून में कुत्तों पर भी टेक्स लगाने की व्यवस्था की गई है। तो मैं निवेदन करूंगा कि कुत्तों पर टेक्स, ऑक्ट्रोय, हाउस टेक्स आदि लगा कर वह एक एक पैसा गरीबों से गरीब जनता से इकठ्ठा करते हैं उसका कहीं हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं स्थितिजब सामने आती है तो हम चेयरमेन और वाइस चेयरमेन को अलाउन्स देने के पक्ष में नहीं हैं। आज इस बात की चर्चा है कि विधान सभा के सदस्यों को जो वेतन दिया जाता है उसके प्रति जनता में असंतोष है। विधान सभा के सदस्यों को २००) रु० तनख्वाह और १२॥) रु० रोज का भत्ता देकर २०००) रु० रोज का खर्चा किया जाय इसको जनता नहीं चाहती है लेकिन कानून बनाने वाले हम ही लोग हैं, हमने जैसा चाहा कानून वैसा बना दिया। लेकिन जनता सोचती है कि विधान सभा एक सफेद हाथी के समान है। यह सफेद हाथी दुनियां में ज्यादा दिनों तक जिन्दा रहने वाला नहीं है। वह तो जब एस. आर. सी. का वातावरण शान्त होगा उसके साथ ही वह भी शान्त हो जायगा और युनिटरी फोर्म ओफ गवर्नमेंट हमारे यहां बन कर रहेगा। ऐसी सूरत में हमें भविष्य के बारे में सोचना है। यदि विधान सभा म्युनिसिपेलिटीज़

Page No 64

[श्री भैरु सिंह]

के चेयरमैन के बारे में कानून बनाती है कि इनको १५०) या ७५) रु० मासिक कन्वयेन्स अलाउन्स के रूप में दिया जाय। मुझे २००) रु० मिलते हैं और मैं विधान सभा का काम करता हूं, मुझ पर भी लोग आक्षेप लगाते होंगे लेकिन मैं बहुत दूर हूँ अपनी कांस्टीट्युएन्सी से इसलिये शायद मुझ पर इतना असर नहीं होता लेकिन म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को उसी स्थान पर रहना है। वहां पर यदि वह ७५ रु० या १५० रु० लेता है तो लोग उसकी आलोचना करेंगे और कहेंगे कि हमसे टैक्स इसलिये लिया जाता है कि उनको कन्वेयेंस अलाउन्स दिया जाय; तो चेयरमेन और वाइस चेयरमेन को देने का लोग विरोध करेंगे। यदि आप चेयरमेन और वाइस चेयरमेन को अलाउन्स देते हैं तो सदस्य किस से कम हैं, उनको क्यों नहीं देते? उनको भी मीटिंग अटेन्ड करनी पड़ती है, उनको भी देना चाहिये। पंचायतों के लिये आपने कानून बनाया है उनको ट्रेवलिंग अलाउन्स देते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट में भी मेम्बर्स आदि को ट्रेवलिंग अलाउन्स देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन कन्वेयेन्स अलाउन्स देने की व्यवस्था न पंचायत में है और न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में है इसलिये नगरपालिकाओं के चैयरमेन को ७५ रु० या १५० रु० देने की व्यवस्था म्युनिसिपल एक्ट में करते है तो यह अनुचित है। गरीब जनता करों के भार से पहले ही दबी हुई है। उन पर टैक्स लगाकर इनको तनख्वाह दें यह अनुचित बात होगी। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे संशोधन पर गंभीरता से विचार करें, इस दृष्टि से विचार नहीं करें कि यह विरोधी दल के सदस्य की तरफ से आया है इसलिये इसका विरोध करना चाहिये बल्कि इसकी प्रेक्टिकल साइड को देखकर अगर वे इसे स्वीकार करेंगे तो निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि वे डेमोक्रेसी पर अग्रसर होंगे, वरना जिस तरह से जनता पर बोझ बढ़ाया जा रहा है वह ठीक नही है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—चेयरमेन महोदय..........

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—आप जरा धैर्य रखिये और सज्जनों के भी अमेन्डमेन्ट्स है।

(विराम)

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल

(अनुपस्थित)

श्री भुर्वजी।

(अनुपस्थित)

श्री मेहता।

(अनुपस्थित)

(श्री कासलीवाल से) आप कहेंगे न?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय चैयरमेन, मेरा सुझाव यह है कि इस क्लॉज में (४) और (५)दो नये क्लॉज और बढ़ा दिये जायं। गये अधिवेशन में सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि शहर की म्युनिसिपेलिटीज़ का नाम यदि कोरपोरेशन नहीं रखा जाय तो कम से कम कौंसिल रखा जायगा। इसी एश्योरेन्श पर ये संशोधन बेस्ड हैं और व्यवहारिक हैं। इसमें इतना कहा गया है कि हर कौंसिल के चेयरमेन का नाम प्रेसिडेन्ट हो और वाइस चेयरमेन का नाम वाइस प्रेसिडेन्ट होगा। प्रेसिडेन्ट और वाइस प्रेसिडेन्ट के चुनाव के नियम राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं उनके आधार पर कौंसिलर्स आपस में इनका निर्वाचन करेंगे और चुनाव के नियम जो हैं उन्ही के अनुसार मैंने संशोधन उपस्थित किया है जिसके लिये सरकार ने एक बार पहले भी एश्योरेन्स दिया था इसलिये मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसको डेफर कर दें।

श्री सभापति—पहले और भी कोई बोलना चाहें तो बोल लें।

[श्री सभापति ने श्री चांदमल मेहता का नाम पुकारा किन्तु वे अनुपस्थित थे]

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चैयरमेन, जो श्री भैरूंसिंहजी ने धारा ४७ की उप धारा [२] में संशोधन रखा है, चैयरमैन का जो चुनाव हो और धारा ४७ में यह बताया है कि सरकार जैसे रूल्स बनायेगी उसके आधार पर चुनाव होगा। माननीय चैयरमेन, श्री भैरूंसिंहजी ने जो संशोधन रखा है कि चुनाव का यह तरीका हो कि जनता के जो लोग हैं उनके द्वारा चैयरमेन का चुनाव होना चाहिये, मैं उसका समर्थन करता हूं........

श्री सभापति—आपने ठीक तरह से इसको पढ़ तो लिया है?

श्री मुक्तीलाल मोदी—यह बिल अंग्रेजी में है इसलिये इसको कैसे पढ़ता? अमेन्डमेन्ट अंग्रेजी में है। अंग्रेजी हम लोग जानते नहीं इसलिये जैसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे।

श्री सभापति—श्री भैरूंसिंहजी तो हिन्दी में बोले थे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आपसे निवेदन किया था कि एक एक क्लॉज पर अलग अलग बोलने के लिये उनसे कहा जाय लेकिन सब पर एक साथ बोले। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिल पर अलग अलग बोले थे लेकिन यहां तो एक साथ ही बोले।

रावराजा श्री सरदारसिंह—चैयरमेन महोदय, बहुत से सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते हैं इसलिये उनको बड़ी आपत्ति है। यह एक्ट हिन्दी में ही आना चाहिये ताकि सब समझ सकें।

श्री सभापति—यह विषय तो अभी ठीक नहीं है।

श्री मुक्ति लाल मोदी—साहब, विषय की बात तो यही है कि मोशन्स भी हिन्दी में हों, बिल भी हिन्दी में हो।

श्री सभापति (श्री हिम्मत सिंह)—जो सुना और समझा उसके बारे में बोलें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—हां साहब, मैं वैसे ही बोलूंगा, आप रोकना मत।

तो श्री भैरुसिंहजी ने रखा है जनता द्वारा चेयरमैन का चुनाव होना चाहिये और सरकार ने धारा ४७ में बताया है कि जिस तरह के रूल्स सरकार बनायेगी उसी आधार पर चुनाव कराये जायेंगे। आज जब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव, तहसील पंचायतों का चुनाव और असेंबली के चुनाव होते है, उनमें जब सरकार पॉवर नहीं देती तो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन के चुनाव में अधिकार दे देना ठीक नहीं होगा। जनता को इस प्रकार का अधिकार दे दिया जाता है। मेम्बरों का चुनाव होता है उसी तरीके से चेयरमैन का चुनाव भी हो, जिसके ज्यादा वोट आयें वही चेयरमैन हो जाय। इस प्रकार का तरीका रखेगी तो राजस्थान सरकार एक उदाहरण रखेगी। रसिया जैसे मुल्क में ऐसे ही चुनाव होते हैं, जैसे कि संशोधन में माननीय श्री भैरुसिंह जी ने रखा है। पंचायतों के, असेम्बली के, पार्लियामेंट के चुनाव होते है वे जनता के अधिकारों के ऊपर होते हैं

[करतल-ध्वनि]

धारा ४७ के सब क्लॉज (२) में यह बताया है अगर इस तरह के अधिकारों को दे देते हैं तो इसमें सरकार को क्या एतराज होना चाहिये? सरकार जनता का प्रजातन्त्र शासन का तरीका अपनाने को तैयार है तो वह अधिकार सरकार अपने पास क्यों रखना चाहती है, जनता को देना चाहिये और चेयरमेन जनता द्वारा चुना जायगा तो उस पर जनता को काफी अधिकार होगा और वह चेयरमेन समझेगा कि आज मैं जनता का चुना हुआ हूं और जनता की सेवा करने का कार्य मुझे अदा करना चाहिये। अगर वह मेम्बरों द्वारा चुना जायगा तो सिटी म्युनिसिपैलिटी में ४० मेम्बर होंगे और टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ में १५-२० और कहीं कहीं ३० भी मेम्बर हो सकते हैं तो चेयरमेन पर उन्हीं लोगों का अधिकार माना जायगा। अगर वह चेयरमेन जनता द्वारा चुना जायगा तो जनता का काम वह अच्छी तरह से कर सकेगा। ऐसी हालत में मैं यह जो संशोधन श्री भैरुसिंह जी ने इस क्लॉज में रखा है उसका समर्थन करता हूँ और अगर मन्त्रीजी इसे स्वीकार कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

क्लॉज ४७ के सब क्लॉज (६) में चेयरमैन के खिलाफ नो कोन्फिडेन्स मोशन रखा जाय तो २।३ सदस्य होने चाहिये। यह जो रखा गया है, यह भी नहीं होना चाहिये। बहुमत के आधार पर इसमें रखना चाहिये। जैसे १५ कुल मेम्बर हैं तो उनमें से ८ मेम्बर उसके खिलाफ होते हैं तो उसके बाद उस चेयरमेन को हटा देना चाहिये और किसी तरह उस म्युनिसिपैलिटी का दूसरा चेयरमेन हो जाना चाहिये। २।३ का रखा है तो इसके बाद भी वह चेयरमेन, दुबारा उसके लिये वोट मांगे जायं, तो बाद में वह चेयरमैन हटाया जायगा तो माननीय चेयरमैन बहुमत

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

उनका हो जाता है तो क्लॉज में यह रखना चाहिये कि बहुमत हो जाता है। और भैरूसिंहजी ने संशोधन रखा है, बहुमत हो जाता है तो उनकी दृष्टि से उस चेयरमेन को हटा देना चाहिये तभी जनता के सामने प्रजातन्त्र प्रणाली आयेगी और तभी भला हो सकेगा। सब क्लॉज (९) (बी) में जब पूरे मेम्बर का रखा है, २।३ का और बाद में चेयरमेन को हटाने का प्रस्ताव आना चाहिये। माननीय चेयरमैन पार्लियामेंट में और असेंबली में इस प्रकार के रूल्स हैं कि किसी के खिलाफ नो कोन्फीडेन्स का मोशन आता है तो जितने मेम्बर मौजूद होते हैं उनमें ही वोटिंग होता है और इसका जैसे फैसला होता है उसी फैसले को माना जाता है, तो म्युनिसिपैलिटी के अन्दर इस प्रकार का क्लॉज सरकार ने रखा है कि पूरे मेम्बर हों उनमें से २। ३ वहां पर हों तभी चेयरमेन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है। ऐसा तो चेयरमेन कभी नहीं हो सकता कि पूरे के पूरे मेम्बर कहीं मौजूद हों, कोई मेम्बर हाजिर होता है तो कोई मेम्बर हाजिर नहीं भी हो सकता।

तो ऐसी सूरत में माननीय भैरू सिंहजी ने जो संशोधन रखा है कि जितने मेम्बर मौजूद हों उन्ही के वोट लिये जांय और उसी के आधार पर चेयरमेन के खिलाफ प्रस्ताव पास होना चाहिये।

सब क्लॉज (१०) में जो कि सरकार को चेयरमेन को हटाने का अधिकार दिया है ४७ में उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार जनता को दूसरे एक्ट पास करके अधिकार दे रही है तो म्युनिसिपैलिटीज एक्ट बनाते समय सरकार इस प्रकार के अधिकार अपने हाथों में क्यों रखना चाहती है? यदि चेयरमेन स्तीफा दे देता है या और कोई कारण हो जाता है तो सरकार ने अधिकार लिया है कि चेयरमेन को किसी कारण से हटा दिया जाय। तो यह अधिकार सरकार को अपने हाथों में न लेकर मेम्बर्स के हाथों में दे देना चाहिये। सरकार अपने हाथों में कोई अधिकार नही ले।

उपधारा (११) में जो सरकार ने अपने हाथों में अधिकार लिया है कि नामजदगी सरकार कर देगी तो इसके लिये भी मैं निवेदन करुंगा कि सरकार इस प्रकार के अधिकार अपने हाथ में नही ले, इसका चुनाव होना चाहिये।

श्री जवानसिंह—माननीय सभापति महोदय, मुझे इस धारा के संबन्ध में, मैंने जिस प्रकार का नोट आफ डिसेन्ट दिया है उसके माफिक दो शब्द निवेदन करना है। पहला विरोध का कारण तो यह है कि जहां तक चेयरमेन के चुनाव का संबन्ध है और उसके लिये जो तरीका सरकार ने अपनाया है वह तरीका ठीक तरह से नहीं अपनाया गया है, जैसा कि विधेयक में शामिल है। दूसरा विरोध का कारण है वह यह है कि चेयरमेन और वाइस चैयरमेन को नोमिनेट कौन करे।

मैं इस बात को मानकर चलता हूँ कि जब हमें कहीं से ओथोरिटी और पावर मिलते हैं तो उस पोवर और ओथोरेटी देनेवाली सत्ता को यह अधिकार होता है कि वह उस पोवर और अधिकार

[श्री जवानसिंह]

को अपने कब्जे में वापिस ले ले । हम नगरपालिका के संबन्ध में भी देखते हैं कि जहां तक चैयरमेन के चुनाव और निर्वाचन का तरीका रखा है वह इस प्रकार का है कि जब चाहे तब समय पूरा होने के बाद में निर्वाचन करा सकते हैं । उसके बाद में जब उसको हटाने का प्रश्न आता है तो जो तरीका यह रखा है कि निर्वाचन करने का है वह दूसरा है और उसको हटाने का तरीका दूसरा है और वह यह कि २।३ मेजोरिटी से वोट होने पर उसको हटाया जा सकता है । हम समझ नहीं सकते कि इससे सरकार कौनसा जनता का हित करने वाली है । इससे कौनसा हित नगरपालिका का करने वाली है और कौनसा हित चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का करने वाली है । आज किसी विशेष दल की ओर से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हो सकते हैं, कल दूसरा दल सत्ता में आ सकता है और उसकी तरफ से चेयरमैन और वाइस चेयरमेन हो सकते हैं । लेकिन हमें दल विशेष की ओर न जाकर अपनी भावनाओं को पवित्र रखना है । हमें इसके लिये ऐसे निश्चित तरीके रखने हैं जिस पर कोई उंगली उठा नहीं सके और यह न कह सके कि यह दल विशेष के हित के लिये कानून बनाया गया है और यह हम तभी कर सकते हैं जब हम आधार भूत सिद्धान्तों को लेकर चलें कि किसी विशेष दल या किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव का तरीका नहीं हो । इसलिये हमारा यह निवेदन है कि जहां तक चेयरमेन और वाइस चेयरमेन के निर्वाचन का प्रश्न है ।

श्री सभापति—I think there is no quorum.

(पुनः गण-पूरक घंटी के पश्चात्)

श्री जवानसिंह—मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने वेक्रूम में ही निवेदन किया ।

श्री सभापति—Now you can continue.

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, सदन में कोरम पूरा नहीं रहने का कारण यह समझता हूँ कि सरकार ने जो यह नये बिल की धारा ४७ रखी है शायद सदन के सदस्यों को यह मंजूर नहीं है इसलिये वे सदन में उपस्थित रहना नहीं चाहते ।

श्री मथुरादास—विरोधी दल के लोग ही नहीं हैं ।

श्री जवानसिंह—मैं समझता हूँ कि लोग सदन में उपस्थित नहीं रह कर इसके प्रति अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं ।

हमने जो वाइस चेयरमेन और चेयरमेन के चुनाव के संबन्ध में तरीका अपनाया है इसके लिये मेरी यह निश्चित धारणा है कि जिन आदमियों को हमने अख्त्यार दिया है कि वे वाइस चेयरमेन और चेयरमेन को चुने उन्ही को यह अधिकार देना चाहिये कि जब वे चाहें उनको वापिस बुला लें । लेकिन सरकार ने इसके साथ में यह शर्त रखी है कि दो तिहाई सदस्यों के वोट होने चाहिये

Page No 69

[श्री जवानसिंह]

और जब दो तिहाई सदस्यों के वोट हों तभी वोट ओफ नो कोन्फीडेन्स उनके प्रति आ सकता है वरना नहीं। हमने पहले मर्तबा अर्थात् चुनाव के लिए यह तरीका नहीं अपनाया लेकिन जब उनको वापिस बुलाने का प्रश्न आता है तब हम इस बात को मान कर चलते हैं कि दो तिहाई सदस्यों के वोट होने चाहिये। मैं यह कहूंगा कि ऐसा न तो हमने पहले किया और न किसी जगह देखा है और न हम इसको अच्छा महसूस करते हैं। हमने ब्रिटिश टाइम्स में भी देखा है इस प्रकार की कोई चीज नहीं थी। जबकि हम इसबात का प्रयत्न करते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले मगर यह जो दो तिहाई वोटों की मेजोरिटी से नो कोन्फीडेन्स मोशन लाने की रोक वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को हटाने के लिये लगाई जा रही है वह किसी का हित करने वाली नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें इस तरीके को अपनाना नहीं चाहिये। यह ठीक तरीका नहीं है। इसलिये खुले तौर पर यह होना चाहिये कि अगर सदस्य चाहते हैं कि हमे चेयरमेन और वाइस चेयरमेन को नहीं रखना है तो उनको अधिकार होना चाहिये कि वे उसको वापिस बुलालें। इस प्रकार की रोक लगा कर हम कभी भी किसी का हित नहीं कर सकेंगे?

वास्तव में आप देखिये कि जब म्युनिसिपेलिटी की बैठक होती है जैसे इसमें १५ सदस्य है: १५ सदस्यों में से एक चेयरमेन और दूसरे १४ सदस्य होते हैं और किसी भी चीज को पास करने के लिये ७ या ८ आदमियों की जरूरत होती है। अगर ७ या ८ आदमियों की मेजोरिटी नहीं होगी तो कोई काम नहीं हो सकता। अगर ६ आदमी उसकी खिलाफत करें तो भी नो कोन्फीडेन्स का मोशन नहीं आ सकता है, मगर इसके साथ ही साथ काम भी नहीं हो सकता क्योंकि मेजोरिटी का प्रश्न है। इसके साथ साथ तमाशा देखिये की हम कानून में प्रोवाइड कर रहे हैं कि जब तक दो तिहाई मेजोरिटी नहीं हो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ नो कोन्फीडेन्स का प्रस्ताव नहीं आ सकता चूंकि दो तिहाई मेजोरिटी नहीं है इसलिये चेयरमेन और वाइस चेयरमेन को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ यह भी तमाशा है कि कोई भी काम म्युनिसिपेल्टी में नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति नगरपालिका में होने वाली है। हम देखते हैं कि दो तिहाई मेजोरिटी जब तक नहीं हो, लेकिन क्लीअर मेजोरिटी हो फिर भी कुछ कार्यवाही चेयर मैंने वाइस चेयरमेन के खिलाफ नहीं की जा सकती है और काम भी नहीं हो सकता है इस प्रकार की स्थिति इससे हम पैदा करने जा रहे हैं। इस बात को हमें देखना है और इस पर गौर करना है कि इस प्रकार की कठिनाईयें हम पैदा न करें। अगर हम यह रखते हैं कि मेजोरिटी की आवश्यकता है तो फिर इतनी मेजोरिटी कि क्या आवश्यकता है कि दो तिहाई रखी जावे। कैसे भी मेजोरिटी हो तो हटाया जा सकता है।

दूसरा एतराज यह किया गया कि किसी चेयरमेन और वाइस चेयरमेन की जगह खाली होने के बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये सरकार उसका निर्णय करेगी, जब तक कि नगरपालिका का चुनाव होने पर निश्चित रूप से चेयरमेन और वाइस चेयरमेन मुकर्रर न होगा। इस दर्मियानी समय के लिये जो तरीका अपनाया गया है वह सरकार के हाथ में अख्त्यार दिया

[श्री जवानसिंह]

गया है। जहां तक सरकार के हाथ में इस के लिये अधिकार दिया गया है हमें कोई एतराज नहीं। यह एक ऐसा प्रश्न है कि इसके लिये किसी न किसी को अधिकार होना चाहिये, जो चेयरमेन और वाइस चेयरमेन को इस अंतरिम समय के लिये मुकर्रर करें। लेकिन मुझे इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि जिस प्रकार का तरीका रखा गया है उसमें बहुत समय लगेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि जल्दी से जल्दी व्यक्ति को मुकर्रर किया जावे, इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि दरमियानी समय ज्यादा नहीं लगे। मिसाल के तौर पर कहूंगा कि एक नगरपालिका में एक वेकेन्सी होती है चेयरमेन की। उसकी रिपोर्ट नगरपालिका से कलेक्टर के पास, कलेक्टर से डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज के पास और उसके बाद मिनिस्टर आदि के पास जाती है। उसके बाद यह आज्ञा दी जाती है कि मालूम किया जावे कि किसको रखा जावे ? वापिस कागज उसी तरहसे चलते हैं जिस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी पहले आये थे। उसके बाद एक या दो आदमियों के नाम उसी सिढ़ियां से जाता है जिन पर पहले गया था। जब तक उनके नाम मुकर्रर किये जाते हैं और हुक्म जारी किया जाता है कि फलां व्यक्ति को चेयरमेन या वाइस चेयरमेन मुकर्रर किया जाता है उतने समय में चेयरमेन और वाइस चेयरमेन का चुनाव हो जाता है। इसलिये जब एक कार्यवाही खत्म होगी तो दूसरी कार्यवाही भी खत्म हो जावेगी। यह बीच का समय बहुत लम्बा है और किसी व्यक्ति को सरकार इन्ट्रेरिम समय के लिये चेयरमेन या वाइस चेयरमेन मुकर्रर करती है उतने समय में निर्वाचन हो जाता है। इसलिये हमें दरमियानी समय के लिये दूसरा तरीका अपनाना चाहिये और वह यह कि नगरपालिका के सदस्य हों वे ही आपस में चुनाव करके अन्तरिम समय के लिये वाइस चेयरमेन या चेयरमेन मुकर्रर कर लें ताकि नगरपालिका की कार्यवाही सुचारू रुप से चलती रहे। इसलिये मैं इस चीज का विरोध करता हूं कि ये अधिकार नगरपालिका के हाथ में रहने चाहिये। जब तक ये पोस्ट खाली हों वाइस चेयरमेन का ठीक प्रकार से निर्वाचन न हो जाय तब तक नगरपालिका को काम करने की अनुमति दे दी जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Chairman, Sir. today in this clause there have been amendments to four different sections. One is in regard to the methed of election of the Chairman, second is to the procedure of No-confidence motion and the third on the payment of allowances, and the fourth of a minor degree which came from Shri Gulab chandra Kasliwal was a difference in nomenclature.

Page No 71

[श्री श्रीमानसिंह]

If we look to the first amendment, we are happy to note that in the Bill a Chairman has been provided. I was under the impression that for the sake of invention, an innovation they will give the powers of the Chairman to the Executive Officer, but the Select Committee and the Hon'ble Minister has well realised the important position of the Chairman holds in the Municipal Board, so that there must be some elected man at the helm of affairs. The important position that the Chairman holds and the important functions-executive, financial and administrative-which he discharges necessitates that there must be a clear-out procedure of his being elected. The choice should not be left, as has been done, with the Government, that the Government will prescribe the method. If the Government has adopted this, I can only say that probably what the Hon'ble Minister believes is that variety is the spice of life. That is why he has mentioned on Government prescription. There are in the world' or in the local bodies, three methods of election; either by nomination as in some councils and counties like England and, where a Mayor who has to hold important position and to discharge important functions, is nominated. Then the present method that is in vogue in the municipalities is that the Chairman is elected by majority of votes of the MEMBERS there, and the third method which is in vogue in U. P. and other places is direct election of the Chairman. These are the three alternatives and they are clear. I could not understand or comprehend as to why no method or any of these three methods, was adopted by the Select Committee. I personally prefer the direct method of election, beacuse in that case the Chairman has a position of confidence in which he can run the Municipality efficiently and smoothly. Moreover, the function of the Chairman is also to improve the financial position of the Municipal Board and a Chairman directly voted by the people will have the confidence, courage and strength behind him of the people so that he will be able to give life and blood, into the dried veins and vessels of the Municipal Board.

The second was the methdod oi no-confidence. Some members have suggested that the removal of the Chairman should be an easy process. When one man says, well, you leave, the Chairman leaves. well, Sir, I beg to disagree because the Chairman must have strength behind him. He must have support. Since he takes his decisions on the majority backing-and that is provided by direct election, hence the vote of no-confidence must

Page No 72

[श्री श्रीमानसिंह]

always be difficult so that the Chairman ought not to be removed on flimsy grounds. Suppose the Chairman were to be removed so easily. In that case the Chairman will not so much look after the work of the Municipality, but he will always busy himself to cater for the favouritism and wishes of the Municipal members which will prove the inefficiency of the Board. Therefore, two-third majority, I think, is sufficient majority to make the removal of Chairman difficult and that is very important.

The third thing was as regards payment. Sir, I am one of those people who do not believe in the proverbial 'sacrifice of our countrymen'. I believe that if we want the Municipal Boards to function well, and efficiently, that they should be above corruption, should be able to draw men of ability, intelligence and education. We have to provide not only good Salaries to the Municipal Members but high Salaries and allowance to the Chairman. I for one think that Rs. 75 or 100 as allowance to the Chairman is very nominal and to expect in this country, where Poverty abounds, for people to give sacrifices and yet to discharge the whole time duties of the Chairman, is to put two paradoxes together. Therefore I do not support the amendment that advocates the reduction in the allowances.

श्री जवान सिंह—Then how much do you propose?

श्री श्रीमानसिंह—Commensurate with the income of the Municipal Boards.

The fourth was a suggestion to change the nomenclature of the president and the vice-president for Cities. I do not support it. If there was some basic difference between cities and other municipalities either in their functions in their powers or in their methods of elections, or the powers of taxation, some difference, functional, basic difference then there was necessity of giving a different nomenclature. But when just it is you see, the will to call one as a city and other as a Municipality there is no basic difference in the functions, there is no need to call them, one as President and the other as Vice-President, so as to make the Act more complicated.

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय, शायद मेरा भाषण माननीय मन्त्रीजी को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं, मेरे मित्र दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

श्री सभापति—कटौती का प्रस्ताव कहां है?

श्री मानसिंह महार—(जारी रखते हुए) कटौती का प्रस्ताव नहीं,संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, यह जरा दोपहर का समय है इसमें ऐसा ही बोला जाता है। कुछ तो नींद आने लगती हैं। आशा तो है कल समय बदला जायगा। मंत्रीजी को भी नींद आ रही है वे सुनने के मूड में भी नहीं है।

चेयरमेन महोदय, यह जो म्युनिसिपल बोर्ड का मसला है इस पर जिस प्रकार की राय माननीय मन्त्री महोदय व्यक्त कर सकते हैं उस ऑथोरिटी से तो मैं अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक ग्रामीण आदमी ठहरा और वे तो उन आदमियों में से हैं जो म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन रह चुके हैं लेकिन फिर भी क्लॉज ४७ के बारे में चेयरमेन और वाइस चेयरमेन के इलेक्शन के बारे में है उसके लिये मैं चन्द शब्द निवेदन करूंगा।

चेयरमेन महोदय, यह एक निश्चित बात है कि हम इस बिल को लेकर किसी प्रकार के नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। यह मेरी निश्चित धारणा है। सिलेक्ट कमेटी के अन्दर इन तीनों विचारों के ऊपर विचार करके अगर इस चेयरमेन के चुनाव के बारे में सदन के समक्ष कोई बात रखी जाती तो यह बहुत अच्छा होता। चेयरमेन महोदय, म्युनिसिपलिटी के चेयरमेन का चुनाव तीन प्रकार से हो सकता है। एक तरीका तो वह है जैसा कि हमने पंचायतों के सरपंच के चुनाव के बारे में रखा है और जैसा तरीका तहसील पंचायत के चुनाव में सरपंच का होता है। वहां डाइरेक्ट इलेक्शन से ये चुनाव होते हैं, जनता को यह हक हो कि वह चेयरमेन को चुने।

दूसरा तरीका जिस प्रकार कई दूसरे देशों में है जैसा वहां चुनाव लोर्ड और मेयर वगैरह का होता है सरकार नोमीनेट करती है।

तीसरा तरीका हमारी सरकार ने और सिलेक्ट कमेटी ने हमारे समक्ष जो प्रस्तुत किया वह है।

चेयरमेन महोदय, मैं इस बात को मानकर चलता हूँ कि चुनाव का सब से सही तरीका यह होता जिसमें जनता जनार्दन को चुनाव करने का हक होता, वे ही चेयरमेन का चुनाव करते।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

[श्री मानसिंह महार]

कई प्रकार के लाभ हैं। यह बात हमें देखने को मिलती है कि अगर कोई म्युनिसिपल बोर्ड को हम अपना चेयरमेन चुनने का हक देते हैं तो वहां पर जो चेयरमेन चुना जाता है उनके मेम्बर्स की ओर ध्यान देना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय उनको हर समय बोर्ड के मेम्बरों के मुंह की तरफ ताकना पड़ता है क्योंकि उनके जो आदमी मेन्डेट देते हैं वे १५।१६ होते हैं और उनमें से भी जो उनको वोट देते हैं उनहीं के मुंह की तरफ चेयरमेन देखते हैं। इसलिये मेरी राय के अन्दर म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन और वाइस चेयरमेन को जनता को चुनना चाहिये। जनता से चुना हुआ चेयरमेन और वाइस चेयरमेन होगा तो मैं यह मानता हूं कि वह जनता की सुविधाओं की ओर और बोर्ड के कार्य संचालन की ओर अधिक ध्यान देगा बमुकाबले इसके कि वह मेम्बरों के फेवरेटिज्म की ओर ध्यान दें।

इसी के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और जोड़ दूं तो वह बात अधिक उपयुक्त होगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--यह सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में है? यह तो बिलकुल नई बात कह रहे हैं।

श्री मानसिंह महार--नई भी बात अगर दिमाग में आ जावे तो क्या हर्ज है। आशा तो कम है पर सुना तो दूं। अच्छी बात अगर कहता हूँ तो नई भी सुननी चाहिये, मेरा यह विचार है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जो बात कह रहा था उसके लिये मन्त्री जी ने फरमाया कि नई बात है। मैं उनको यह जंचाना चाहता हूं कि आखिर आप म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमेन के चुनाव के लिये लोगों को यह अधिकार क्यों नहीं देना चाहते हैं जब कि पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव का अधिकार गांव वालों को आप देते हैं। जब सरपंच और पंच को गांव वाले चुनते हैं तो फिर क्या वजह है कि जयपुर की म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन को चुनने का अधिकार जयपुर की जनता को न हो?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--आप इर्रिलिवेन्ट कह रहे हैं। आप मजाक में सब कह जाते हैं, पर इर्रिलिवेन्ट हैं। यहां इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। न रिपोर्ट में यह बात है और न संशोधन में कुछ कहा गया है इस प्रकार से।

श्री मानसिंह महार--आप इर्रिलिवेन्ट बोल रहे हैं जो चेयर को एड्रेस नहीं करके डाइरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं (हंसी) इसको इर्रिलिवेन्ट कह रहे हैं बमुकाबले में जो चीज सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्लॉज ४७ में जो बात रक्खी है उसका विरोध कर रहा हूं। पार्लियामेन्टरी बात समझिये आप अभी पार्लियामेंन्टरियन नये हैं। पर मेरा १० वर्ष का तजुर्बा है इसलिये मानता हूं कि जो कुछ कहता हूँ सोच समझ कर और संजीदगी से कहता हूं। आप जल्दबाजी करते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--सपोर्ट भी कर रहे हैं एक तरफ और विरोध भी।

श्री मानसिंह मह्हार—आपकी धारा का विरोध कर रहा हूं और उनके अमेन्डमेन्ट को सपोर्ट, सुनते जाइये आप।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, अब मन्त्रीजी महोदय ने मुझे जगाया है तो वास्तविकता की ओर आ रहा हूं। (हंसी) यह जो अमेन्डमेन्ट आया है वह ऐसा है जिसके अन्दर कि जनतन्त्र की थोडी बहुत तो रक्षा होती है लेकिन ओरिजिनल धारा ४७ के अन्दर जो यह व्यवस्था की गई है उसमें जिस प्रकार से जनतन्त्र की हत्या की गई है उसको कुछ हद तक रोकने का प्रयत्न भी किया गया है पर वह प्रयत्न भी मैं पूरा नहीं मानता हूँ। मैं यह समझता हूँ कि अगर किसी छोटे से देहात के आदमियों को यह हक होता है कि वह अपनी पंचायत के सरपंच को या उप सरपंच के चुन सकते हैं तो हमारे जयपुर जैसे बडे शहर के या जोधपुर जैसे बडे शहर की जनता को यह हक क्यों नहीं दिया जाता कि वे अपना चैयरमैन स्वयं चुनें? यह हक नहीं मिलना, इस बात को मै अन्यायपूर्ण मानता हूँ। इस बात के बारे में मेंने पहले कहा था कि सरकार की नीति कोई ऐसी नीति नहीं है जिसमें ऐसी बात हो कि एक ही नीति पर चलती हो। सरकार कहीं पर किसी बात को किसी मिसाल को लेकर काम करती है और कहीं किसी प्रान्त की नकल करना चाहती है। यह किसी भी सरकार के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, शोभा की बात नहीं है कि वह किसी और प्रान्त की नकल किया करे। वास्तविकता यह है कि हमें म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन के चुनाव के लिये इस बात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हम उन लोगों का चुनाव डाइरेक्ट इलेक्शन से करें? शहर की जनता को हम यह कह दें कि वह अपने चेयरमैन को स्वयं चुने।

तो मन्त्रीजी ने जैसा फरमाया कि मैं एक नई बात रख रहा हूं इस बात को मैं मानता हूं और मानते हुये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करुंगा कि म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन का जो चुनाव हो और वाइस चेयरमेन का जो चुनाव हो वह डाइरेक्ट इलेक्शन से होना चाहिये और जो सिलेक्ट कमेटी की तरफ से क्लॉज रक्खा गया है उसका मैं विरोध करता हूँ।

मैं यह समझता हूं कि कोई भी आदमी जनतन्त्र के युग में इस प्रकार की बात को मन्जूर करने को नहीं तैयार होगा कि आज के युग में म्यूनिसिपेलिटी के मेम्बरों को ही यह हक दिया जावे कि वे अपना चेयरमेन चुनें और जनता नहीं चुने। इसलिये पहली बात जो मैं निवेदन करना चाहता था वह यही थी।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता था वह है हमारी म्यूनिसिपेलिटी के चेयरमेन और वाइस चेयरमेन के चुनावों के बाद जो दूसरी बात आती है कि उनको हटाया जावे तो क्या किया जावे। हमारे यहां पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में यह बात रक्खी गई है कि अगर चेयरमेन न हो और वाइस चेयरमेन को हटा दिया जावे और इसके बाद में म्यूनिसिपेलिटी में कोई आदमी न हो तो सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वे उस लेकूना को पूरा करे और किसीको उस जगह पर नोमीनेट कर दे।

हमको देखना यह पड़ता है उपाध्यक्ष महोदय, कि जो नोमिनेट करने वाला आदमी है वे किस हस्ती के आदमी हैं, किस प्रकार के आदमी हैं। मैं कोई लांछन किसी पर लगाना नहीं

[श्री मानसिंह महार]

चाहता हूं। मैं मानता हूँ कि किस प्रकार की राजस्थान में सरकार हमारे सन्मुख है, किस प्रकार के मन्त्री बैठे हैं। वे बहुत ही ऊंचे दर्जे के आदमी हैं।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—रिलेवेन्ट कहें।

श्री मानसिंह महार—बिलकुल रिलेवेन्ट हूँ साहब। जिनको नोमिनेट करने का अधिकार दिया जावेगा उनकी योग्यताओं को डिफाइन कर रहा हूँ। अगर यह भी रिलेवेन्ट नहीं है तो फिर आपकी मर्जी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि जो कुछ निवेदन कर रहा हूँ वह आपकी आज्ञा से, बड़े सही ढंग से कर रहा हूं और आज यह हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान में इस प्रकार के आदमी ट्रेजरी बेन्चेज में नहीं हैं जिनके ऊपर हम यह विश्वास कर सकें कि वह सही आदमी नोमीनेट करेंगे। अगर ऐसे आदमी आज वहां बैठते तो नोमीनेट करने का हक देने में किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करते। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा तजुर्बे आज तक हमको यह बात बताते हैं कि इस प्रकार की जो बात है उसमें आज तक हमको यह बताया है कि.... उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं दीखता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जो बातें सदन के समक्ष रखी हैं वे बातें ऐसी बातें हैं कि जिनके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम यह चाहते हैं कि सरकार जो इस बात का हक लेती है कि अगर चेयरमेन को बरखास्त कर दिया जाय और अगर वाइस चेयरमेन नहीं हो ऐसी सूरत में सरकार किसी आदमी को नोमीनेट करे वह काम सरासर गलत होगा। यह एक हम सरकार को ऐसा हथियार दे रहे हैं कि जिसका सरकार ऐसा दुरुपयोग करेगी कि एक बार किसी को नोमीनेट किये बाद येनकेनप्रकारेण अपने गुर्गे को उस पोस्ट पर जब तक नये चुनाव नहीं हों तब तक कायम रखने के लिए हर प्रकार की अड़चनें डाल कर चुनावों को नहीं होने देंगे और चुनाव नहीं होने से नोमीनेटेड आदमी उस पोस्ट पर काम करता रहेगा। यह कोई व्यवस्था उचित नहीं है। मैं यह समझता हूँ कि अगर कोई म्युनिसिपेलिटी का चेयरमेन और वाइस चेयरमेन नहीं है और चुनाव होने में १०, १५ दिन का समय लगता है तो सरकार यह व्यवस्था करे कि बोर्ड के मेम्बर्स अपने में से एक आदमी को १५ दिन के लिए नोमीनेट कर सकते हैं बाकायदा ड्यू नोटिस वगैरह देने में कुछ समय लगे तो कोई भी आदमी हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार इस बात को उचित नहीं समझती। मैं यह समझता हूँ कि यह नोमीनेट करने की जो प्रणाली है वह बहुत गलत है। सरकार जो इस हथियार को बार बार अपने हाथों में लेना चाहती है तो यह बिल्कुल गलत चीज है। जो देश डेमोक्रेसी के

Page No 77

[श्री मानसिंह महार]

अन्दर काफी आगे बढ़ गये हैं। जिन देशों ने ऐसी कार्यवाहियां की हैं कि जिनके अन्दर डेमोक्रेसी कई वर्षों से पनप रही है वहां पर नोमीनेशन की प्रणाली अच्छी हो सकती है, लेकिन यहां पर डेमोक्रेसी अभी बिल्कुल अपनी शिशु अवस्था में है, जहां पार्टीबाजी कटुता से ओतप्रोत है, जहां जो काम होते हैं वे सब पार्टीबाज़ी की निगाह से होते हैं। एक तरफ तो ऐसी बात है और दूसरी तरफ हम इंगलैन्ड का मुकाबला करना चाहते हैं। इंगलैन्ड तो ऐसा देश है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिसने दुनियां को डेमोक्रेसी दी है। जहां कि आज भी विरोधी दल का इतना महत्व है कि अगर रूस के नेता लोग वहां जाते हैं तो लेबर पार्टी के लीडर्स को उनसे मिलने का, अपनी राय जाहिर करने का हक होता है, लेकिन राजस्थान के अन्दर अगर विरोधी पक्ष सरकारी पक्ष को सुझाव दे देता है तो उस सुझाव की ओर सरकार ध्यान नहीं देती है। यह तो वह प्रांत है कि जिसे कहें कि हिटलरशाही नादिरशाही, का प्रत्यक्ष नमूना है।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जो निवेदन कर रहा था वह यह कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर जो कार्यवाही हो रही है नोमीनेशन की वह आज की सरकार के रवैये को देखते हुए उचित नहीं है।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करूं इसके बारे में वह यह है कि इसके अन्दर यह रखा गया है कि म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन को एलाउन्स के रूप में कुछ दिया जाय, उपाध्यक्ष महोदय, पहली चीज इसके उपर जिसका विरोध में करना चाहता हूं वह यह है कि इसके अंदर बड़े शहरों और छोटे कस्बों के अन्दर फर्क डाला गया है। हमको इस प्रकार की बात इस कानून के अन्दर नही रखना चाहिए था कि जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, में तो इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, और उनसे छोटे इलाकों में इस प्रकार से होना चाहिए। हमको तो यह ध्यान देना चाहिये था हमको कोई अगर एलाउन्स देना है तो वह अलाउन्स किस प्रकार से होना चाहिये हमको एक सिद्धान्त अपनाना चाहिए था कि एलाउन्स म्युनिसिपेलिटी की आमदनी के हिसाब से होना चाहिए। इस प्रकार की अगर कोई बात आती तो वह उचित होता, लेकिन इस प्रकार की कोई बात नही है। मैं यह मानता हूं उपाध्याय महोदय, मैं उन आदमियों में नहीं हूं कि जो किसी म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन से तो ६, ८ घन्टे लिया जाय और उसको अलाउन्स इतना कम दिया जाय कि वह अपने घर वालों का पालन पोषण नहीं कर सके। मैं उन सिद्धान्त को मानने वाले आदमियों में से हूं कि म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन तो क्या मेम्बर्स तक को एलाउन्स इतना मिलना चाहिए कि वह अपने कार्य को सही तरीके से कर सकें, आज तक का यह तजुर्बा रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बड़े कस्बों के अन्दर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन वकील लोग होते हैं, और वे वकील लोग क्या करतेहैं कि कोर्ट टाइम के अन्दर जाते हैं, बडी बड़ी फीसें लेते हैं और वहां पर दिनभर काम करते हैं, फिर भागते दौड़ते घन्टा दो घन्टा बेचारे म्युनिसिपैलिटी में आकर बैठते हैं और कुछ इधर और कुछ उधर थोड़ा बहुत काम

Page No 78

[श्री मानसिंह महार]

किया और फिर अपने घर को रवाना हो जाते हैं। इस प्रकार की जो प्रणाली है वह गलत है। मैं यह मानकर चलता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, कि म्युनिसिपैलिटी का चेयरमेन वह आदमी होना चाहिए जो कम से कम ६ घन्टे का समय रोज उस काम को दे सके। अगर ६ घन्टे का समय कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है तो उसको म्युनिसिपैलिटी का चेयरमेन नहीं होना चाहिए। जो आदमी ६ घन्टे या ८ घन्टे का समय देगा उसके लिए यह निश्चित बात है कि वह दूसरा किसी प्रकार की आमदनी का जरिया अपना नहीं सकता। ऐसी सूरत के अन्दर यह लाजिमी हो जाता है कि म्युनिसिपैलिटीज़ के चेयरमेन जो होते हैं उनको अच्छी तनख्वाह देनी चाहिए। उनको अच्छी तनख्वाह देने से यह होगा कि योग्य आदमी आगे आयेंगे और योग्य आदमी के आगे आने में आजकल म्युनिसिपैलटीज़ में भ्रष्टाचार वगैरा फैल रहा है वह नहीं फैलेगा, और उसके अन्दर जनता को लाभ पहुंचेगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र के संशोधन के बारे में कहते हुए और जो सिलेक्ट कमेटी ने धारा ४७ रखी है उसके विरोध में बोलते हुए यह समझता हूं कि यह जो म्युनिसिपेलिटीज़ बिल है वह पूरा ही बड़े गलत तरीके से बनाया गया है, लेकिन जो गलतियां थी उन गलतियों के बाद वह अगर इस धारा ४७ को देखते हैं तो यह महसूस होता है कि यह धारा बहुत ही गलत तरीके से रखी गई है और खास करके जहां पर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन की वेकेन्सी होने पर नोमोनेशन की बात रखी गई वह तो और भी गलत है।

अब आखरी पाइन्ट जिसके ऊपर मैं निवेदन करूंगा वह यह है "रिमूवल ऑफ चैयरमेन।" इसके अन्दर यह रखा गया है कि अगर किसी म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों में से २।३ अगर किसी चेयरमेन के खिलाफ होंगे तो उसको हटाया जायगा। अगर मैजोरिटी खिलाफ होगी तो नहीं हटाया जा सकता है। यह एक बहुत ही गलत प्रणाली है, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक प्रकार की ऐसी बात हो गई कि उस म्युनिसिपल बोर्ड के ऊपर एक ऐसे आदमी को थोपा जा रहा है जिसको उस बोर्ड के सदस्यों का विश्वास प्राप्त नहीं है। एक १५ मेम्बर्स का बोर्ड ले लिया जाय उसमें अगर ६ आदमी चैयरमेन के खिलाफ होंगे तो वह २।३ मेजोरिटी नहीं होगी उस सूरत के अन्दर काम करता रहेगा, नतीजा क्या होगा इसका म्युनिसिपल बोर्ड का जो वर्क है वह सब ठप्प हो जायगा। कोई भी चेयरमेन किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव उसमें लायेगा तो जो ६ आदमी विरोध में हैं वे उन प्रस्तावों को पास नहीं होने देंगे। हर प्रकार के काम में अड़चने डालते रहेंगे, क्योंकि म्युनिसिपल बोर्ड में जितने काम होंगे वह मेजोरिटी ऑफ वोट्स से होंगे और मेजोरिटी ऑफ वोट्स चेयरमेन की राय में राय नहीं रखता है। इसलिए सारा काम रुक जायगा। लेकिन जब चेयरमेन को हटाने का सवाल आयगा तो उसके अन्दर २।३ मेजोरिटी चाहिए और एक या दो आदमियों से २।३ की मेजोरिटी नहीं आयगी तो चेयरमेन हट नहीं सकेगा। जवाब में कहा जायगा बहुत मुमकिन है कि जब ऐसी परिस्थिति हो जायगी तो चेयरमेन अपने आप रिजाइन कर देगा। यह तो हमारा तजुर्बा है कि आज कल किसी पद पर सत्तारूढ दल का कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो वह वहां से आसानी से हटता नहीं है। वह आदमी चाहे कितना ही नेक

[श्री मानसिंह महार]

हो, चाहे जैसा हो लेकिन एक बार कोई पद हाथ आये बाद उस पद को छोड़ना नहीं चाहता। यह म्युनिसिपेलिटी में होगा. उपाध्यक्ष महोदय, चाहे म्युनिसिपेलिटी का काम ठप्प हो जाय, जब तक म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन के खिलाफ २।३ वातावरण न हो उसके लिए वह फिरता रहेगा, चाहे वहां के आदमियों का कुछ भी हाल हो जाय, वह हो जायगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे तो खुद एक म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन रह चुके हैं, वे इस ओर ध्यान दें। अगर मेजोरिटी चेयरमेन के खिलाफ होगी, वह रिजाइन नहीं करेगा, अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं होगा तो उस बोर्ड की क्या हालत होगी? इस पोइन्ट पर विशेष रूप से ध्यान दें यह मेरा आग्रह है और आग्रह इसलिए है कि वे अलवर म्युनिसिपल बोर्ड जैसा कि सुनने में आता है कि खूंखार प्रेसिडेन्ट रहे हैं हालांकि यहां तो उन्होंने ऐसी कोई बात बतायी नहीं। मैं तो मानता हूं कि वे यहां भी इसी प्रकार का कोई नमूना प्रस्तुत करेंगे। तो न्याय यह मानता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि मेजोरिटी अगर बोर्ड में चेयरमेन की नहीं है तो चाहिये तो यह कि चेयरमेन को एक मिनिट भी वहां नहीं रहना चाहिए। मैं तो उन आदमियों में से हूँ, उस पार्टी में हूँ, उन आदमियों में विश्वास करने वाला हूं कि जहां भगवान राम के खिलाफ एक आदमी ने कहा था और उन्होंने सीता को वनवास दे दिया लेकिन आज राजस्थान के लाखों करोड़ों आदमी कह रहे हैं कि आप कुर्सी छोड़ दें लेकिन वे चिपक महादेव हो रहे हैं। मैं कहूंगा कि चाहे आप कुर्सियां न छोड़ें, कुछ भी करें लेकिन इस प्रकार की म्युनिसिपेलिटी

(घंटी)

में प्रणालियां न अपनाइये जिससे म्युनिसिपेलिटीज़ का काम ठप्प हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—रिपीटिशन हो रहा है।

श्री मानसिंह महार—यह तो बड़ा महत्वपूर्ण क्लॉज है ४७, तो उपाध्यक्ष महोदय, इसमें १४-१६ तो उपधारायें हैं, इसमें क्या कुछ अधिक समय नहीं देंगें।

श्री उपाध्यक्ष—तैयारी करके नहीं आये।

श्री मानसिंह महार—मंत्री लोग सुनते ही नहीं, तैयार तो होकर आया हूं। इसमें तीन मोटे २ मुद्दे हैं। (विराम) तैयार तो हूँ जिस प्रकार से कहें। मंत्री लोग तो सुनने को तैयार ही नहीं होते।

श्री उपाध्यक्ष—उसको तो जाने दीजिये, पोइन्ट पर बोलिये।

श्री बद्रीप्रासाद गुप्ता—मैं सुन रहा हूँ।

Page No 80

श्री मानसिंह महार—अगर आप इस बात को मानते हैं तो दूसरी बात है। अगर मंत्रीजी यह समझा देंगे कि २।३ मेजोरिटी न होने तक मेजोरिटी पार्टी का ही चेयरमेन बना रहेगा तो वह म्युनिसिपल बोर्ड सही तरीके से किस प्रकार काम कर सकेगा, यह बात समझा देंगे तो मैं मान लूंगा कि जो कुछ मैंने कहा वह गलत कहा। ऐसी सूरत में मैं माननीय मंत्रीजी से आशा करूंगा और सदन से तो आशा करता ही हूं कि सदन को इस प्रकार की गलत बातों को अपनाने के लिए अपनी राय कभी नहीं देगा। मंत्रीजी इस पर सोचें, गम्भीरता से सोचें और ऐसा गलत कानून न बनाये जिससे कि आगे जाकर जनता को उससे नुकसान पहुँचे। तो ये तीन चार मुद्दे इस धारा में खास खास हैं। मैं आशा करूंगा कि सदन जो मेरे मित्र ने अमेन्डमेन्ट्स रखे हैं उनको मंजूर करेगा और सिलेक्ट कमेटी में जो मंत्रीजी ने बातें रखी है उनको ठुकरायगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस क्लॉज को डेफर करने की बात थी। अगर यह बात मंजूर नहीं की जाती है तो फिर मैं इसका जवाब दे दूं।

रावराजा सरदारसिंह—कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—आप चाहेंगे तो डेफर तो हो जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता - इसको डेफर कर दिया जाय।

(सदन की स्वीकृति से क्लॉज ४७ डेफर किया गया)

श्री उपाध्यक्ष--क्लॉज ४७ (ए) एक नये संशोधन के रूप में आया है। श्री चांदमल मेहता।

(अनुपस्थित)

क्लॉज ४८,

श्री चांदमल मेहता

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंसिंह।

श्री मुकिलाल मोदी—महाराज आधे मेम्बर तो चले गये हैं और जो हैं वे भी सो रहे हैं और इस तरह से यह म्युनिसिपेलिटीज बिल पास हो रहा है।

(घंटी)

Page No 81

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज ४८ पर श्री भैरूंसिंह ।

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४८ में मेरे तीन संशोधन हैं। पहला संशोधन है "Substitute the word 'District Magistrate' for the words 'State Government' in sub-clause (1)."

दूसरा संशोधन है—"Substitute the words 'any member' for the words 'a candidate.........rejected' in the first and second lines in sub-clause (2)."
तीसरा मेरा अमेन्डमेन्ट है—"Substitute the following for sub-clause (3) 'The State Govt. may delegate the powers of a District Judge to an Additional Sessions and Civil Judge."

उपाध्यक्ष महोदय, धारा ४७ में म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन का चुनाव किस तरह से होगा इसकी हमने व्यवस्था की है। क्लॉज ४८ में हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि एक चेयरमेन और वाइस चेयरमेन का चुनाव किस प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है। क्लॉज ४८ के सब क्लॉज (१) के अनुसार किसी भी चेयरमेन और वाइस चेयरमेन के चुनाव को स्टेट गवर्नमेंट के समक्ष एक इलेक्शन पिटिशन के द्वारा क्वेश्चन किया जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष, यह मानकर हम चलते हैं कि वाइस चेयरमेन और चेयरमेन के चुनाव में अनियमिततायें हो सकती हैं। और उन अनियमितताओं के कारण से यदि कोई व्यक्ति अपने आपको एग्रीव्ड महसूस करता है तो वह उस चुनाव के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन दायर करे। लेकिन वह इलेक्शन पिटीशन किस जगह हो ? इस बारे में इस उपधारा के अनुसार इलेक्शन पिटीशन सरकार के पास होगा, और सरकार उस इलेक्शन पिटीशन की सुनवाई करके अपना निर्णय देगी। मैंने अपना यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि सरकार के स्थान के ऊपर यह इलेक्शन पिटीशन डिस्ट्रिक्ट जज के पास होनी चाहिये। और दूसरा जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह उपधारा (२) पर है। उपधारा (२) में लिखा है, माननीय उपाध्यक्ष

"(2) Such petition may be presented by a candidate who has been defeated or whose nomination has been rejected in such manner, on such grounds and within such period as may be prescribed, along with a deposit of one hundred rupees."

इस उपधारा के अनुसार जो आदमी हार गया है वह इलेक्शन पिटीशन कर सकेगा। जिस आदमी का नोमीनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया हो वह आदमी इलेक्शन पिटीशन कर सकेगा। उसके लिए कितने समय में इलेक्शन पिटीशन होगा, किन ग्राउन्ड्स पर इलेक्शन पिटीशन होगा उसके लिए सरकार प्रेस्क्राइब करेगी रूल्स में कि वे ग्राउन्डस किस प्रकार के होने चाहिये, कितना समय होना चाहिये। मैंने अपना संशोधन जो इस उपधारा में प्रस्तुत किया है उसके द्वारा यह व्यवस्था हो जायगी कि केन्डीडेट जो हारा हुआ हो वही इलेक्शन पिटीशन कर सके, यह बात नहीं है; लेकिन नगरपालिका का

[श्री भैंरु सिंह]

कोई भी वोटर यह इलेक्शन पिटीशन पेश कर सके, इस बात का हमें उसको अधिकार देना चाहिये ।

तीसरा जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है वह एक नई उपधारा के लिये है । जिसमें यह दिया गया है कि:–

"Substitute the following for sub-clause (3) और सब क्लॉज (३) इस प्रकार है:—

"If the petition has been duly presented, the State Government shall without entering into the merits of the question raised, refer it for decision to the Judge."

यदि स्टेट गवर्नमेंट के पास वह इलेक्शन पिटीशन आती है तो उसके मेरिट्स में जाये बिना ही उस इलेक्शन पिटीशन को फैसले के लिये जज के पास भेज देंगे । मैंने इसमें जो अपना संशोधनप्रस्तुत किया है वह इस प्रकार है:–

"The State Government may delegate the powers of a District Judge to an Additional Sessions and Civil Judge."

माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक सरकार के पास इलेक्शन पिटीशन करने का प्रश्न है मैं अभी भी यह समझ नहीं पाया हूं कि जब उपधारा (२) के अनुसार हम उस इलेक्शन पिटीशन को जिस तरह का इसमें लिखा है उपधारा (३) में:–

"If the petition has been duly presented, the State Government shall without entering into the merits of the question raised refer it for decision to the Judge." तो सरकार की भी यह मान्यता है कि इस प्रकार को जो इलेक्शन पिटीशन आये तो उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स में न जाकर उस इलेक्शन पिटीशन को किसी जज के पास डिसीजन के लिए भेज दे । लेकिन उसमें एक दिक्कत पैदा होगी, और वह दिक्कत वह होगी कि इलेक्शन पिटीशन वह सरकार के सामने पेश करें । माननीय उपाध्यक्ष, इलेक्शन पिटीशन ही स्वयं खर्चीली है । कोई भी नगर पालिका के चुनाव की इलेक्शन पिटीशन करने का अधिकारी यदि कोई इलेक्शन पिटीशनकरना चाहे तो उसे सबसे पहले वकीलों की सलाह लेनी पड़ेगी । वकील उसको इन्गेज करना पड़ेगा और वकीलों की सलाह के बाद वह आवश्यकता समझे, यदि वह वकील को पैसा दे सकेगा, यदि उसके पास इलेक्शन पिटीशन करने की सामग्री हो सकेगी तो वह आदमी इलेक्शन पिटीशन करनेकी तैयारी करेगा। मैं यह चाहता हूं कि इसमें जहां हम इलेक्शन पिटीशन करने वाले पर इस बात की जिम्मेदारी लाद रहे हैं, उसके ऊपर खर्चा डालने कि व्यवस्था कर रहे हैं, उस सूरत में हम यह चेष्टा करें कि जो इलेक्शन पिटीशन करने वाले हैं उनके ऊपर कम से कम खर्चा हो । यदि इसी धारा के अनुसार

Page No 83

[श्री भैरुंसिंह]

इलेक्शन पिटीशन सरकार के पास आती है तो जैसलमेर की म्युनिसिपेलिटि के खिलाफ यदि कोई चुनाव याचिका प्रस्तुत करते हैं तो जैसलमेर वालों को जयपुर आना पड़ेगा और सरकार के सामने इलक्शन पिटीशन पेश करनी पड़ेगी और सरकार के सचिवालय में एक बार के आने से वह इलेक्शन पिटीशन किसी जज के पास चली जाय यह संभव नहीं है, बल्कि एक बार नहीं दो तीन बार रिमाइन्डर इशू करने पड़ेंगे, और रिमाइन्डर के बाद उसको स्वयं सेक्रेटेरियेट में आकर उपस्थित होना पड़ेगा, और यदि उसकी उपस्थिति मे अच्छे लोगों ने देख लिया तो इलेक्शन पिटीशन किसी जज के पास चली जायगी, नहीं तो सरकार के सचिवालय में जिस तरह से और कागज रेड टेपिज्म के शिकार होते हैं उस तरह से वह इलेक्शन पिटीशन भी रेड टेपिज्म का शिकार होकर एक अनिश्चित अवस्था में पड़ी रहेगी। मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है कि जो आदमी पिटीशन करे तो जितनी सहूलियत उसको प्रदान कर सकें उतनी सहूलियत प्रदान करनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को जहां इलेक्शन पिटीशन पेश करने की बात कहना चाहते हैं वहां उसे यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन करने की आवश्यकता महसूस होती है तो उसी डिस्ट्रिक्ट के सैशन्स जज के पास इलेक्शन पिटीशन कर दी जाय, तो उसका मतलब य हहोगा कि जैसलमेर वाले को केवल जोधपुर आना पड़ेगा सीकर वाले को सीकर में ही रहना पड़ेगा। झुन्झुनू वाले को झुन्झुनू रहना पड़ेगा। उनको यह नहीं करना पड़ेगा कि इलेक्शन पिटीशन के लिए यहां जयपुर में आयें और जयपुर के वकीलों को करें और उन वकीलों को दुबारा पैसा दें। तो मैं यह चाहता हूँ कि "स्टेट गवर्नमेंट" इन शब्दों के स्थान पर 'डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज' उस डिस्ट्रिक्ट का यदि होजाय तो यह एक प्रकार से उचित व्यवस्था करने वाला संशोधन होगा।

दूसरा मेरा संशोधन जो है वह इस पर है कि जो इलेक्शन पिटीशन करने का अधिकार दिया है वह उस व्यक्ति को दिया गया है जिसका नोमीनेशन फार्म रिजेक्ट हो जाय या जो व्यक्ति हार गया हो। उन दोनों व्यक्तियों को अधिकार दिया है कि वे इलेक्शन पिटीशन करें। लेकिन अक्सर देखने में ऐसा आता है कि हमारी सरकार साधनसंपन्न सरकार है। यह सरकार यदि किसी व्यक्ति को चाहे तो बहुत कम व्यक्ति उनके चंगुल से बचते हैं। यदि उनकी लीला में फंस जाय तो इलेक्शन पिटीशन तो क्या, इलेक्शन पिटीशन की अलहदा बात है; वे विद्ड्रा करवाने को मजबूर कर सकते हैं। मैंने देखा है, स्वयं ने देखा है कि कई जगह जिन लोगों ने इलेक्शन पिटीशन कोर्ट्स में दायर कर दीं उनके ऊपर दबाव डाला गया, उनको परेशान करने की कार्यवाहियां कीं, और परेशान करने में नाजायज दबाव से यदि वह आदमी उनके प्रलोभन में नहीं आता है तो उसको लालच देने की चेष्टा की जाती है कि तुमको म्युनिसिपेलिटी में सर्विस मिल जायगी, तुम्हारे घर वालों को सर्विस मिल जायगी; इलेक्शन पिटीशन वापिस ले लो तो अमुक अमुक प्रकार का आर्थिक लाभ तुम्हें हो जायगा इस प्रकार का लालच देकर सरकार प्रयत्न करती है कि वह इलेक्शन पिटीशन करने वाला व्यक्ति जो हार गया है वह हारा हुआ व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रयत्न नहीं कर सके।

Page No 84

[श्री भैंरु सिंह]

तीसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि दूसरा जिसको अधिकार दिया गया है वह है जिसका कि नोमीनेशन फोर्म रिजेक्ट हो जाय। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि नोमीनेशन फार्म जिस व्यक्ति का रिजेक्ट होता है उस आदमी के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था करी है, इस सदन में वह क्लॉज डेफर हो गई है और डेफर इस सूरत के ऊपर हुई है कि मैंने संशोधन प्रस्तुत किया था और यह मांग की थी कि नोमीनेशन रिजक्ट होने के कारण यदि कोई आदमी इलेक्शन पिटीशन करना चाहे तो डे आफ पोलिंग से पहले पहले इलेक्शन पिटीशन कर दे ताकि केवल नोमीनेशन रिजेक्ट होने के कारण से आगे चलकर जो इलेक्शन हुआ उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं हो ताकि खाली नोमिनेशन रिजेक्ट हुआ है उस कारण से आगे चलकर इलेक्शन हुआ है उस पर कोई असर न हो। उस समय शायद मंत्रीजी इस स्थिति में नहीं थे कि सारी काम्प्लीकेशन्स को दृष्टि में रखकर इसको स्वीकार कर लेते इसलिये उन्होंने क्लॉज को डेफर किया। अब शायद वे इस स्थिति में होंगे कि नोमिनेशन फोर्म जिनका रिजेक्ट हो उसके खिलाफ अगर कोई इलेक्शन पिटीशन हो तो इलेक्शन होने के पहले ही उसका निर्णय हो जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष, सदन में कोरम नहीं हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आज ७ बार कोरम की घन्टी बज चुकी है।

[गणपूरक घन्टी के पश्चात्]

श्री भैंरु सिंह—यह बात बिल्कुल सही है कि आज ७ बार कोरम की घन्टी बजाई गई है। मैं निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपल बिल पर विचार अन-इन्ट्रेस्टेड हालत में करना ठीक नहीं होगा, इसलिये इस हाउस को आज एडजोर्न कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें कोई दिलचस्पी नही लेते इसलिए इसको पास ही क्यों नहीं कर दिया जाय ?

श्री हिम्मतसिंह [अटरू]—आज सदन में उदासीनता है इस बिल के बारे में, इसलिये आज हाउस को एडजार्न कर दिया जाय और कल लिया जाय तो अच्छा हो। गवर्नमेन्ट को भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं मालूम होती है।

श्री भैंरु सिंह—मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब तक इस व्यवस्था के बारे में अन्तिम तौर से सरकार के निर्णय का हमें पता नहीं चलता तब तक इस स्थिति में नहीं हैं कि नोमिनेशन फोर्म के रिजेक्ट होने पर इलेक्शन पिटीशन की जा सके, उसकी व्यवस्था इस धारा में करनी चाहिये या नहीं ? मैं यह मानता हूं कि नोमिनेशन पेपर रिजेक्ट होने की सूरत में पोलिंग से

[श्री भैरु'सिंह]

पहले फैसला हो जाय इस प्रकार की व्यवस्था करने वाली धारा लानी चाहिये ताकि इलेक्शन पर कोई असर नहीं हो। कई बार यह देखने में आया है कि नोमिनेशन पेपर रिजेक्ट होने और चुनाव होने के १२ महीने बाद इलेक्शन पिटीशन का फैसला होता है और यह कहा जाता है कि गलत तरीके से एक आदमी का नोमिनेशन फोर्म रिजेक्ट किया गया इसलिए इलेक्शन पर मेटीरियल इफेक्ट पड़ता है इसलिये दुबारा इलेक्शन किया जाय। नतीजा यह होता है कि आज जो इलेक्शन हुआ वही १२ महीने बाद फिर होगा, इससे वोटर्स को परेशानी होती है, केन्डिडेट्स को परेशानी होती है और गैरवाजिब तौर से खर्चा होता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्रीजी जब इस संशोधन का उत्तर देंगे उस वख्त यह बतायेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये। लेकिन मेरा संशोधन दूसरा है। मैंने यह मांग की है कि नोमिनेशन पेपर जिसका रद्द हुआ है या जिसकी हार इलेक्शन में हुई है केवल उसी को इलेक्शन पिटीशन करने का अधिकार नहीं हो बल्कि हर नागरिक को अधिकार होना चाहिये कि वह इलेक्शन पिटीशन कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव किस प्रकार से होते हैं, हमने यह भी देखा है कि उनमें गड़बड़ियें किस प्रकार होती हैं। राजस्थान में ही नहीं लेकिन जम्मू में भी अभी म्युनिसिपल चुनाव हुये थे और जो गड़बड़ियें वहां हुई उनको लेकर कोई भी आदमी यह कह सकता है कि मैं इलेक्शन पिटीशन करूंगा। वहां का उदाहरण मैं आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूँ। वहां पर केन्डिडेट्स के लिए क्वालीफिकेशन रखी थी कि केन्डिडेट मिडिल पास होना चाहिये। अब जब नोमिनेशन पेपर्स भरे गये तब मिडिल पास का सार्टीफिकेट जिन लोगों ने पेश किया उनको तो वेलिड केन्डिडेट मान लिया गया। लेकिन जो केन्डिडेट ग्रेज्युएट थे, लाग्रेज्युएट थे, साहित्य रत्न थे उन्होंने अपने बी. ए. पास होने के या एल एल. बी के या साहित्य रत्न के सार्टिफिकेट पेश कर दिए लेकिन मिडिल के सर्टिफिकेट पेश नहीं किये इसलिये उनको रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि तुम्हारे पास मिडिल का सर्टिफिकेट नहीं है। यहां भी इसी प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। राजस्थान ऐसी बातों में आगे बढ़ा हुआ है। जम्मू और काश्मीर से भी आगे जाने का सवाल हो तो वहां राजस्थान सरकार बोर्ड लगाकर आगे पहुँचने के लिये तैयार है। यह कोई दलील या लोजिक नहीं हो सकती कि इलेक्शन पिटीशन वही कर सकता है जिसका नोमिनेशन फोर्म रिजेक्ट हुआ है या जो हार गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह की गड़बड़ियें और अन्याय यहां किये जाते है और जहां गलत चुनाव होते हों वहां हरेक वोटर को अधिकार होना चाहिए कि वह इलेक्शन पिटीशन कर सके। कोई आदमी किसी कारण से नोमिनेशन पेपर देरी से पेश करे या किसी को इलेक्शन में भाग लेने का मौका नहीं मिला और उसके सामने प्रत्यक्ष चीज है कि इलेक्शन गलत तरीके से हुआ है, तो उसको अधिकार होना चाहिये कि वह पिटीशन पेश कर सके। कई बार ऐसा होता है कि एक मेम्बर भोलेपन से फोर्म भरता है और उसके प्रपोज़र और सेकन्डर पर दबाव डालकर किसी की तरफ से कहा जाता है कि तुम कहदो कि हमने दस्तखत नहीं किये, धोखा देकर हमसे नोमिनेशन फोर्म भरवाया गया है, या षडयंत्र के फल स्वरूप उनसे इन्क्वायरी कराई जाती है और नोमिनेशन गलत होता है। कई आदमी ऐसे होते है जो दस्तखत करने के

[श्री भैंरू सिंह]

लिये रिटर्निंग आफिसर के पास नहीं जाते। कई जगह ऐसा होता है कि सरकारी दबाव के कारण दूसरे आदमी खड़े नहीं हो सकते, उनका सहयोग नहीं मिल सकता। ऐसी सूरत में जिन्होंने न तो नोमिनेशन पेपर भरा और जो न इलेक्शन में हारे, वे, यदि इस तरह की धारा मौजूद रहती है तो इलेक्शन पिटीशन नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा कि उनको चुनाव में हराया नहीं, उनको यदि यह मालूम होता है कि म्युनिसिपल चुनाव में गड़बड़ियें हुई हैं तो उसको चुनौती देने के लिए हर आदमी को अधिकार होना चाहिये कि वह पिटिशन कर सके। नगरपालिका का छोटा सा तो एरिया होता है, उसमें यदि इस प्रकार की शर्त रखेंगे तो अनुचित होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

इसके अलावा मैंने संशोधन रखा है कि जहां सरकार ने डिस्ट्रिक्ट जज को इस तरह की पिटिशन सुनने के लिये रखा है वहां एडिशनल सेशन्स जज और सिविल जज को भी सुनने का अधिकार देना चाहिये। कई जगह तो ऐसा है कि दो दो डिस्ट्रिक्ट्स के लिये एक डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज होते हैं। जैसे सीकर और भुन्भुनू के लिए एक ही डिस्ट्रिक्ट जज भुंभुनू में है। सीकर वालों को अपील आदि करने के लिये भुन्भुनू जाना पड़ता है क्योंकि वहां उनकी पैरवी होती है। मैं चाहता हूँ कि एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज को और सिविल जज को भी ऐसा अधिकार होना चाहिये कि वे इलेक्शन पिटीशन सुन सकें। यदि सरकार को अधिकार देते हैं कि वह इलेक्शन पिटीशन को सुनवाई के लिये जिनके पास भेजना चाहे भेज सकती है तो उन व्यक्तियों में एडिशनल सेशन्स जज और सिविल जज को भी शामिल कर लेना चाहिये। इससे जनता को सहूलियत मिलेगी।

मैंने तीन संशोधन रखे हैं। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी उन्हें स्वीकार करेंगे। उन्हें स्वीकार करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि नोमिनेशन पेपर रिजेक्ट होने पर जो इलेक्शन पिटीशन होती है उसका निर्णय पोलिंग से पहले कर दिया जाय। एक धारा डेफर की गई है उसका अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है इसलिये इस क्लॉज को भी यदि डेफर कर दिया जाय तो उचित होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष जी, धारा ४८ में श्री भैंरू सिंह जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। सरकार ने इस क्लॉज ४८ के उप खण्ड (१) में यह रखा है कि सरकार के पास इलेक्शन पिटीशन पेश होनी चाहिये। इलेक्शन पिटीशन का पावर सरकार ने अपने पास रखा है। जो कोई आदमी इलेक्शन पिटिशन करेगा वह सरकार के सामने पेश करेगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज हर तरह की पावर सरकार अपने हाथ में रखती है तो जो सेक्रेटेरियट का काम है वह कौन करेगा, हर तरह का पॉवर सरकार अपने हाथ में लेती है तो और जो काम हैं उनको कौन करेगा जो फाइलें छः छः महीने या बारह महीनों के बाद निकलती हैं उनको कौन देखेगा। बजट पास होता है मार्च में और उसकी सैंकशन आती है फरवरी में, जब यह हालत सरकार की है तब हर तरह की पोवर्स सरकार अपने हाथ में क्यों लेती है, यह समझ में नहीं आता।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

सरकार की नीति क्या है ? फिर एक्ट ही सरकार असेम्बली के सामने क्यों लाती है ? क्या जरूरत है एक्ट असेम्बली में लाने की और उस पर यहां वाद विवाद करने की। उधर बैठने वाली पार्टी में ही पास कर लें, और जैसा चाहें वैसा ही करें। पर असेम्बली के हाउस के सामने एक्ट आता है तो इस तरह का एक्ट आना चाहिए कि जो बहुत अच्छा हो। हर बात में सरकार अपनी टांग अड़ाती है। जो आज सरकार की तरफ से प्लानिंग योजना, पंच वर्षीय योजना बनी है उसमें सबसे ज्यादा रुपया राजस्थान का लेप्स होता है और राजस्थान का जितना रुपया लेप्स होता है उतना दूसरे प्रान्तों का नहीं होता।

(घंटी)

श्री सोहनलाल भटनागर—यहां इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो ऐसी हालत में सरकार अपने हाथ में इलेक्शन पिटीशन के पॉवर रखती है तो वह सरकार के हाथों में न होकर डिस्ट्रिक्ट जज के हाथोंमें होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट जज के साथ साथ एडिशनल जज को रख सकते हैं, इन इलेक्शन पिटीशन को सुनने का पावर उनके हाथमें होना चाहिये क्योंकि हिन्दुस्तान की जनता, राजस्थान की जनता आज के युग में इन पर इतना विश्वास करती है, हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर जनता का इतना विश्वास है कि जनता के अपने चुने हुए मिनिस्टरों के ऊपर उतना विश्वास नहीं है। मिनिस्टरों के ऊपर विश्वास नहीं है, इन जजेज़ के ऊपर जनता को विश्वास है।

तो सरकार को चाहिए कि इस तरह के पॉवरर्स डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन्श जज को देने चाहिये। और सरकार को चाहिये कि अपने जिम्मे जितने कम काम हों उतने ही कम काम रखने चाहिये। हर चीज के लिये सरकार ऐसा न करें कि अपने हाथ में ही सब पॉवर रखे। क्योंकि सरकार के ऐसा करने से हर काम में डिले होती है। अगर सरकार इलेक्शन पिटीशन का काम अपने हाथ में रखेगी तो इससे बहुत डिले होगी और उस डिले से डरते हुए लोग इलेक्शन पिटीशन ही नहीं कर सकेंगे।

ऐसी हालत में श्री भैरू सिंह जी ने जो संशोधन रखा है कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास इलेक्शन पिटीशन सीधी होनी चाहिये, उसके लिये मैं समझता हूं कि मन्त्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे। जब आप जनता के सामने ऐसी बातें करते हैं कि हम अपने हाथ में पॉवर न रख कर जनता के हाथ में देना चाहते हैं तो यहां इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज जनता के आदमी हैं उनको यह पावर देने में सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा जो म्युनिसिपेलिटी के इलेक्शन में खड़े हुए हैं, जिनके नोमिनेशन फार्म रिजेक्ट हो गये हैं, या जो इलेक्शन में हार गये हैं या जिनके नोमिनेशन फोर्म रिजेक्ट हो गये हैं उन्हीं को इलेक्शन पिटीशन करने का अधिकार इसमें दिया गया है। यह बिलकुल गलत तरीका

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

है। इलेक्शन पिटीशन, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का इलेक्शन डिपार्टमेंट है और मन्त्री जी के पास इलेक्शन डिपार्टमेन्ट है, उसमें अमेंडमेन्ट कर दिया है और थोड़ा-घणां बाकी है उसमें भी अमेंडमेंट हो जायगा, तो उसमें प्रोवीजन रखा है इलेक्शन कमिशन गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने कि जिसका फार्म रिजेक्ट हो जायगा किसी एम,एल,ए का या किसी एम, पी का इलेक्शन होगा और उसका फोर्म रिजेक्ट हो जायगा तो चुनाव होने से पहले पहले इलेक्शन पिटिशन का फैसला करके फोर्म दे दिया जायगा।

म्युनिसिपैलिटी के अन्दर अगर फार्म रिजेक्ट हो जाता है तो क्यों नहीं इस धारा के अन्दर रखा जाता कि चुनाव हो उससे पहले पहले ही फार्म रिजेक्ट हो या जो कुछ करना हो सब पहले पहले ही तय हो जाय और एक म्युनिसिपैलिटी के अन्दर इस तरह का अधिकार इलेक्शन पिटिशन का रखा जायगा जब का कि वह तय कर दे। इस अवधि में जिसका फोर्म रिजेक्ट हो उसका फैसला कर देना चाहिये।

तीसरा यह है कि जिसका फार्म रिजेक्ट होगा और जो उस चुनाव में हार जायगा वह आदमी ही इलेक्शन पिटीशन कर सकता है। माननीय उपाध्यक्ष, आज इस आम जनता के अधिकार को छीनना, यह तो एक बहुत बुरी चीज होगी, ऐसा तो कहीं नहीं होता है, दुनियां के किसी कोने में ऐसा नहीं है कि जो इलेक्शन का फार्म भरेगा, जिसका फार्म रिजेक्ट हो जायगा या जो हार जायगा वही इलेक्शन पिटिशन कर सकता है। हर आदमी को यह अधिकार होना चाहिये कि हर आदमी इलेक्शन पिटिशन कर सकता है, हर आदमी को इलेक्शन पिटिशन करने का अधिकार होना चाहिये क्योंकि पार्लियामेंट के चुनावों में और असेम्बलियों के चुनावों में यह अधिकार रखा है के हर एक इलेक्शन पिटिशन कर सकता है। तो क्या कारण है कि म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन में इस प्रकार का अधिकार न रखा जाय? पंचायतों, तहसील पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिनका दायरा म्युनिसिपैलिटी से कहीं अधिक हैं, उनको जब यह अधिकार सरकार ने दिया है कि तहसील पंचायत, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड असेम्बली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में हर एक आदमी, आम जनता का आदमी इलेक्शन पिटिशन कर सकता है तो क्या कारण है कि म्युनिसिपैलिटी में हर आदमी को अधिकार नहीं देते हैं और जो फार्म नहीं भरेगा, इलेक्शन लड़ेगा, वही इलेक्शन पिटिशन कर सकता है? यह क्यों रखा जा रहा है? ऐसा तो कहीं नहीं होता। ऐसा कहां पर होता है, मन्त्री महोदय उदाहरण दें कि क्या कहीं भी, यू, पी, में सी, पी में इस तरह का कानून पास हुआ है क्या? जैसा कि इस धारा में रखा है कि जो आदमी इलेक्शन लड़े, इलेक्शन का फार्म भरे, हार जाय, जिसका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाय वही इलेक्शन पिटिशन कर सकता है। यह राजस्थान में ही इस तरह से क्यों किया जा रहा है।

श्री घीसी सिंह—रूस में कैसे होता है?

श्री मुक्तिलाल मोदी—रूस की बात बताऊं तो वहां तो बात ही दूसरी है। रूस की बात करेंगे तो मालूम पड़ेगा। आपको जो यह २०० रूपये मिलते हैं वह भी नहीं मिलेंगे।

(हंसी)

तो माननीय उपाध्यक्ष, तीसरा संशोधन उन्होंने रखा है कि जो इलेक्शन पिटिशन होगी उसको सरकार डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज देगी। तो माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज में यह कर देते हैं तो यह तीसरी क्लॉज अपने आप खत्म हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज दोनों के लिये कर दें, जहां डिस्ट्रिक्ट जज हो वहां इलेक्शन पिटीशन उसके पास हों और जहां सेशन जज हों वहां इलेक्शन पिटिशन सेशन जज के पास हों...

श्री सोहनलाल भटनागर—दोनों एक ही है। अलग अलग नहीं।

(हंसी)

श्री भैरूंसिंह—आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—भाई, मैं तो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूं।

ऐसी सूरत में सरकार को चाहिये, और मैं तो हर वक्त सरकार से कहता रहता हूं कि कोई भी एक्ट पास करें तो ऐसा एक्ट पास करें कि वह हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा हो; तभी राजस्थान की तरक्की होगी और तभी राजस्थान की उन्नति होगी।

(घंटी)

अंग्रेजों के समय में ऐसी बात हो सकती थी कि सरकार सारे अधिकार अपने हाथ में रखती परन्तु अब तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को चाहिये कि अपने अधिकार जनता को दे दे और वही अधिकार दें जो वाजिब हों। यह नहीं होना चाहिये कि वह अपने अधिकार किसी संस्था को दे दे या किसी एम. एल. ए. को दे दे या किसी पर्लियामेंट के सदस्य को दे दे। मैं यह कहूंगा कि पब्लिक को भी जो अधिकार दे यह देखकर दे कि यह वाजिब अधिकार हैं, तो पब्लिक को दे दे गैरवाजिब हों तो न दे। सरकार हर मामलों में यह अड़ी देती है कि सरकार के हाथ में अधिकार रहे। नतीजा यह होता है कि कागजात निकल नहीं सकते। हाल ही में हम देखते हैं कि मेडिकल में सामान खरीदने की इजाजत फरवरी में दी गई और माल खरीदा गया जनवरी में। आपने ११ महीने तक इसकी कोई परवाह नहीं की और बाद में जल्दी जल्दी में सामान खरीदा गया। फिर सामान खरीदने वालों का क्या दोष, जैसा चाहा खरीद लिया?

(घंटी)

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

आप वही काम करें जितने आप पर सकते हैं । पंचवर्षीय योजना के प्लानिंग में····

(घंटी)

एक-दो मिनिट और बोलूंगा, इसके लिए इजाजत दी जावे। हर काम केलिये सरकार सरकार सरकार। अभी भी आप देखते हैं कि कोरम नहीं होने के कारण ८ दफा घंटी बजी है। या तो वे सो रहे हैं या आते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि पब्लिक के प्रतिनिधि हैं और उसके हित का कार्य करते हैं। किस तरह से कोई अमेन्डमेन्ट लावेगा, क्या होगा और यह कार्य कैसे चलेगा? माननीय उपाध्यक्ष जी, जो संशोधन मेरे मित्र दांतारामगढ़ से आने वाले सदस्य ने रखा है उसके लिए मेरी माननीय मन्त्री से प्रार्थना है कि इस क्लॉज को डेफर कर दिया जावे और इसको पार्टी में में बैठकर तय कर लिया जावे और पार्टी में तय नहीं करें तो दोनों मिल कर जिन जिन क्लॉजों में कमियें है बैठ कर तय कर दें जिससे हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों और मुल्कों में यह जावे तो लोगों को मालूम हो कि जो म्युनिसिपल एक्ट बना है उससे लोगों को ज्यादा फायदा होगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज ४८ [२] के बारे में अवश्य कुछ सोचना है। सदन के कई माननीय सदस्यों के दिमाग में यह बात है कि इलेक्शन पीटिशन सुनने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है लेकिन यह उनकी धारणा गलत है, वह अधिकार तो डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज को ही दिये गये हैं। सिर्फ इलेक्शन पीटिशन किसको दी जावेगी इसके लिये यह लिखा गया है कि यह सरकार को दी जावेगी। जब सरकार ने इसको सुनने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज को दे दिया है तो फिर यह पीटिशन सरकार के सामने क्यों पेश की जावे. इसलिये मेरा यह खयाल है कि पहले सरकार के पास यह क्यों पेश हो और बाद में सरकार इसको डिस्ट्रिक्ट जज के पास फोरवर्ड करें यह दो चीजें क्यों हो और लोगों को तकलीफ क्यों हो? इसलिये यह अधिकार भी डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज को दे दिया जावे तो कोई बुरी बात नहीं होगी।

दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के साथ साथ एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज को भी यह अधिकार दे दिया जावे क्योंकि उनके पास बहुत काम रहता है और उनको समय नही मिलता है। और इसके अलावा जहां डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज नहीं है वहां पर एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज होते हैं। अगर उनको भी यह पोवर दे दिया जावे तो जनता को सुविधा होगी। जब यह कर दिया जाता है तो इसके बाद क्लॉज ३ रिडन्डेन्ट रह जाता है इसलिये इसको हटा दिया जावे।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे मित्र दांता रामगढ से आने वाले सदस्य ने इस क्लॉज पर जो एमेन्डमेंट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और इस पर मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं।

[श्री मानसिंह महार]

इस क्लॉज़ के अन्दर जो छोटी सी बात है उसको तो मेवाड़ के सदस्य ने ही मंजूर किया है कि पिटीशन पहले गवर्नमेंट को नहीं दी जाकर सीधी डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज को दी जावे तो कोई हर्ज नहीं। इसको तो मैं मानी हुई ही समझता हूं क्योंकि वह तो पार्टी के ओथोरेटी की तरफ से की गई है, इस पर ज्यादा निवेदन नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी बात पर जो संशोधन रखा है वह यह है कि इलेक्शन पिटीशन जो की जावे उसके लिये वर्तमान धारा ४८ की उप धारा [२] में वर्ड हैं उनको मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ—Such petition may be presented by a candidate who has been deeated or whose nomni nation has been rejected in such manner...."

ये शब्द बहुत ही खतरनाक शब्द हैं। किसी प्रकार की इलेक्शन पीटिशन कोई भी दूसरा वोटर नहीं ला सकता है, सिवाय उस व्यक्ति के जो हारता है या जिसका नोमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी जगह कहीं पर भी आप देख लीजिये, पार्लियामेंट में, धारा सभा में पंचायतों में किसी भी जगह के इलेक्शन को ले लीजिये, आपको यह पता लगेगा कि सब जगह इलेक्शन पिटीशन करने का हक कोन्स्टीटुएन्सी के वोटर को भी होता है। कोई भी व्यक्ति जो वोटर हो, चाहे तो इलेक्शन पिटीशन कर सकता है। म्युनिसिपेल्टी के चुनाव होते हैं उनके खिलाफ कोई भी इलेक्शन पिटीशन कर सकता है। एक तरफ तो हम यह बात म्युनिसिपल एक्ट में रखते हैं और दूसरी तरफ जब वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के चुनाव का प्रश्न आता है तो सरकार यह रेस्ट्रिक्शन लगाती है कि केवल वही आदमी जो हारता है या जिसका नोमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है वही पिटीशन कर सकता है। यह कोई न्यायसंगत बात नही है। हमें देखना यह है कि इसमें इतने कम आदमी होते है जो अपना वोट देते हैं। इसलिये उनको इस प्रकार का हक नहीं देना कोई न्यायरूपी बात नहीं होगी। अगर आप इसके लिये एक ही आदमी को हक देते हैं तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते है। अगर एक ही आदमी को हक देंगे तो उसको पैसे देकर जीता जा सकता है। यह बात मैं तजुर्बे से कहता हूं। मैं यह कह सकता हूं कि इसको मन्त्री भी जानते हैं कि आम चुनावों में इस प्रकार की कार्यवाही कई मित्रों ने की। किसी को गद्दी नशीनं मन्जूर कर दी गई तो किसी को पैसा दिला दिया गया। लेकिन अगर म्युनिसिपल चेयरमेन के चुनाव में एक ही आदमी को हक दे दिया गया तो यह बात अक्षर-अक्षर सत्य हो जावेगी, चेयरमेन कहेगा कि मुझे १५० रुपये या दोसो रुपये एलाउन्स के मिलते हैं उसमें से ५० रुपये माहवार मैं तुमको देता रहूंगा, तुम मेरे खिलाफ पिटीशन मत करो। वह भी यह सोचेगा कि पिटीशन करूंगा और फिर दुबारा चुनाव होंगे उसमें क्या पता क्या हो, मुझे तो ५० रुपये माहवार घर बैठे मिलते हैं लिये जावें। कई मालदार व्यक्ति जैसे हमारे यहां मन्त्री हैं वे तो सीधे हजार १५०० रूपये उसके हाथ में सौंप देंगे। नतीजा क्या होगा, वह व्यक्ति बैठ जाएगा और पिटीशन नहीं करेगा। यह भी बात गल्त होगी। इसलिये इसको हटाने के लिये यह निश्चित बात है कि जब म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों को, जिन्होंने वोट दिये हैं, सरकार अधिकार नहीं देगी कि वे भी पीटिशन प्रेज़ेन्ट कर सकते हैं, तब तक यह बिमारी ठीक नहीं हो सकती। इसलिये यह बात

Page No 92

[श्री मानसिंह महार]

इसमें स्वस्टीट्यूट होनें चाहिये और उनको भी अधिकार होना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर यह धारा स्वीकार नहीं करेंगे तो इसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार फैलनेवाला है। यह जो कुछ बातें कह रहा हूं वह निजी तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं। बहुत मुमकिन है कि मन्त्रीजी को भी इसका तजुर्बा होगा। मैं यह कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को इसका तजुर्बा है। पहले इलेक्शन पीटिशनें हुई उससे क्या क्या हुआ, उसके लिये मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। इसलिये मैं यह कहूंगा कि ये बातें हैं वे भ्रष्टाचार को रोकने वाली बातें हैं और इससे किसी को नुकसान नहीं होगा इसलिये मैं यह कहूँगा कि वोटर को पिटीशन करने का हम हक देकर किसी प्रकार से पब्लिक के अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं।

इसके अन्दर सरकार की प्रेस्टिज का कोई सवाल नहीं। ऐसी सूरत के अन्दर मैं यह मानता हूं यह जो मेरे दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है वह बहुत उचित है, अतः सदन के प्रत्येक सदस्य को इस संशोधन का स्वागत करना चाहिये। जैसा कि मेवाड़ की तरफ से आये हुए पार्टी के व्हिप ने पहले बात का स्वागत किया उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं, आखिर कभी कभी बुद्धि आ ही जाती है। आखिर उन्होंने पहली बात को तो मंजूर किया, अगर पहले ही सिलेक्ट कमेटी के सामने ऐसी चीज रख दी जाती है तो सिलेक्ट कमेटी ऐसी बात नहीं करती। अभी भी इस बात को मंजूर कर लेंगे इससे जनता का और खास तौर से शहरी जनता का बहुत भला करने वाली बात है, यह बात मैं मान कर चलता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री), माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४८ के संबन्ध में पहला अमेन्डमेन्ट यह है कि 'स्टेट गवर्नमेन्ट' के बजाय 'डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट' रख दिया जाय। मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिये कोई चीज डिफाइन्ड नहीं है हमारे एक्ट में। मैं इसको मानने के लिये तैयार हूं। यह अधिकार गवर्नमेन्ट के पास में न होकर डाइरेक्ट जज के पास चले जांय। यह जो आपने अमेन्डमेन्ट रखा है उससे पर्पज़ हल होने वाला नहीं

"Substitute the word 'District Magistrate' for the words 'State Government' in sub-clause (1)"

अगर इस अमेन्डमेन्ट को इस लाइट में देखें जैसा इसके सब क्लॉज [४] में कहा गया है :

"In hearing the petition, the Judge shall follow the procedure laid down in section 36 ...... Election petition shall be presented through a Judge-"

वहां जज का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं रहता इसलिये इसको ऐसा कर दिया जाय :

Then it would not serve any purpose.

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

जज को डिफाइन किया गया। "Judge' means district Judge or any other Judge" से तो परपज हल हो सकता है। जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज और एडीशनल जज शामिल में हो सकते हैं। जज में तो यह कवर हो जायगा I think the word Judge. will be sufficient.

जहां तक प्रेजेन्टेशन का सवाल है इसमें कोई आपत्ति नहीं भविष्य में जितने मेम्बर्स हैं। That will be too much, I suppose. That is to much; कोई भी इलेक्शन पिटीशन पेश कर सकते हैं मेरा तो यह ख्याल है कि केवल मुद्दई और मुद्दायला, दोनों सामने आने चाहिये। प्रत्येक मेम्बर को यदि इलेक्शन पिटिशन का हक देते हैं, यह तो मुझे कहीं नजर नहीं आया आई थिंक देट विल बी टू मच। जो हारे हुए है वे कर सकते हैं। इस संबन्ध में, जो यह बात कही गई कि नोमीनेशन रिजेक्ट कर दिया गया जैसा कि पहले प्रोवीजन था, जनरल इलेक्शन में यह था। इस संबन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जब नोमीनेशन रिजेक्ट हो गया तो अपील का टाइम दिया जाय। जहां तक चैयरमेन के इलेक्शन की बात है वहां आफिसर लोग जाते हैं, किसी का नाम रिजेक्ट हो जाता है तो उसको अपील का टाइम देने की बात नहीं। अगर कोई फॉर्म रिजेक्ट होगया हो तो अपील का राइट है। इसलिये जिस प्रकार से यह धारा है उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं।

अब सवाल यह है कि जब जज कर दिया जाता है तो इसका रिवीजन इस प्रकार से किया जाय। इसके अलावा दूसरे संशोधन हैं वे माननीय सदस्य वापिस लेलेंगे।

श्री **भैरूंसिंह**—दूसरे अमेन्डमेन्ट के बारे में क्या होगा।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—जैसा कि मैंने निवेदन किया सब क्लॉज [१] में

"The Election of a Chairman or Vice-Chairman under section 47 shall not be called in question except by an election petition presented to the Judge," स्टेट गवर्नमेन्ट के बजाय जज लफ्ज हो जायगा और क्लॉज थ्री डिलीट हो जायगा।

श्री **भैरूंसिंह** (१६)—माननीय उपाध्यक्ष मैंने जो तीन संशोधन प्रस्तुत किये थे उसके दो भाग के विषय में तो माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकारोक्ति के भावों में उत्तर दिया है। लेकिन जहां तक उपधारा (२) का प्रश्न है मैंने यह निवेदन किया था कि हरेक मेम्बर को अधिकार होना चाहिये। मेम्बर्स से मेरा मतलब है चैयरमेन वाईस चेयरमेन, के इलेक्शन में जो वोट देने वाले हैं उनको इलेक्शन पिटीशन का अधिकार होना चाहिये। इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दस बीस

[श्री भैंरूसिंह]

आदमियों में से किसी भी आदमी को ऐसे अधिकार देते हैं कि इलेक्शन में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो वह उस गड़बड़ी के लिये इलेक्शन पीटिशन कर सके। कहीं है, या नहीं, कोई कर रहा है या नहीं, यह प्रश्न जुदा है। राजस्थान की जो परिस्थितियां है उन परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी मेम्बर को यह अधिकार देते है तो कौनसी दिक्कत आने वाली है? इलेक्शन पिटीशन की जो व्यवस्था की है हमने इस कानून में अगर कोई जान बूझ कर किसी को परेशान करने की नीयत से करता है तो इसके लिये नियम हैं कि उसको इलेक्शन पिटीशन में जितना भी खर्च होगा देना पड़ेगा, सिक्योरिटी जमा करानी होगी। तो ऐसी सूरत में कोई भी व्यक्ति बिना खास रीज़न के किसी को परेशान करने की नीयत से तो इलेक्शन पिटीशन कर नहीं सकेगा। माननीय मंत्री ने जैसा कहा उनके अनुसार इस चीज को रोकथाम करने के लिये इसमें हमने काफी प्रोवीजन कर रखा है, काफी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है इस लिये हम यह मानकर नहीं चल सकते कि किसी को हैरान करने के लिये कोई इलेक्शन पिटीशन करेगा। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इसमें जरा लिबरल दृष्टिकोण अपनावें और हर मेम्बर को अधिकार दें कि वे इलेक्शन पीटिशन कर सकें, ऐसा करने से कोई बुरी चीज नहीं होगी। इस प्रकार से इलेक्शन पिटीशन्स होगी, उससे गड़बड़ियां पैदा नहीं होंगी, नोमीनेशन रिजेक्ट करने वालों के लिये नहीं होगी। दूसरे संशोधनों को तो माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है, इस संशोधन को मैं सदन की अनुमति के लिये प्रस्तुत करता हूं और जो बाकी के दो संशोधन हैं उनको वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ४८ पर जो संशोधन श्री भैंरुसिंह ने रखे हैं उस संशोधनों के दो भागों को तो माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है कि वे उसी लाइट में संशोधन प्रस्तुत करेंगे इसलिये वे अपने दोनों संशोधन वापिस लेना चाहते हैं।

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज [२], क्लॉज ४८ पर जो संशोधन श्री भैंरुसिंह ने रखा है, स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

[विराम]

प्रश्न यह है कि जो दो प्रस्ताव नम्बर १ और तीन भैंरुसिंहजी के संशोधन में कुछ अन्तर के साथ माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार कर लिये हैं वे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

स्वीकार किये गये। श्री भैंरूसिंह अपने मूल संशोधन वापिस लेते हैं।

श्री भैरूं सिंह—मैं अपने मूल संशोधन १ और ३ को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन को अनुमति है वापिस लेने देने की।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री भैरूं सिंह—मैं अपने संशोधन १ और ३ को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ४८, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४८, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

आज की सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। कल प्रातः ८ बजे फिर मिलेंगे।

[सदन की कार्यवाही मध्यान्ह ३।१२ बजे कल प्रातः आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई]

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २५ अप्रेल, १६५९.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

Page No 96

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये और जिनके प्रकाशित कराने को सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की अनुमति है)

६३०. (१०२)एम. एल. एम.) श्री श्रीदास गोयल, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १४२:—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सवाई माधोपुर नगर में बन्दरों द्वारा कितने व्यक्ति मार डाले गये तथा कितनों को जख्मी कर दिया गया ?

(२) सरकार कब तक इस व्याधि को दूर करेगी और किस प्रकार ?

उत्तर

(१) कुछ मनुष्यों को घायल किया, ऐसा अवश्य जानकारी में है परन्तु आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मनुष्य मरे हैं, ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

(२) सरकार नगरपालिका से विचार विमर्श करके शीघ्र इस व्याधि को दूर करने का प्रयत्न करेगी।

६३६. (१०७)एम. एल. एम.) श्री कस्तूरचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ७२:—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सन् ५६-५७ में कितने औषधालय खोलने की योजना है ?

(ख) क्या सरकार जिला भीलवाड़ा, तहसील बनेडा, गांव कुण्डीया में भी कोई औषधालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(क) ७५।

(ख) अभी इस विषय में कोई निर्णय नही हुआ है।

६३६. (८५)पी. डब्ल्यू. एम.) श्री लक्ष्मण हीरात, एम एल. ए., डिविजन नम्बर ८६—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) उदयपुर जिले के ऋषभदेव के पॉवर हाउस को चलते कितने साल हुए हैं ?

(ब) क्या यह सही है कि वहां के पावर हाउस की हालत इतनी खराब है कि साल में २ माह बन्द रहता है ?

(स) क्या सरकार शीघ्र दूसरी मशीन लगवाने का इरादा रखती है ?

(द) यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(अ) ऋषभदेव पॉवर हाउस सन् १६३६ में यानी २० साल पहिले लगाया गया था।

(ब) मौजूदा जेनरेटिंग सेट्स की हालत, इस स्थान से प्राप्त सामाचार के अनुसार, खराब बतलाई जाती है।

(स, द) यह पॉवर हाउस देवस्थान विभाग के चार्ज में है।

६४०. (८७।एच. एम.) श्री श्रीदास गोयल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १४२—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सन् ५४–५५ व ५५–५६ में कितने भ्रष्टाचार के मामले सरकार के नोटिस में आये ?

(२) कितने व्यक्तियों के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई, उनके नाम क्या क्या हैं ?

(३) कितने व्यक्तियों के खिलाफ जांच जारी है और उनके क्या नाम हैं ?

उत्तर

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है। अतः इस प्रश्न का उत्तर एक सप्ताह बाद दिया जा सकता है।

६४६. (१०१।एच एम.) श्री श्रीदास गोयल, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १४२—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम कोटा चारगढा अन्तर्गत थाना इन्द्रगढ (कोटा) में मार्च के प्रथम सप्ताह में कोई डाका पड़ा ?

(२) यदि हां, तो किसके यहां से कितने का माल गया ?

Page No 98

(२) क्या पुलिस को ४-५ दिन पहिले मालूम हो चुका था कि कुछ डाकू खांजना डूंगर के नजदीक होकर कंवाल जी की ओर जा रहे हैं ?

(४) यदि हां, तो पुलिस ने डाके से पहले उनका पीछा किया या नहीं ?

उत्तर

(२) जी हां।

(३) श्री जीवन लाल बोहरा के मकान से ५१०५ रु० की लागत का सामान लूटा गया।

(३) जी नहीं।

(४) यह प्रश्न नहीं उठता।

६५० (८०ए. टी. एम.) श्री कुम्भाराम आर्य, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८०—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) भाखरा एरिया के अन्दर बनने वाली मण्डियों के निर्माण में हो रही देरी का क्या कारण है ?

(ख) क्या सरकार इस देरी की रोक थाम कर सकेगी ? यदि हां तो कैसे और कब तक ?

उत्तर

(क) इस कार्य के लिये पर्याप्त स्टाफ नहीं होना है।

(ख) ऐसे कार्य के लिये अलहदा स्टाफ स्वीकृत कर दिया है जो यही कार्य करेगा।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न ६४७ का उत्तर देखिये)

तहसील पंचायत चिड़ावा, जिला झुंझुनू के निर्वाचनाधिकारी द्वारा तहसील पंचायत के सदस्यों की घोषित नामावली :

१.	श्री रघुवीरसिंह	सरपंच
२.	श्री छोगासिंह	पंच
३.	श्री महेन्द्रसिंह	"
४.	श्री मनसाराम	"
५.	श्री मुकन्दराम	"
६.	श्री श्योचन्दराम	"
७.	श्री रामलाल	"
८.	श्री दाताराम	"
९.	श्री किशनलाल	"

निर्वाचनाधिकारी खेतड़ी जिला झुंझनू द्वारा तहसील पंचायत खेतड़ी के निर्वाचन की घोषित नियमावली—

१.	श्री यादवराम	सरपंच
२.	श्री सवाईसिंह पिता किशनसिंह निवासी वाढ़ा की ढाणी	पंच
३.	श्री चुनीलाल पिता सांवलराम निवासी धूमोली खुर्द	"
४.	श्री मूलचन्द पिता रतीराम निवासी सालारपुरी	"
५.	श्री रामधन पिता श्योनारायण निवासी जयसिंहपुरा	"
६.	श्री नाथूराम पिता सुखराम निवासी खानपुर	"
७.	श्री हेमराज पिता रामूराय दलेलपुरा	"
८.	श्री जैठूराम पिता हंसराम निवासी कुहाड़ावास	"
९.	श्री पृथीलाल पिता चेतराम निवासी मींव	"

परिशिष्ट ३

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

१. (१३५। एच. एम.) श्री तनसिंह (१४८)—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

गत वर्ष प्रत्येक जिले में जितने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को उनकी शिकायतों के कारण चेतावनी, जुर्माना, पदावनत, स्थानान्तरित और पृथक किया गया ?

उत्तर

आवश्यक सूचना राजस्थान के सभी जिलों से अभी एकत्रित नहीं हुई है। इसका उत्तर १५ दिन बाद दिया जा सकेगा।

२. (६। यू. एस.) श्री घासीराम (४३)—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(क) सन् १६५५–५६ में अलवर जिले में कितनी तकावी बांटी गई ?

(ख) इस तकावी में से कितनी तो कुओं के लिये, कितनी ट्रैक्टरों के लिये और कितनी पम्पों के लिये किन किन व्यक्तियों को दी गई ?

(ग) जिन व्यक्तियों को यह तकावी दी गई है उनके पास अपनी खुद जमीन कितनी कितनी है ?

(घ) तकावी दिये जाने के क्या आधार हैं ? क्या तकावी दिये जाने के लिये कोई कमेटी जिले में और तहसील में बनी हुई हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(ङ) इस वर्ष कितनी दरख्वास्तें तकावी ऋण के लिये आई और उनमें से कितनों को तकावी मिली और कितनों को नहीं मिली ? जिनको तकावी नहीं मिली उनके नाम और पते क्या क्या हैं और तकावी नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(च) क्या सरकार आयन्दा तहसील वाइज आबादी के आधार पर बराबर तकावी दिये जाने की व्यवस्था करेगी ?

(उत्तर अनुपलब्ध)

३. (४। यू. एस.) श्री भोलानाथ(१६)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना में वर्तमान बिजली घरों को सुव्यवस्थित करने के लिये कितने रुपये रखे गये थे ?

(२) प्रथम योजना में प्रत्येक बिजली घर पर कितने रुपये किस प्रकार खर्च होने वाले थे, उनकी विगत (१) बिजली घर के नाम (२) खर्चे की रकम (३) इंजिनों की किस्म (स्टीम अथवा डीजल) व अन्य सामान की विगत भी साथ दें ?

(उत्तर अनुपलब्ध)

शुद्धि-पत्र

कार्य विवरण दिनांक २५ अप्रेल, १९५६

ख्या	पंक्ति सं०	अशुद्ध	शुद्ध
३	६	पश्चात् ,	पश्चात्
	१२	हुई	हुई
	१४	गई	गई
६४	२१	गृहमंत्र	गृह मंत्री
६७	३	Hw	How
२०४	५	सिठडी	मिठड़ी
२१३	१६	रिटर्गि	रिटर्निंग
२१५	१८	झुन्झनूं	झुन्झुनू
२१७	शीर्षक	पश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
३३३	२१	चतर्थ	चतुर्थ
३३५	४	पुर;	पुरः
३३५	१३	(पुनःप्रवर्तन ।	(पुनःप्रवर्तन)
३४३	११	'जारी रखते हुए':	(जारी रखते हुए)
३७२	१२	राव्रराजा सरदारसिंह	राव्रराजा श्री सरदारसिंह
३७२	१४	श्री बद्रीप्र ाद	श्री बद्रीप्रसाद
३८८	१	प्रश्न कत्तंओं	प्रश्नकर्त्ताओं